SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
वस्तु एवं सेवा कर पर अनुपालन लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार
2026 की प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

वस्तु एवं सेवा कर पर अनुपालन लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xi
अध्याय 1		
आबकारी एवं कराधान विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
प्रणाली संरचना	1.2	1
ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां	1.2 (i)	1-2
ई-वे बिल प्रणाली में सम्मिलित प्रक्रियाएं	1.2 (ii)	2
संगठनात्मक संरचना	1.3	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	3
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति	1.5	3-4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
ई-वे बिल डेटा की प्रवृत्तियां और अंतर्दृष्टि	1.7	4
सृजित ई-वे बिलों की प्रवृत्ति	1.7.1	5
विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की प्रवृत्ति	1.7.2	5
लेखापरीक्षा उपलब्धियां		
दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.8	5-6
सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता	1.9	6
कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निरंतर बने रहने वाले अपात्र करदाता	1.9.1	6-7
शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.2	7
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.3	7-9
पंजीकरण निरस्त किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.4	9
समान/मिलता-जुलता इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल सृजित करना	1.9.5	10
जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल का सृजन	1.9.6	10-11
वैधता अवधि समाप्त होने के आठ घंटे बाद ई-वे बिलों का विस्तार	1.9.7	11
ई-वे बिल सृजन के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल निरस्त करना	1.9.8	11-12

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ई-वे बिल के विवरण सूचित किए जाने के बहत्तर घंटे बाद ई-वे बिलों की अस्वीकृति	1.9.9	12
ई-वे बिल सृजित करना	1.9.10	12
असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता	1.9.10 (i)	12-13
केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता	1.9.10 (ii)	13
जोखिमपूर्ण गतिविधियों के लिए ई-वे बिल सृजित करना	1.9.10 (iii)	13-14
उन करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल जिनके पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिए गए थे	1.9.10 (iv)	14
ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)	1.10	14-15
क्रॉस पैन विश्लेषण	1.11	15
करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न होना/कम निर्वहन होना	1.11 (क)	15-16
करदाताओं के ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्रवाई	1.12	16
विभाग का प्रवर्तन कार्य	1.13	16
क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं	1.13.1	16-17
विभाग की परिचालन संबंधी तैयारी	1.14	17
पर्याप्त कार्यबल की कमी	1.14.1	17
अपवंचन निवारक उपायों की प्रभावशीलता	1.15	17
दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.15.1	17-19
वाहनों के अवरोधन के लिए दिशानिर्देश	1.15.2	19-20
ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्रित कर एवं पेनल्टी के लिए मांग न उठाना	1.15.3	20-21
ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर्विभागीय समन्वय	1.16	21
अवरुद्ध क्रेडिट पर जानकारी पारित करना	1.16.1	21-22
अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी	1.16.2	22
सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट का उपयोग न करना	1.17	22-23
निष्कर्ष	1.18	23
सिफारिशें	1.19	23-24

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
अध्याय 2		
आबकारी एवं कराधान विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II	2	25
प्रस्तावना	2.1	25
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	25-26
लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र	2.3	26
लेखापरीक्षा नमूना	2.4	26-27
लेखापरीक्षा मानदंड	2.5	28
लेखापरीक्षा उपलब्धियां - विभागीय क्षेत्रीय गठनों की लेखापरीक्षा	2.6	28
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करने वालों पर कार्रवाई न करना	2.6.1	28-29
पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना	2.6.2	29-30
रिटर्नों की जांच	2.6.3	30-32
अन्य मामले: राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग में मानव संसाधन	2.6.4	32
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा	2.7	32-43
विभाग द्वारा केंद्रीकृत (सीमित) मामलों पर उत्तर प्रस्तुत न करना	2.7.1	44-45
केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के परिणाम	2.7.2	45-48
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा	2.8	48
कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)	2.8.1	49-50
रिटर्न	2.8.2	50-51
इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग	2.8.3	51-53
कर देयता का निर्वहन	2.8.4	53
निष्कर्ष	2.9	53-55

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	मुख्य समस्या क्षेत्र	1.5	57
1.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य-I के लिए नमूनों की सूची	1.5	58-59
1.3	विशिष्ट अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण की सूची	1.8	60-63
1.4	शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.2	64
1.5	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.3	65
1.6	रद्द किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.4	66-67
1.7	समान/उसी इनवॉइसों के आधार पर अनेक ई-वे बिलों का सृजन	1.9.5	68
1.8	जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ई-वे बिलों का सृजन	1.9.6	69
1.9	आठ घंटे से अधिक समय की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद ई-वे बिलों का विस्तार	1.9.7	70
1.10	ई-वे बिल तैयार होने के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल रद्द करना	1.9.8	70
1.11	ई-वे बिल विवरण प्रेषित किए जाने के बहत्तर घंटे के बाद ई-वे बिलों को अस्वीकार करना	1.9.9	70
1.12	असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता	1.9.10 (i)	70
1.13	केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता	1.9.10 (ii)	71
1.14-क	पंजीकरण के छः महीने के भीतर करदाताओं द्वारा बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ख	उच्च दूरी वाले पिन से पिन तक बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ग	एमसीए डिफॉल्टरों से संबंधित करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-घ	डीजीएफटी की ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल संस्थाओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ङ	डीजीएआरएम द्वारा अपराधों के लिए दर्ज किए गए करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	73
1.14-च	अमान्य पिन कोड का उपयोग करके बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	73
1.15	उन करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था	1.9.10 (iv)	74

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.16-क	हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा में करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.11 (क)	74
1.16-ख	हरियाणा में करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.11 (क)	74
1.17	अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.15.1	75
1.18-क	दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी - 1, 2, 4 जारी नहीं किए गए थे	1.15.2	76
1.18-ख	दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी-11 जारी नहीं किया गया था	1.15.2	76
1.19-क	कर और पेनल्टी जमा की गई लेकिन डीआरसी-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पीएमटी-05) में डेबिट नहीं की गई	1.15.3	76
1.19-ख	कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान करने की मांग किए बिना वाहनों को छोड़ देना	1.15.3	77
1.20-क	हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल	1.16.1	77
1.20-ख	हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल के अतिरिक्त	1.16.1	78-79
2.1	विस्तृत लेखापरीक्षा नमूना	2.4	80-81
2.2	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई	2.6.1	82
2.3	पंजीकरण निरस्त करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना	2.6.2	83
2.4	मानव संसाधन का विवरण	2.6.4	83
2.5	नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)	2.7	84-87
2.6	मामले जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए	2.7.1	88-89
2.7	केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा का सारांश	2.7.2	90-91
2.8	नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)	2.7.2	92-99
2.9	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना	2.8.1	100-103
2.10	ब्याज का भुगतान न होना	2.8.2	104-105
2.11	आर-2ए और और आर-3बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अत्यधिक लाभ लिया जाना	2.8.3	106-110
2.12	आर.सी.एम. कर का भुगतान न होना या आर.सी.एम. पर आई.टी.सी. का अत्यधिक लाभ लेना	2.8.3	111-112

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.13	जी.एस.टी.आर.9 (8ए) में उपलब्ध आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.9 (8बी एवं 8सी) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता	2.8.3	113-117
2.14	जी.एस.टी.-3बी में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. जैसा कि जी.एस.टी.आर.-9 (6ए) में घोषित है और जी.एस.टी.आर.-9 (6आई) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता	2.8.3	118-119
2.15	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (8ए) के बीच प्राप्त किए गए आई.टी.सी. में असंगतता	2.8.3	120-124
2.16	अनिष्पादित कर देयता (आर3बी की आर1 एवं आर9 के साथ तुलना)	2.8.4	125-128

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 'वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं तथा इसमें ई-वे बिल जनरेशन के संदर्भ में करदाताओं द्वारा कर अनुपालन के लेखापरीक्षा सत्यापन और ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग के निवारक कार्यों के परिणामों के साथ-साथ विभाग द्वारा रिटर्न की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2022-23 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2022-23 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए) सम्मिलित है, जिसमें ₹ 822.99 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ शामिल है।

अध्याय 1: वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

राजस्व सुरक्षा के सरकार के मुख्य उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, 1 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल के सभी अंतरराज्यीय आवाजाही हेतु ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई थी। अंत:राज्य आवाजाही के लिए, हरियाणा राज्य के लिए ₹ 50,000 की निर्धारित सीमा के साथ ई-वे बिल अनिवार्य किया गया था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या ई-वे बिल प्रणाली सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी थी; और क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल एवं प्रभावी थी। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल की गई।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पांच उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत, जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद ₹ 13.49 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 41 ई-वे बिल सृजित किए गए थे। चार करदाताओं ने एक ही इनवॉइस पर अनेक ई-वे बिल सृजित किए थे।

(अनुच्छेद 1.9.4 एवं 1.9.5)

पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 10 करदाताओं से संबंधित 12 ई-वे बिल लेनदेन, जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 2.78 करोड़ था, जोखिमपूर्ण वाहनों अर्थात गुम हुए वाहनों, स्क्रैप, अभ्यर्पण, निरस्त और निलंबित वाहनों, दुपहिया वाहनों आदि का उपयोग करके निष्पादित हुए थे। यह भी पाया गया कि संबंधित जावक आपूर्ति को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-I रिटर्न में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 1.9.6)

12 करदाताओं द्वारा ₹ 36.30 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 68 ई-वे बिल जनरेट किए गए थे, जो पंजीकरण के छः माह के भीतर बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल, पिन कोड से पिन कोड तक अत्यधिक दूरी वाले ई-वे बिल, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय के डिफॉल्टरों से संबंधित ई-वे बिल, विदेश व्यापार महानिदेशालय की ब्लैक लिस्ट में डाली गई संस्थाओं के ई-वे बिल, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा अपराधों के लिए बुक किए गए पक्ष और अमान्य पिन-कोड का उपयोग करके जनरेट किए गए ई-वे बिल में शामिल थे।

{अनुच्छेद 1.9.10 (iii))

तीन करदाताओं से संबंधित ₹ 92.05 लाख के कर योग्य मूल्य वाले छः ई-वे बिल सृजित किए गए थे और बाद में उन करदाताओं के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे।

{अनुच्छेद 1.9.10 (iv)}

अध्याय 2: वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन और विभाग की निगरानी तंत्र के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण (वस्तु एवं सेवा कर विंग से प्राप्त डेटा) पर आधारित थी, जिसने अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और संदिग्ध संकेतों को उजागर किया। विभाग द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड गठनों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि को शामिल किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में उन 6,064 करदाताओं के संबंध में नोटिस जारी नहीं किया, जिन्होंने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान सात महीने या उससे अधिक समय तक वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.6.1)

10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत, विभाग द्वारा 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए 55,984 स्वतः संज्ञान निरस्तीकरण मामलों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से, 49,641 करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल नहीं की, जिसे फाइल किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, 40,344 मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा प्रपत्र वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.6.2)

विभाग ने कर के विलंबित भुगतान पर दो मामलों में ₹ 3.17 करोड़ का कम ब्याज उद्ग्रहित किया। एक मामले में, सक्षम अधिकारी द्वारा रिटर्न फाइल न करने पर विलंब फीस उद्ग्रहित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.6.3 (क) एवं (ख))

करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के मध्य नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के सेट पर की गई थी, जैसे कि वार्षिक

रिटर्न और लेखा-बहियों के बीच प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, ब्याज का कम भुगतान, 380 करदाताओं से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर दिए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और असमाधित कर देयता आदि।

(अनुच्छेद 2.7)

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 687 मामलों में से विभाग ने केवल 339 मामलों का उत्तर दिया। इनमें से 196 मामले 57.81 प्रतिशत अनुपालन के पाए गए, जिनमें ₹ 738.34 करोड़ की अनुपालन विसंगतियां शामिल थी। स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.)/स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) के अंतर्गत कर का कम भुगतान, अदत्त कर देयता और इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल जैसे जोखिम मानकों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें पाई गई। 339 मामलों में से, विभाग ने 123 मामलों में कार्रवाई आरंभ की जिनमें से 17 मामलों में ₹ 3.49 करोड़ की वसूली की गई, 101 मामलों में ₹ 582.07 करोड़ के नोटिस जारी किए गए, और पांच मामलों में ₹ 4.60 करोड़ की विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित किया गया।

(अनुच्छेद 2.7.1 एवं 2.7.2)

70 मामलों में से 69 मामलों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ₹ 7,692.48 करोड़ की राशि से संबंधित मांगे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट/कर देयता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। इस कारण, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ में बेमेल/विचलन और बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की विस्तृत जांच नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.8.1)

19 करदाताओं ने एक से 293 दिनों की देरी से मासिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल की थी और ₹ 1.64 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था।

(अनुच्छेद 2.8.2)

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच कर देयता के बेमेल के 87 मामलों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे, जिनमें ₹ 356.76 करोड़ की राशि शामिल थी।

(अनुच्छेद 2.8.4)

अध्याय 1
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत
ई-वे बिल प्रणाली पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 1

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

1. वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के प्रतिमान के आधार पर अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया से संबंधित समय विलंब को कम करके वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही कार्यकुशलता में सुधार करना था।

राजस्व की सुरक्षा के लिए, जो सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी सामानों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल (ई.डब्ल्यू.बी.) आरंभ किया गया था। अंत:राज्य आवाजाही के लिए, हरियाणा राज्य के लिए ₹ 50,000 की सीमा के साथ ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया था। ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है और इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। ई-वे बिल को गैर-वाणिज्यिक बाधाओं को कम करने के लिए भी डिजाइन किया गया था, ताकि पारगमन समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला कार्यकुशलता में भी सुधार हो।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम (एच.जी.एस.टी. नियम), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ई-वे बिल तंत्र का प्रावधान है। माल की आवाजाही और ई-वे बिल तैयार करने से पहले माल की जानकारी प्रस्तुत की जानी थी। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल का संचलन करता है, चाहे वह संचलन आपूर्ति के संबंध में हो या आपूर्ति से भिन्न कारणों से हो या किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण हो, तो उसे ऐसा संचलन आरंभ करने से पहले उक्त माल से संबंधित सूचना कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही कॉमन पोर्टल पर अपेक्षित अन्य सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी और पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी।

1.2 प्रणाली संरचना

ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियों और प्रक्रिया प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि ई-वे बिल बनाते समय वाहन पंजीकरण संख्या को मान्य किया जा सके। फास्टैग प्रणाली को 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, ई-वे बिल बनाने, विस्तार करने, निरस्त करने और अस्वीकृत करने के उद्देश्य से करदाताओं का एक बार पंजीकरण अपेक्षित था।

सक्षम अधिकारी (केंद्र और राज्य दोनों) दो तरीकों से ई-वे बिल पोर्टल तक पहुंच सकते थे:- (i) दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन

पोर्टल में लॉग इन करना या (ii) वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल प्रणाली में मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉग इन करना। सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिलों का सत्यापन, ई-वे बिलों को अनब्लॉक करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट को अवलोकित करना और उन तक पहुंचना आदि शामिल थे।

(ii) ई-वे बिल प्रणाली में सम्मिलित प्रक्रियाएं

ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे पोर्टल में अपेक्षित व्यक्तियों का नामांकन करना, ई-वे बिल तैयार करना, विस्तारित करना, जारी किए गए ई-वे बिलों को निरस्त करना और अस्वीकृत करना आदि सम्मिलित हैं। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के संपूर्ण प्रक्रिया प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

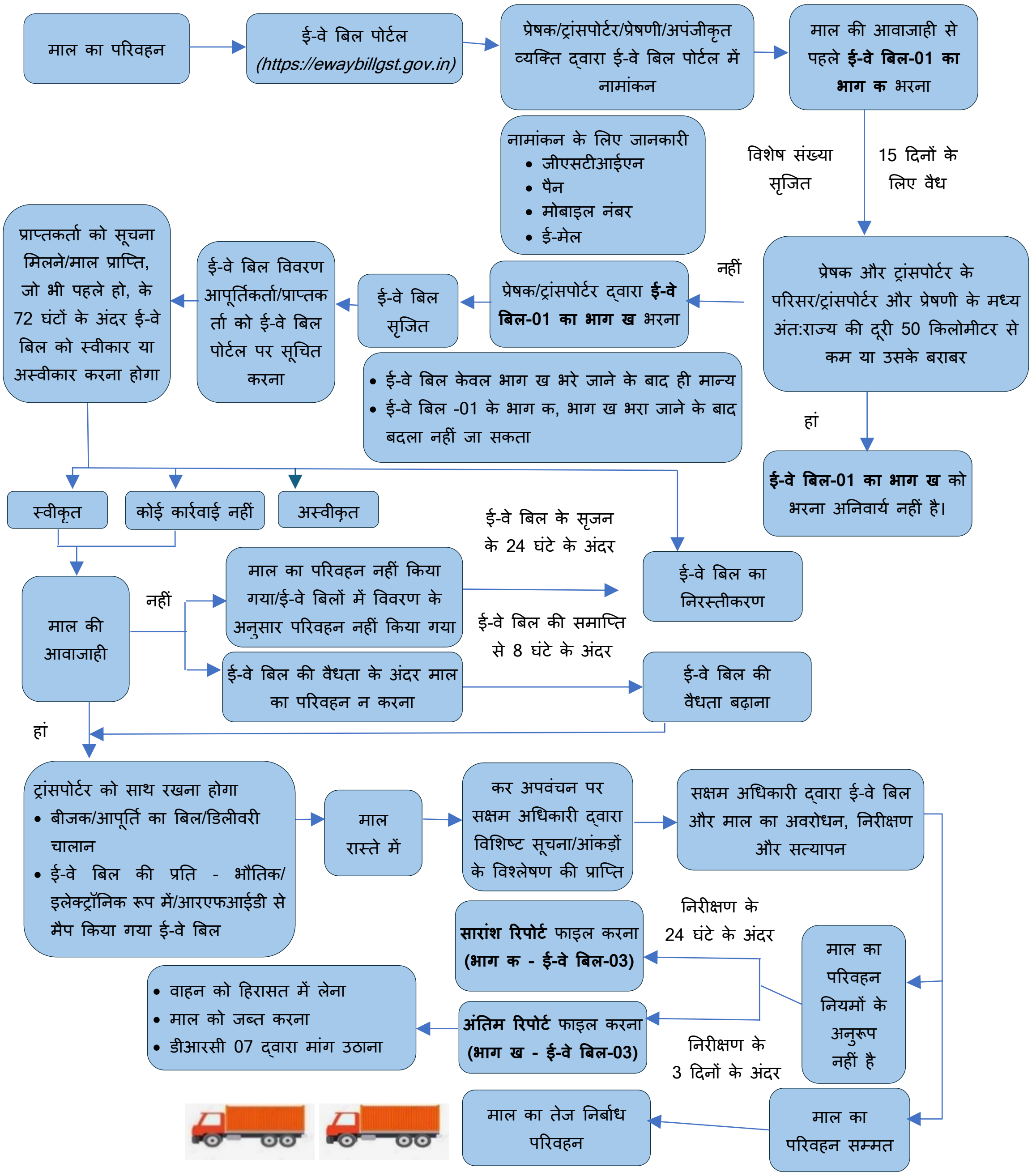

1.3 संगठनात्मक संरचना

आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), राज्य कर विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हें मुख्यालय में एक अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (प्रवर्तन) सहित चार अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग दिया जाता है। जिला स्तर पर सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) प्रवर्तन इकाइयों का नेतृत्व करते हैं तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) की देखरेख में आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) वार्डों के प्रभारी होते हैं।

ई-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) को सामान्य और संयोजन करदाताओं द्वारा क्रमशः रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4/वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-इनवॉइस (सी.एम.पी.)-08 के अंतर्गत दर्ज किया जाता था और रिटर्न की संवीक्षा के समय जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इनका सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। प्रत्येक जिले में, समर्पित प्रवर्तन संरचनाएं हैं जो ई-वे बिलों के सत्यापन सहित व्यापक अपवंचन-रोधी कर्तव्यों को निष्पादित करती हैं।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

1. सरकार के राजस्व हित की रक्षा के लिए ई-वे बिल तंत्र प्रभावी था; और
2. ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी थी।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निर्धारित सीमा के दायरे में आने वाले माल की किसी भी आवाजाही से पहले ई-वे बिल तैयार करना एक आवश्यक स्थिति है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूनों का चयन प्रमुख समस्या क्षेत्रों (के.पी.ए.)/जोखिम आयामों के आधार पर किया गया। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति को बाधित करने वाले मुख्य समस्या क्षेत्र ***परिशिष्ट-1.1*** में दिए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रवर्तन गतिविधियों, जैसे परिचालन संबंधी तैयारी, अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभाग के अंत:/अंतर विभागीय समन्वय (इंट्रा/इंटर डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन), से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूनाकरण: लेखापरीक्षा उद्देश्य-I के लिए 80 ई-वे बिलों का एक नमूना ***(परिशिष्ट-1.2)*** विभिन्न मुख्य समस्या क्षेत्रों के लिए भारांक के आबंटन से संबंधित जोखिम प्रणाली के अनुसार चुना गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए नमूनाकरण: 27 प्रवर्तन इकाइयों में से अर्थात प्रत्येक राजस्व जिले में एक, 14 (27 प्रवर्तन इकाइयों का 50 प्रतिशत) प्रवर्तन इकाइयों का चयन 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए स्तरीकृत नमूनाकरण के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक चयनित प्रवर्तन इकाई में, प्रति प्रवर्तन इकाई 10 मामलों को नमूना जांच के लिए चुना गया था जहां वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-03[1] (भाग बी) जारी किए गए थे और

[1] सत्यापन रिपोर्ट।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के मामले में, इसे दोगुना करके 20 मामले प्रति प्रवर्तन इकाई कर दिया गया था और तदनुसार 14 प्रवर्तन इकाइयों[2] से 176 मामलों का चयन किया गया था। यह देखा गया कि यद्यपि मेवात प्रवर्तन इकाई द्वारा प्रवर्तन गतिविधियां की गई थी, किंतु ऐसे प्रवर्तन से संबंधित दस्तावेज और विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से निकाले गए ई-वे बिल डेटा का विश्लेषण, केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। रेलवे/वायुमार्ग/समुद्री मार्ग ई-वे बिल को इस लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। लेखापरीक्षा के दायरे में ई-वे बिल के संदर्भ में विभाग के प्रवर्तन कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 24 अप्रैल 2023 को एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली के दायरे पर चर्चा की गई थी। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 20 नवंबर 2024 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विभाग द्वारा 20 नवंबर 2024 को और 17 जनवरी 2025 को मसौदा रिपोर्ट पर उत्तर प्रस्तुत किए गए। उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130, आदि;
- हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138 आदि;
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य कर विभाग (एस.टी.डी.) द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं; तथा
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अधिकृत और राज्य कर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश।

1.7 ई-वे बिल डेटा की प्रवृत्तियां और अंतर्दृष्टि

राज्य में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सृजित ई-वे बिलों की संख्या की प्रवृत्तियां ***तालिका 1.1*** में दर्शाई गई है तथा विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की संख्या ***तालिका 1.2*** में दर्शाई गई है, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है:

[2] अंबाला: 10; फरीदाबाद (उत्तर): 20; फरीदाबाद (दक्षिण):20; फरीदाबाद (पूर्व): 18; फरीदाबाद (पश्चिम): 20; फतेहाबाद: 9; गुरूग्राम (पश्चिम): 20; हिसार: 10; जगाधरी: 10; झज्जर: 10; पलवल: 9; पानीपत: 10; पंचकुला: 10 और मेवात: शून्य।

1.7.1 सृजित ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान सृजित ई-वे बिलों का डेटा निम्नानुसार है:

तालिका 1.1: जावक और आवक आपूर्ति के लिए सृजित ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	जावक आपूर्ति		आवक आपूर्ति	
	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	1,15,224	2,72,51,697	21,415	5,47,054
2019-20	1,19,244	3,13,57,397	18,544	4,63,774
2020-21	1,14,221	3,24,68,265	16,351	2,86,037
2021-22	1,14,302	3,85,96,097	16,441	2,34,257

स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर संख्या डेटा

पिछले कुछ वर्षों में सृजित कुल ई-वे बिलों की संख्या में समग्र रूप से वृद्धि देखी गई है और 2018-19 से 2021-22 तक यह वृद्धि 42 प्रतिशत रही। हालांकि, आवक आपूर्ति के लिए सृजित कुल ई-वे बिलों की संख्या में 2018-19 से 2021-22 तक 57 प्रतिशत की कमी देखी गई।

1.7.2 विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

विस्तारित ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों की वैधता बढ़ा दी गई थी); निरस्त किए गए ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों को सृजन के बाद निरस्त कर दिया गया था); और अस्वीकृत ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था) का डेटा निम्नानुसार है:

तालिका 1.2: विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	विस्तारित ई-वे बिल		निरस्त ई-वे बिल		अस्वीकृत ई-वे बिल	
	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	8,782	1,63,330	46,624	5,08,270	3,309	6,952
2019-20	14,701	3,30,879	47,687	4,82,802	2,638	4,446
2020-21	20,641	3,33,823	45,403	4,32,286	1,859	2,903
2021-22	28,199	4,72,204	46,998	4,29,814	1,323	2,112

स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर संख्या डेटा

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2021-22 तक विस्तारित किए जा रहे ई-वे बिलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। ई-वे बिलों के निरस्त होने की प्रवृत्ति घट रही है और 2018-19 से 2021-22 के दौरान इसमें 15 प्रतिशत की कमी आई है। ई-वे बिलों के अस्वीकृत होने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 6,952 और 2,112 के मध्य रही, जो 70 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

1.8 दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें)

अधिनियम 1971 की धारा 18 (2) कार्यालयों/विभाग को यह वैधानिक दायित्व प्रदान करती है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और उचित अभियान से अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग से वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए ई-वे बिलों और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न से संबंधित जानकारी और अभिलेख मांगे गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए चयनित करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख जैसे जावक आपूर्ति का विवरण, महीनेवार आवक, जावक ई-वे बिल, लेखा-बहियां, रिफंड के विवरण, ट्रक रसीदें/लॉरी रसीद आदि भी मांगे गए। लेखापरीक्षा ने विभाग से ई-वे बिल पोर्टल पर एक्सेस के लिए यूजर आईडी जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकृत कर दिया (नवंबर 2023) कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में आबकारी एवं कराधान विभाग के सक्षम अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को ई-वे बिल पोर्टल पर पहुंच का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, लेखापरीक्षा विभाग को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान नहीं किया गया।

विशिष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले करदाताओं की सूची ***परिशिष्ट-1.3*** में दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत न करने का क्षेत्राधिकार-वार संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित ***तालिका 1.3*** में दिया गया है।

तालिका 1.3: विशिष्ट अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार जोन	नमूना (करदाताओं की संख्या)	विशिष्ट अभिलेखों को प्रस्तुत न करना (करदाताओं की संख्या)
1	फरीदाबाद (पश्चिम)	5	5
2	गुरुग्राम (उत्तर)	3	3
3	गुरुग्राम (दक्षिण)	5	5
4	पानीपत	6	4
5	सोनीपत	13	11
कुल		**32**	**28**

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में उत्तर दिया कि 11 करदाताओं के संबंध में दस्तावेज बीओवेब पोर्टल पर उपलब्ध थे और लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग ने आगे बताया कि उन्होंने 13 करदाताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस/मांग और वसूली प्रमाण-पत्र-01/07 जारी किए थे और चार करदाताओं के संबंध में यह बताया गया था कि तकनीकी खराबी के कारण दस्तावेज पुन: प्राप्त नहीं किए जा सके।

1.9 सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता

तथ्यात्मक लेखापरीक्षा के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.10 में दिए गए हैं।

1.9.1 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निरंतर बने रहने वाले अपात्र करदाता

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा[3] से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (3) के अंतर्गत, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन

[3] अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए ₹ एक करोड़ तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़।

लेवी स्कीम के लिए लिया गया विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (2) (सी) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति माल की किसी भी अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति में शामिल है तो वह कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि दो[4] करदाता माल की अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति करने के पश्चात कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत बने हुए थे। इन करदाताओं को इस योजना से बाहर किया जाना अपेक्षित था क्योंकि वे प्रथम दृष्टया अंतरराज्यीय आपूर्ति करने की तिथि से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), आबकारी एवं कराधान अधिकारी (पानीपत) ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है; तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोनीपत से संबंधित शेष मामले का उत्तर प्रतीक्षित था।

1.9.2 शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की सत्यता की पुष्टि करने के लिए संबंधित अधिकारी (आबकारी एवं कराधान अधिकारी) द्वारा जांच की जानी चाहिए, तथा रिटर्न में दर्शाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पांच[5] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 32 करदाताओं से संबंधित 80 ई-वे बिलों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 10 करदाताओं ने 16 ई-वे बिलों ***(परिशिष्ट-1.4)*** के माध्यम से ₹ 1.99 करोड़ की जावक आपूर्ति की थी। इन 10 करदाताओं में से, आठ करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में कोई लेनदेन नहीं दर्शाया था, लेकिन 13 ई-वे बिल सृजित किए थे। शेष दो करदाताओं ने जिन्होंने तीन ई-वे बिल सृजित किए थे वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर दिया, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं किया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने बताया (दिसंबर 2024) कि यह अनुच्छेद प्रणालीगत सुधार से संबंधित है और इस मामले की जानकारी देते हुए वस्तु एवं सेवा कर नीति शाखा को एक पत्र भेजा गया था। सरकारी खजाने को होने वाली हानि से रोकने के लिए ऐसे करदाताओं का पंजीकरण स्वचालित रूप से निरस्त/निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विभाग ने यह भी बताया कि संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

1.9.3 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, संबंधित अधिकारी करदाता का पंजीकरण निरस्त कर सकता है, जब कंपोजिशन करदाता ने निरंतर तीन कर अवधियों की

[4] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत और सोनीपत।

[5] पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

रिटर्न प्रस्तुत न की हो; या किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति ने निरंतर छः महीने की अवधि तक अपनी रिटर्न प्रस्तुत न की हो।

उक्त अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत, जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति नोटिस के बाद भी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, उपलब्ध या व्यक्ति द्वारा एकत्रित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है तथा कर-निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है; किन्तु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे करयोग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, निरस्तीकरण आदेश की तिथि से तीस दिन के अंदर निर्धारित तरीके से पंजीकरण के निरस्तीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 ई के अंतर्गत, प्रेषक, प्रेषणी, ट्रांसपोर्टर या ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित व्यक्तियों पर ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल जनरेट करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिसने निर्धारित निरंतर अवधियों[6] के लिए संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल नहीं की है। दिसंबर 2019 से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर ब्लॉकिंग कार्यक्षमता सक्षम की गई है।

(i) लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चार[7] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत पांच सामान्य करदाताओं ***(परिशिष्ट-1.5)*** ने निरंतर दो कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल नहीं की थी, लेकिन 36 ई-वे बिल सृजित करके जावक आपूर्ति को निष्पादित किया था।

इसने इंगित किया कि दो एजेंसियों, अर्थात ई-वे बिल कॉमन पोर्टल और वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल, के बीच, इन करदाताओं के लिए ई-वे बिल जनरेशन सुविधाओं को अवरुद्ध करने के लिए ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में प्रभावी सत्यापन नियंत्रण के लिए समन्वय पर्याप्त नहीं था।

(ii) इसके अतिरिक्त, उन पांच करदाताओं के संबंध में यह देखा गया कि हालांकि निर्दिष्ट अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, विभाग ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि रिटर्न फाइल न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करने पर ई-वे बिल पोर्टल पर कोई रोक नहीं थी। विभाग ने आगे बताया कि

---

6 हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-चालान-08 और सामान्य करदाताओं के लिए दो लगातार कर अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, जैसा भी लागू हो।

7 सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

ई-वे बिल पोर्टल में उपयुक्त परिवर्तन शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि ऐसे करदाता जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, वे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे करदाताओं, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे, का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया और ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने दिसंबर 2024 में बताया कि गुरुग्राम (उत्तर) के एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

1.9.4 पंजीकरण निरस्त किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है; परन्तु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे करयोग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है। पंजीकरण निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह रिटर्न फाइल किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, पांच[8] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले आठ करदाताओं से संबंधित 41 ई-वे बिलों ***(परिशिष्ट-1.6)*** की नमूना-जांच की गई, जिनमें ₹ 13.49 करोड़ का निर्धारणीय मूल्य शामिल था और यह पाया गया कि ये ई-वे बिल वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद जनरेट किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सात करदाताओं से संबंधित 37 ई-वे बिलों की कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई थी तथा चार ई-वे बिलों, जिनमें ₹ 35.96 लाख की जावक आपूर्ति की गई थी, से संबंधित दो करदाताओं (जिनमें से एक ने कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी) ने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत कर देयता का निर्धारण नहीं किया और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि निरस्त करदाता पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है तथा गुरुग्राम (दक्षिण) और (उत्तर) के तीन करदाताओं को सम्मन जारी किए गए थे।

यद्यपि लेखापरीक्षा यह स्वीकार करती है कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है और निरस्तीकरण पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुआ है, विभाग के उत्तर में इस तथ्य का समाधान नहीं किया गया है कि संबंधित अधिकारी को पंजीकरण निरस्त करते समय करदाता की वस्तु एवं सेवा कर देयता का निर्धारण करना चाहिए था।

सिफारिश 1: विभाग पंजीकरण को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिलों को संज्ञान में ले और जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

[8] पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

1.9.5 समान/मिलता-जुलता इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 46 (बी) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर इनवॉइस जारी किया जाएगा जिसमें क्रमिक क्रम संख्या होगी, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगी, तथा जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5-1 के अनुसार, ई-वे बिल जनरेट करते समय करदाता को माल से संबंधित दस्तावेज संख्या दर्ज करना अपेक्षित है। दर्ज की गई दस्तावेज संख्या अद्वितीय होनी चाहिए। आपूर्ति से संबंधित प्रेषण के संबंध में इनवॉइस नंबर ही दस्तावेज संख्या होती है। इसलिए, प्रत्येक इनवॉइस के आधार पर केवल एक ई-वे बिल जनरेट करना अपेक्षित है।

नमूना मामलों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि चार करदाताओं ***(परिशिष्ट-1.7)*** ने एक ही इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल जनरेट किए थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित रिटर्न की आगे जांच की और पाया कि पानीपत और सोनीपत के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से संबंधित इन करदाताओं ने माल की आवाजाही के लिए अनेक ई-वे बिल जनरेट करने के लिए या तो समान इनवॉइस या मिलता-जुलता इनवॉइस (पहले से उपयोग किए गए इनवॉइस नंबरों के अंत में विशेष वर्ण जोड़कर) का उपयोग किया था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि यह एक प्रणालीगत कमी थी और विभाग ने इस मामले के समाधान के लिए अगस्त 2024 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) को एक पत्र लिखा था।

सिफारिश 2: विभाग समान इनवॉइस पर अनेक ई-वे बिलों के सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) के साथ मामला उठाने पर विचार करे।

1.9.6 जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल का सृजन

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (2) के अंतर्गत, जहां माल को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे उसके स्वयं के वाहन में या किराए के वाहन में या सार्वजनिक वाहन में, सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, उक्त व्यक्ति फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-बी में सूचना प्रस्तुत करने के बाद कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर_ई-वे बिल-01 में ई-वे बिल सृजित करेगा। सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जहां माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाता है, वहां पंजीकृत व्यक्ति ट्रांसपोर्टर से संबंधित सूचना कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और ट्रांसपोर्टर द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त पोर्टल पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-ए में ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा। ई-वे बिल-01 के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान की जानी अपेक्षित है।

डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से नमूनों की जांच के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि पांच[9] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 11 करदाताओं से संबंधित 12 ई-वे बिल लेनदेन, जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 2.78 करोड़ ***(परिशिष्ट-1.8)*** था, जोखिमपूर्ण

[9] पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

वाहनों अर्थात चोरी के वाहनों, स्क्रैप, अभ्यर्पण, निरस्त और निलंबित वाहनों, दुपहिया वाहनों आदि का उपयोग करके निष्पादित हुए थे। यह भी पाया गया कि संबंधित जावक आपूर्ति को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 रिटर्न में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विवरण निम्नलिखित ***तालिका 1.4*** में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	जोखिमपूर्ण वाहनों की प्रकृति	ई-वे बिलों की संख्या	करदाताओं की संख्या
1	दुपहिया वाहनों का उपयोग करके सृजित ई-वे बिल	2	2
2	ई-वे बिलों में चोरी हुए वाहनों का उल्लेख	2	1
3	ई-वे बिल में उल्लिखित निलंबित वाहन	2	2
4	ई-वे बिल में उल्लिखित स्क्रैप किए गए वाहन	1	1
5	ई-वे बिल में उल्लिखित सरेंडर किए गए वाहन	3	3
6	ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है	2	2
	योग	**12**	**11**

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि सभी 10 करदाताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस/दंडात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

सिफारिश 3: विभाग ई-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाने पर विचार करे।

1.9.7 वैधता अवधि समाप्त होने के आठ घंटे बाद ई-वे बिलों का विस्तार

28 जून 2019 की अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (10) के अंतर्गत प्रावधान है कि जहां, ट्रांस-शिपमेंट सहित अपवादात्मक प्रकृति की परिस्थितियों में, माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के अंदर नहीं किया जा सकता है, वहां ट्रांसपोर्टर, अपेक्षित होने पर, फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग बी में विवरण अद्यतन करने के बाद वैधता अवधि को विस्तारित कर सकता है। ई-वे बिल की वैधता, उसकी समाप्ति के आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकती है।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि सोनीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत सम्मिलित दो करदाताओं से संबंधित ₹ 3.91 लाख के कर योग्य मूल्य वाले दो ई-वे बिलों ***(परिशिष्ट-1.9)*** की वैधता अवधि, इनके समाप्त होने के आठ घंटे बाद विस्तारित की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि एक करदाता के संबंध में सम्मन जारी किया गया था और दूसरे करदाता से जानकारी मांगी गई थी, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

1.9.8 ई-वे बिल सृजन के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल निरस्त करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (9) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, जहां इस नियम के अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट किया गया है, लेकिन माल का परिवहन नहीं किया गया या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया, वहां ई-वे बिल

जनरेट होने के चौबीस घंटे के अंदर कॉमन पोर्टल पर ई-वे बिल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के अंतर्गत सम्मिलित एक करदाता से संबंधित ₹ 4.59 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले दो ई-वे बिलों ***(परिशिष्ट-1.10)*** को जनरेट होने के चौबीस घंटे के बाद निरस्त कर दिया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि यह एक प्रणालीगत कमी थी और विभाग ने इस मामले के समाधान के लिए अगस्त 2024 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर संख्या को एक पत्र लिखा था।

1.9.9 ई-वे बिल के विवरण सूचित किए जाने के बहत्तर घंटे बाद ई-वे बिलों की अस्वीकृति

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (11 और 12) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, ई-वे बिल जनरेट होने पर उसका विवरण प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा। माल प्राप्तकर्ता को परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देना अपेक्षित है। यदि प्राप्तकर्ता, उसे विवरण दिए जाने के बहत्तर घंटे के अंदर या माल की डिलीवरी के समय, जो भी पहले हो, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, तो ई-वे बिल को स्वीकृत मान लिया जाएगा।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पानीपत और गुरुग्राम (उत्तर) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले दो करदाताओं से संबंधित दो ई-वे बिलों ***(परिशिष्ट-1.11)***, जिनमें ₹ 12.51 लाख का कर योग्य मूल्य सम्मिलित था, को सृजन के बहत्तर घंटे के बाद अस्वीकृत कर दिया गया।

इन मामलों में, यह भी पाया गया कि निर्धारित समय-सीमा के बाद ई-वे बिलों के विस्तार/निरस्तीकरण/अस्वीकृति को रोकने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र_ई-वे बिल पोर्टल में आवश्यक वैधता नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि पानीपत और गुरुग्राम (उत्तर) के करदाताओं के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की गई थी।

सिफारिश 4: विभाग ई-वे बिल वैधता विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने पर विचार करे।

1.9.10 ई-वे बिल सृजित करना

(i) असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता

नियम 138 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ पचास हजार से अधिक मूल्य के माल का संचलन करता है: (i) आपूर्ति के संबंध में; या (ii) आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य कारणों से; या (iii) किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण, ऐसे संचलन के आरंभ होने से पहले, कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त माल से संबंधित जानकारी फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-ए में प्रस्तुत करेगा।

डेटा विश्लेषण के दौरान, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ***(परिशिष्ट-1.12)*** के अंतर्गत आने वाले चार करदाताओं के मामले में असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात पाया गया। अतिरिक्त अभिलेख के अभाव और ई-वे बिल पोर्टल तक एक्सेस का प्रावधान न होने के कारण, कर प्रभाव को इंगित करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि एक मामले में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत द्वारा मांग और वसूली प्रमाण पत्र-01 ए जारी किया गया था।

(ii) केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता

डेटा के विश्लेषण के दौरान, 10 करदाताओं ***(परिशिष्ट-1.13)*** के मामले में यह पाया गया कि करदाताओं के पास केवल जावक आपूर्ति वाले ई-वे बिल थे। अतिरिक्त अभिलेख के अभाव और ई-वे बिल पोर्टल तक एक्सेस का प्रावधान न होने के कारण, कर प्रभाव स्थापित करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, यह पाया गया कि एक करदाता ने अपने पंजीकरण की वैधता अवधि, अर्थात 6 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक, बिना कोई कर चुकाए और बिना कोई वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल किए, ₹ 33.43 करोड़ के कर योग्य मूल्य के 123 ई-वे बिल जनरेट किए थे। विभाग ने आगे बताया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) ने अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत उस करदाता के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी थी (दिसंबर 2024)।

(iii) जोखिमपूर्ण गतिविधियों के लिए ई-वे बिल सृजित करना

चयनित नमूनों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 12 करदाताओं द्वारा ₹ 36.30 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 50 ई-वे बिल (68 मामले) जनरेट किए गए थे, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते थे:

1. पंजीकरण के छः माह के भीतर बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.14 क)***।
2. पिन कोड से पिन कोड तक अत्यधिक दूरी वाले ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.14 ख)***।
3. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एम.सी.ए.) के डिफॉल्टरों से संबंधित ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.14 ग)***।
4. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) की ब्लैक लिस्ट में डाली गई संस्थाओं के ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.14 घ)***।
5. विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी.जी.ए.आर.एम.) द्वारा अपराधों के लिए बुक किए गए पक्ष ***(परिशिष्ट-1.14 ङ.)***।
6. अमान्य पिन-कोड का उपयोग करके जनरेट किए गए ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.14 च)***।

तथापि, बीओवेब पोर्टल तक सीमित एक्सेस और ई-वे बिल पोर्टल का प्रावधान न होने के कारण ई-वे बिल का आगे विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसके बाद विभाग से वांछित जानकारी मांगी गई, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) ने दिसंबर 2024 में बताया कि अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत एक करदाता के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(iv) उन करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल जिनके पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिए गए थे

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, जहां कोई कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है किंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकेगा। निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल का सृजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह रिटर्न प्रस्तुत किए बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

चयनित नमूनों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि तीन करदाताओं से संबंधित ₹ 92.05 लाख के कर योग्य मूल्य वाले छः ई-वे बिल ***(परिशिष्ट-1.15)*** सृजित किए गए थे और बाद में उन करदाताओं के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। यह भी पाया गया कि चूककर्ताओं के विरुद्ध न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही कर देयता का कोई निर्धारण किया गया।

बीओवेब और ई-वे बिल पोर्टल पर सीमित एक्सेस के कारण, उपर्युक्त किसी भी मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में ई-वे बिल चालानों के समावेशन की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी। संपूर्ण वर्ष के लिए केवल जावक आपूर्ति से सृजित ई-वे बिल की कुल संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सका तथा चयनित नमूनों का आगे विश्लेषण नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि इन करदाताओं का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया था तथा उन्हें ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था।

1.10 ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)

ई-वे बिल से संबंधित डेटाबेस से जोखिम आधारित नमूनों का चयन किया गया तथा हरियाणा के क्षेत्राधिकार में आने वाले कुल 43,276 करदाताओं (438 कंपोजिशन करदाताओं सहित) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने मुख्य समस्या क्षेत्रों के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जनरेट किए गए ई-वे बिलों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों का पता कुछ मुख्य समस्या क्षेत्रों से सीधे लगाया जा सकता है। इन मुख्य समस्या क्षेत्रों के अंतर्गत निकाले गए डेटा को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए समग्र अभ्युक्तियों के रूप में विभाग के पास भेज दिया गया और की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त रिपोर्ट मांगी गई। विभाग के साथ साझा की गई समग्र अभ्युक्तियों का विवरण निम्नलिखित ***तालिका 1.5*** में दिया गया है।

तालिका 1.5: हरियाणा के क्षेत्राधिकार में सृजित ई-वे बिलों पर समग्र अभ्युक्तियां

क्र. सं.	समग्र अभ्युक्तियों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	सम्मिलित निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़ में)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा अंतरराज्यीय ई-वे बिल जनरेट करना	89	2.17	प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	04	6.50	
3	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	2,289	1,180.17	
4	पंजीकरण निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	1,988	2,302.29	
5	एक ही इनवॉइस का उपयोग करके डुप्लिकेट ई-वे बिल जनरेट करना	23,408	1,186.98	
6	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल करने वालों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	15,265	4,877.84	

उपर्युक्त विवरण विभाग को जुलाई 2023 में तथा सरकार को दिसंबर 2024 में भेज दिया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है कि क्या विभाग ने डेटा विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए उदाहरणों का संज्ञान लिया है और क्या करदाताओं को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

1.11 क्रॉस पैन विश्लेषण

(क) करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न होना/कम निर्वहन होना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 37 के अंतर्गत, कंपोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है, उन्हें वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4/वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-इनवॉइस-08 में कर का भुगतान करना होगा। धारा 31 में प्रावधान है कि कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जाएं, दर्शाते हुए एक कर इनवॉइस जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 138 में प्रावधान है कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, माल की आवाजाही करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 17 मामलों की पहचान की जहां करदाताओं ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में समान पैन वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल जनरेट किए थे, इनमें से 5 करदाताओं (प्रेषकों) का क्षेत्राधिकार हरियाणा में था और 12 हरियाणा के बाहर के क्षेत्राधिकारों से संबंधित थे ***(परिशिष्ट-1.16-क** और **परिशिष्ट-1.16-ख)***। इन क्रॉस पैन लेनदेन का निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 197.69 करोड़ (₹ 175.97 करोड़ + ₹ 21.72 करोड़) था।

चूंकि 12 प्रेषक हरियाणा के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे, इसलिए लेखापरीक्षा उनके रिटर्न की आगे जांच नहीं कर सकी। हरियाणा के पांच मामलों में से, एक मामले में यह पाया गया कि करदाता ने पंजाब में पंजीकृत एक करदाता को ₹ 168.59 करोड़ की आपूर्ति दर्शाते हुए ई-वे बिल जनरेट किए थे, लेकिन उसका पैन नंबर भी वही था। प्रेषक का वस्तु एवं सेवा कर

रिटर्न-1 उपलब्ध न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि करदाता ने अपनी जावक आपूर्ति में आपूर्ति दर्शाई है या नहीं। हालांकि, करदाता ने ₹ 7.29 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर कर का भुगतान किया है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि इन करदाताओं का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया था तथा उन्हें ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था।

1.12 करदाताओं के ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्रवाई

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138ई के अनुसार आयुक्त को पंजीकृत व्यक्ति से फार्म वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में आवेदन प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने तथा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर, वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 में आदेश द्वारा, वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-01 के भाग ए में उक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होगी।

लेखापरीक्षा ने उन करदाताओं का विवरण मांगा (अप्रैल 2023), जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में ई-वे बिल सुविधा के सृजन को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन किया था, और वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 में अनुरोधों की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में उचित अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का विवरण भी मांगा। विभाग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई जानकारी प्रदान नहीं की और बताया कि 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 84 और 17 करदाताओं ने फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में ई-वे बिल को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन किया था। यह देखा गया कि इन आवेदनों के विरुद्ध 2020-21 के केवल एक मामले में ही संबंधित अधिकारी ने वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 के अंतर्गत आदेश जारी किए थे।

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि ई-वे बिल ब्लॉक करना वार्ड अधिकारी अर्थात करदाता के विश्लेषण के बाद वार्ड के संबंधित अधिकारी से संबंधित था और इसका प्रवर्तन कार्य से कोई संबंध नहीं है।

उत्तर में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि ई-वे बिलों को अनब्लॉक करने के 101 अनुरोधों में से, अधिकारी ने केवल एक करदाता के लिए ई-वे बिल सुविधा को अनब्लॉक किया है। अन्य सभी आवेदन अभी भी लंबित हैं।

1.13 विभाग का प्रवर्तन कार्य

1.13.1 क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं

राज्य में 27 राजस्व जिले हैं और प्रत्येक राजस्व जिले में एक समर्पित प्रवर्तन इकाई है, जो उस जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के नियंत्रण में माल की आवाजाही की सड़क किनारे जांच करती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भी यही प्रवर्तन व्यवस्था थी, जिसे अब वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अपनाया गया है। इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दूसरे उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों के ई-वे बिल से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें (i) परिचालन संबंधी तैयारी, (ii) अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय

समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सत्यापित ई-वे बिलों की औसत संख्या के आधार पर 27 प्रवर्तन इकाइयों में से 14 इकाइयों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियां और खामियां पाई गई, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

1.14 विभाग की परिचालन संबंधी तैयारी

1.14.1 पर्याप्त कार्यबल की कमी

राजस्व जिले में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अधीन कार्यरत सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी सड़क किनारे माल की आवाजाही की जांच के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (प्रवर्तन) की टीम में कराधान निरीक्षक, चपरासी और वाहन चालक शामिल होते हैं जिन्हें जिला स्तर पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अधीन कार्यरत सामान्य पूल से लिया जाता है। यह देखा गया कि सभी वर्षों में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की समग्र रिक्तियां थी जो 2020-21 में अधिकतम 58 प्रतिशत थी, जैसा कि ***तालिका 1.6*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (प्रवर्तन) में कार्यबल की स्थिति

वर्ष	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की कार्यशील स्थिति	रिक्ति की प्रतिशतता
2018-19	65	38	42
2019-20	65	44	32
2020-21	65	27	58
2021-22	65	51	22

स्रोत: आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

पदों की अधिक रिक्ति के कारण, ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कार्यकारी इकाइयों से मानव संसाधनों को हटाया जा रहा है। समर्पित व्यवस्था होने के बाद भी, कर्मचारियों की संख्या में रिक्तियों की उच्च दर का ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि विभाग ने आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-वार्ड प्रभारी को पुनः क्रियान्वित करके सड़क किनारे जांच के आधार को व्यापक बनाने का प्रयास किया है, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कार्यभार सौंपा जा सकता है।

1.15 अपवंचन निवारक उपायों की प्रभावशीलता

1.15.1 दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम[10], 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,

[10] नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(2)[11] कार्यालयों/विभागों का यह वैधानिक दायित्व निर्धारित करती है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और यथाशीघ्र अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा के दौरान, ई-वे बिल के संदर्भ में प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित जानकारी और अभिलेख मांगे गए थे। इकाइयों ने दर्ज किए गए 176 नमूना मामलों में से 47 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए ***(परिशिष्ट-1.17)***। लेखापरीक्षा चयनित नमूना मामलों को प्रमाणित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप केवल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए निर्धारण और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ा क्योंकि निर्धारण का कोई दस्तावेजी प्रमाण जैसे वीडियोग्राफी या भौतिक सत्यापन का फोटोग्राफी प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का सारांश ***तालिका 1.7*** में दिया गया है:

तालिका 1.7: फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

प्रवर्तन इकाई	नमूना दर्ज मामलों की संख्या[12]	प्रस्तुत न किया जाना दर्ज मामलों की संख्या
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम)	20	3
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर)	20	6
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पानीपत	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, झज्जर	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पंचकुला	10	3
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जगाधरी	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण)	20	20
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फतेहाबाद	9	9
योग	**109**	**47**

इसके अतिरिक्त, 14 चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे चेकिंग के कारण प्राप्त कर एवं पेनल्टी की राशि वस्तु एवं सेवा कर संख्या पोर्टल पर अपलोड की गई राशि से अधिक थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ने समेकित आंकड़े एकत्र किए और अंतर ***तालिका 1.8*** में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख और आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार एकत्रित कर एवं पेनल्टी के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया जी.एस.टी.-ई.डब्ल्यू.बी-03 भाग बी के अनुसार कर एवं पेनल्टी	ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया वास्तव में एकत्रित कर एवं पेनल्टी	अंतर	जी.एस.टी.एन. में दर्शाई गई कम प्रतिशतता
2018-19	32.97	114.75	81.78	248.04
2019-20	23.04	84.20	61.16	265.45
2020-21	16.11	80.68	64.57	400.81
2021-22	37.83	135.68	97.85	258.65

स्रोत: आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

11 धारा 18(2): किसी कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखों का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण और लेखापरीक्षा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा और सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप में और सभी उचित शीघ्रता के साथ अनुपालन करेगा।

12 लीड ऑफिस द्वारा दर्ज मामलों की व्याख्या की जाए।

जैसा कि उपर्युक्त डेटा से स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी सड़क किनारे कर संग्रह से संबंधित संपूर्ण डेटा वस्तु एवं सेवा कर संख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण डेटा (ई-वे बिल-3) के अपूर्ण अपलोड के कारण, लेखापरीक्षा का दायरा वास्तविक मामलों और दर्ज की गई राशि के बजाय पोर्टल पर अपलोड की गई राशि/बिलों तक सीमित हो गया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि अधिकांश फाइलें अब उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और शेष लंबित अभिलेखों का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे।

तथापि, विभाग के उत्तर में पोर्टल पर कर एवं पेनल्टी संग्रह अभिलेख की अपूर्ण अपलोडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया था।

1.15.2 वाहनों के अवरोधन के लिए दिशानिर्देश

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने तीन परिपत्रों[13] के माध्यम से, आवागमन में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन तथा ऐसे माल और वाहनों को रोकने, छोड़ने और जब्त करने की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा का पता लगाने का प्रयास किया। इसके लिए, 14 प्रवर्तन इकाइयों से संबंधित 176 दर्ज मामलों में से 129 मामलों का सत्यापन किया गया और 47 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन 129 मामलों को जांच के लिए चुना गया और पाए गए विचलनों का विवरण ***तालिका 1.9*** में दिया गया है:

तालिका 1.9: चयनित 129 मामलों में पाए गए विचलनों का विवरण

पाए गए विचलनों का विवरण	दर्ज मामलों की कुल संख्या	सत्यापित दर्ज मामलों की संख्या (नमूना लिए गए 176 मामलों में से)	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
जब वाहन का अवरोधन किया गया था और ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तो वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान वस्तु एवं सेवा कर-एम.ओ.वी.-1 में दर्ज नहीं किया गया है	7,109	129	3 **(परिशिष्ट-1.18-क)**
वस्तु एवं सेवा कर - एम.ओ.वी.-2 में वाहन के भौतिक निरीक्षण का आदेश जारी नहीं किया गया था	7,109	129	3 **(परिशिष्ट-1.18-क)**
वस्तु एवं सेवा कर एम.ओ.वी.-4 में निरीक्षण रिपोर्ट वाहन के प्रभारी व्यक्ति को नहीं दी गई है	7,109	129	3 **(परिशिष्ट-1.18-क)**
वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-03 (भाग-बी) में अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट लंबित थी	7,109	129	शून्य
जब्त किए गए वाहनों को लंबे समय तक रोके रखने के विरुद्ध अपील वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-04 में प्राप्त हुई थी	7,109	129	शून्य
वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-11 में नोटिस जारी कर माल जब्त करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जब वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-07 में मांगी गई राशि का भुगतान सात दिन के भीतर नहीं किया गया	7,109	129	16 **(परिशिष्ट-1.18-ख)**

[13] परिपत्र संख्या 500-02/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 12.10.2018, 1761-62/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 4.6.2018 और 506-08/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक: 12.10.2018.

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और निम्नलिखित से अवगत कराया (नवंबर 2024): (i) एम.ओ.वी.-01 जारी करने के लिए निर्धारित समय कम था और वाहन प्रभारी की विस्तृत स्थिति दर्ज करने में समय लग रहा था। (ii) सभी उचित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। (iii) निरीक्षण रिपोर्ट एम.ओ.वी.-04 साझा किए बिना, पेनल्टी की राशि का भुगतान करने वाले संबंधित व्यक्ति द्वारा पेनल्टी जमा नहीं की जा सकती है। (iv) प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया था।

तथापि, विभाग का उत्तर इस तथ्य पर मौन है कि तीन मामलों में एम.ओ.वी.-4 जारी नहीं किया गया था, लेकिन कर एवं पेनल्टी अभी भी एकत्र की गई थी।

1.15.3 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्रित कर एवं पेनल्टी के लिए मांग न उठाना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 (1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन करता है, वहां ऐसे सभी माल और उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए गए वाहन तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज अवरोध या जब्ती के लिए पात्र होंगे और अवरोध या जब्ती के पश्चात् उन्हें छोड़ दिया जाएगा, - (क) ऐसे माल[14] पर देय कर के शत-प्रतिशत के बराबर लागू कर एवं पेनल्टी के भुगतान पर और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या ₹ पच्चीस हजार, जो भी कम हो, के भुगतान पर जहां माल का मालिक ऐसे कर एवं पेनल्टी के भुगतान के लिए आगे आता है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त[15] द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर एम.ओ.वी.-09[16] प्रपत्र में आदेश को कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा कार्यवाही से प्रोद्भूत मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन इकाइयों[17] से संबंधित 12 दर्ज मामलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण नीचे ***तालिका 1.10*** में दिया गया है:

तालिका 1.10: दर्ज किए गए 12 मामलों में पाई गई विसंगतियों का विवरण

पाई गई विसंगतियों का विवरण	मामलों की संख्या	शामिल राशि (₹ लाख में)		
		कर	पेनल्टी	योग
अवरोधन के दौरान रोके गए वाहनों को कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान सुनिश्चित किए बिना और मांग उठाए बिना छोड़ दिया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर एवं पेनल्टी जमा किया गया लेकिन मांग और वसूली प्रमाणपत्र-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पी.एम.टी.-05) में डेबिट नहीं किया गया	8 **(परिशिष्ट-1.19-क)**	6.09	6.95	13.04
कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान करने पर वाहनों को बिना मांग उठाए छोड़ देना	4 **(परिशिष्ट-1.19-ख)**	8.36	8.96	17.32

14 दिनांक 1 जनवरी 2022 से पेनल्टी राशि देय कर के दो सौ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई।

15 परिपत्र 1761-62/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 4 जून 2018 का पैरा 2(एच)।

16 कर एवं पेनल्टी की मांग का आदेश।

17 फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर) और पानीपत।

यह देखा गया कि जिन आठ मामलों में कर एवं पेनल्टी जमा की गई थी, लेकिन मांग और वसूली प्रमाणपत्र-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पी.एम.टी.-05) में डेबिट नहीं की गई थी, उनमें से सात मामले 2018-19 और 2019-20 से संबंधित थे और केवल एक मामला 2021-22 से संबंधित है। इससे पता चलता है कि अधिकांश विसंगतियां ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान हुईं।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि एक मामले में ₹ 16,600 के ब्याज सहित ₹ 41,600 की पेनल्टी वसूल की जा चुकी है और फरीदाबाद (उत्तर) से संबंधित राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

1.16 ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर्विभागीय समन्वय

ई-वे बिल सीधे तौर पर माल की आवाजाही से जुड़ा हुआ है और प्रवर्तन इकाइयों को ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन दायित्व सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है और प्रत्येक जिले की प्रवर्तन इकाइयों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल के माध्यम से उन रिपोर्टों तक पहुंच उपलब्ध है।

जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग की प्रभावशीलता और विभाग में अंतर्विभागीय समन्वय की स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया। वाहनों के अवरोधन से संबंधित फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि कोई अंतर्विभागीय समन्वय नहीं था क्योंकि ऐसा कोई पत्राचार अभिलेख नहीं था जिससे पता चले कि अवरोधन से संबंधित कोई सूचना संबंधित प्राधिकारी को भेजी गई है।

1.16.1 अवरुद्ध क्रेडिट पर जानकारी पारित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, वाहनों की जांच के दौरान यदि कोई विसंगति पाई गई तो 31 दिसंबर 2021 तक कर एवं पेनल्टी उद्ग्राह्य होगी। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार, धारा 129 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किए गए किसी भी कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, जब भी धारा 129 के अंतर्गत कोई कर संगृहीत किया जाता है, तो प्राप्तकर्ताओं और संबंधित अधिकारी को अलर्ट संदेश भेजने के लिए वस्तु एवं सेवा कर संख्या में तंत्र होना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि ₹ 1.57 करोड़ ***(परिशिष्ट-1.20-क और 1.20-ख)*** के कर से जुड़े 85 मामलों में {20 मामले (कर राशि ₹ 21.87 लाख) हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित थे और 65 मामले (कर राशि ₹ 1.35 करोड़)} हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य से संबंधित थे, वस्तु एवं सेवा कर डेटा तक सीमित पहुंच के कारण लेखापरीक्षा यह प्रमाणित नहीं कर सकी कि प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया था या नहीं। तथापि, यह समझा गया कि वस्तु एवं सेवा कर संख्या में न तो प्राप्तकर्ताओं और संबंधित सक्षम अधिकारी को अलर्ट भेजने की कोई तंत्र है और न ही विभाग ने धारा 17(5) के अंतर्गत अवरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारी को कोई सूचना भेजी।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि 20 मामलों के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार के अलावा 65 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.16.2 अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र "नागरिकों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल" (एच5 रिपोर्ट) नामक एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिलों का विवरण दिया जाता है। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या इन रिपोर्टों का उपयोग आबकारी एवं कराधान विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा कर का दायरा बढ़ाने के लिए किया गया था, लेखापरीक्षा ने चयनित 13 प्रवर्तन इकाइयों द्वारा ऐसी रिपोर्टों के उपयोग की जांच की।

आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 3,693.16 करोड़ मूल्य के 163 ई-वे बिल जावक आपूर्ति के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए थे। ई-वे बिलों में दर्शाई गई आपूर्ति का मूल्य पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा, अर्थात हरियाणा के मामले में ₹ 40 लाख, से अधिक था। इसे जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के साथ साझा किया गया था। हालांकि, इस मामले में उत्तर प्रतीक्षित थे।

1.17 सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट का उपयोग न करना

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-वे बिल लेनदेन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है जैसे (i) वाहनों की गैर-आवाजाही रिपोर्ट (बी-1 रिपोर्ट); (ii) एक ही वाहन की कई बार आवाजाही (बी4 रिपोर्ट); (iii) अन्य वाहनों की कई बार आवाजाही (बी5 रिपोर्ट) और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर विभागों के साथ साझा करता है। यह पता लगाने के लिए कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन की योजना बनाने के लिए इन रिपोर्टों का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है, यह देखा गया कि

(i) प्रवर्तन इकाइयों को एकसमान पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।

(ii) विभाग किसी भी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहा है।

(iii) कोई भी प्रवर्तन इकाई ई-वे बिल पर आधारित विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी.जी.ए.आर.एम.) या किसी अन्य समान एजेंसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अलावा) से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर रही थी।

प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के उपयोग के अभाव में, वाहन अवरोधन की योजना बनाने के पीछे के तर्कसंगत आधार का पता नहीं लगाया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से हरियाणा राज्य कैडर के लिए उनके द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुंच का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

सिफारिश 5: विभाग प्रवर्तन कार्यप्रवाह में विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग उपकरणों को एकीकृत करके, संसाधन आवंटन में सुधार, सक्रिय विसंगति पहचान और अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा परिचालन दक्षता बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

1.18 निष्कर्ष

हरियाणा राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 32 करदाताओं से संबंधित 80 ई-वे बिलों का एक नमूना चुना गया था। लेखापरीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता में अनेक कमियां पाई गई।

यह देखा गया कि ई-वे बिल प्रणाली, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा माल की अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय आवाजाही में अंतर करने में असमर्थ थी और दोनों ही मामलों में ई-वे बिल के सृजन की अनुमति दी गई। ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां ई-वे बिल जनरेट किए गए, लेकिन करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधि के लिए 'शून्य' वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 फाइल की और अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि ई-वे बिल उन करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए थे जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे और जिनका पंजीकरण कर देयता का निपटान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल पोर्टल एक ही इनवॉइस पर कई ई-वे बिल जनरेट करने की अनुमति देता है। ऐसे मामले भी थे जहां यह देखा गया कि चोरी, स्क्रैप, सरेंडर, निरस्त और निलंबित किए गए वाहनों आदि के उपयोग से माल की आवाजाही प्रभावित हुई।

प्रवर्तन गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं के मूल्यांकन के दौरान, परिचालन संबंधी तैयारी, कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता; तथा अंतर-विभागीय और अंत:-विभागीय समन्वय में कमियां पाई गई।

प्रवर्तन इकाइयां वाहन के अवरोधन की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर रही थी।

प्रणाली में देयता को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था और वाहनों को रोकड़ बही में दर्शाए गए क्रेडिट के आधार पर जारी किया गया था, लेकिन देयता का सृजन और समायोजन नहीं किया गया था।

1.19 सिफारिशें

विभाग निम्नलिखित पर विचार करे:

1. ***पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिल पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करे।***

2. ***एक ही इनवॉइस पर कई ई-वे बिलों के सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाना।***

3 ई-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाना।

4 ई-वे बिल वैधता विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के लिए समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

5 विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग उपकरणों को प्रवर्तन कार्यप्रवाह में एकीकृत करके, संसाधन आबंटन में सुधार करके, सक्रिय विसंगति पहचान और अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा परिचालन दक्षता बढ़ाना।

अध्याय 2

वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2 वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II

2.1 प्रस्तावना

केंद्र और राज्यों द्वारा उद्ग्रहित और एकत्र किए जाने वाले कई करों का स्थान वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रस्तावना ने ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, प्रत्येक मूल्यवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र एवं राज्य एक साथ समान कर आधार पर वस्तु एवं सेवा कर का उद्ग्रहण करते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी.) राज्य के भीतर आपूर्ति पर उद्ग्रहित किया जाता है, और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर उद्ग्रहित किया जाता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर (एच.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 की धारा 59 वस्तु एवं सेवा कर को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अनुसार कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का निर्वहन और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता पर निहित है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न कॉमन वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, अन्यथा जुर्माना देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान बिजनेस पर कोई कर देय न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करनी होगी। आगे, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61, यह निर्धारित करती है कि सक्षम अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच की जाए और करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन और विभाग की निगरानी तंत्र के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। 'वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी कि:

i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

ii. क्या रेंज/विभागीय फील्ड कार्यालयों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण (वस्तु एवं सेवा कर विंग से प्राप्त डेटा) के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम वाले क्षेत्रों और विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.), कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग डोमेन पर 17 विचलनों की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा[1] के माध्यम से अनुपालन किया गया था, जिससे इन विचलनों को संबंधित राज्य के विभागीय फील्ड गठनों को सूचित किया गया था और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार गठनों द्वारा की गई कार्रवाई को फील्ड विजिटों को शामिल किए बिना सुनिश्चित किया गया। केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा को विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार फील्ड गठनों में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए फील्ड विजिट शामिल थे। रिटर्नों तथा संबंधित अनुलग्नकों और जानकारी को *boweb.internal.gst.gov.in* पर करदाताओं से संबंधित आंकड़ों/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्य) की जांच करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के एप्लिकेशन के बैक-एंड सिस्टम के माध्यम से एक्सेस किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित फील्ड गठनों के माध्यम से बीजक जैसे प्रासंगिक विस्तृत अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, चयनित विभागीय फील्ड गठनों में रिटर्नों की जांच जैसे विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों की भी संवीक्षा की गई थी।

विभाग द्वारा रिटर्नों की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड गठनों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि को शामिल किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई थी।

फील्ड लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एंट्री कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (नवंबर 2024) आयोजित की गई थी। विभाग के उत्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा नमूना

नियोजन के साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट

[1] केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित बही-खाता, बीजक, अनुबंध आदि की मांग करना शामिल नहीं था।

शामिल था जिसमें फील्ड विजिट शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जिसमें फील्ड विजिट और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और विभाग के फील्ड गठनों के अनुपालन कार्यों के निर्धारण के लिए विभाग के फील्ड गठनों का नमूना भी शामिल था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I - विभागीय फील्ड गठनों की लेखापरीक्षा (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त)

कर प्रशासन के लिए, हरियाणा राज्य को 27 जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तालय में विभाजित किया गया है। लेखापरीक्षा ने विभागीय फील्ड गठनों के निगरानी कार्यों के निर्धारण के लिए 27 जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से 10 जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.)[2] का चयन किया। इसमें 2022-23 में रेंज अधिकारियों द्वारा संवीक्षित मामलों को शामिल किया गया।

(ii) भाग II - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के निर्धारण के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों के अनुसार उच्च-मूल्य अथवा उच्च-जोखिम विचलनों और रिटर्नों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 17 मापदंडों के अंतर्गत केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए 380 करदाताओं का चयन किया गया।

(iii) भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के निर्धारण के लिए विभाग के फील्ड गठनों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों को एक्सेस करके विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। 'विस्तृत लेखापरीक्षा' के लिए करदाताओं का नमूना इनपुट टैक्स क्रेडिट में असंगति, कर देयता में असंगति, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 18 जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[3] से बड़े (एल1 एवं एल2)[4], मध्यम[5], लघु[6] और बहु-स्थान[7] इकाई करदाताओं को मिलाकर 70 करदाताओं का चयन किया गया था।

(परिशिष्ट-2.1)

---

2 हिसार, जगाधरी, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाडी और रोहतक।

3 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाडी, रोहतक और सोनीपत।

4 प्रथम श्रेणी में बड़े करदाता शामिल हैं - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का शीर्ष 0.25 प्रतिशत (एल1 श्रेणी); दूसरी श्रेणी में बड़े करदाताओं का अगला समूह शामिल है - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का अगला 0.25 प्रतिशत (एल2 श्रेणी)।

5 तीसरी श्रेणी में मध्यम करदाता शामिल हैं - शेष करदाता जिनका न्यूनतम टर्नओवर ₹ 20 करोड़/₹ 10 करोड़/ ₹ 7.5 करोड़ है (न्यूनतम सीमाएं केंद्र/राज्य क्षेत्राधिकार में गतिविधि के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए परिभाषित की गई हैं)।

6 चौथी श्रेणी में सबसे निचला स्तर शामिल है - शेष करदाता जिनका न्यूनतम टर्नओवर ₹ 5 करोड़/₹ 2.5 करोड़ है (न्यूनतम सीमाएं केंद्र/राज्य क्षेत्राधिकार में गतिविधि के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए परिभाषित की गई हैं)।

7 पांचवीं श्रेणी, रैंडम सैंपल से चयनित बहु-स्थान इकाइयों के 10 प्रतिशत करदाता।

2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान ***तालिका 2.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: मानदंड का स्रोत

क्र.सं.	विषय	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियम
1.	कर का भुगतान	अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53 तथा अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
2.	वस्तु एवं सेवा कर की रिटर्न फाइल करना	अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47 तथा अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81 हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमों का भाग-बी रिटर्न का प्रारूप निर्धारित करता है।
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना और उसका उपयोग करना	अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21 तथा नियम 36 से 45
4.	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66 तथा अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त, रिटर्न फाइल करने, विभिन्न रिटर्न फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न फाइल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दरों, कर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना, रिटर्न की जांच और कर अनुपालन की निगरानी से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र और मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जिसमें रिटर्न फाइल करने, रिटर्न की जांच, लेखापरीक्षा, पंजीकरण निरस्त करने और कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) रिपोर्ट आदि के सत्यापन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय कार्यालयों को निर्देश शामिल हैं लेखापरीक्षा मानदंड का भी हिस्सा बने।

2.6 लेखापरीक्षा उपलब्धियां- विभागीय क्षेत्रीय गठनों की लेखापरीक्षा

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हरियाणा राज्य 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में विभाजित है। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास निगरानी कार्यों के संबंध में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनका निर्धारण इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में किया गया था। तदनुसार, चयनित 10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से प्रासंगिक अभिलेख और जानकारी मांगी गई। लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.6.1 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करने वालों पर कार्रवाई न करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त

व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने चयनित 10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के लिए राज्य कर विभाग के boweb.internal.gst.in पोर्टल के माध्यम से एम.आई.एस. रिपोर्ट से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न न भरने/देरी से फाइल करने वालों से संबंधित आंकड़े निकाले। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 6,064 करदाताओं ने सात महीने या उससे अधिक समय तक वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की। हालांकि, विभाग ने इस अवधि के दौरान इनमें से किसी भी मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी नहीं किया।

यह लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2024 में इंगित किया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(परिशिष्ट-2.2)

2.6.2 पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कंपोजीशन लेवी योजना के करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल न करने, सामान्य करदाता लगातार छः माह की अवधि तक रिटर्न फाइल न करने, पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण की तिथि से छः माह के भीतर बिजनेस शुरू न करने और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त करने के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वत: निरस्त करने की अनुमति प्रदान करती है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार (क) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.) या अनिवासी करयोग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजिशन करयोग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 51-कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों या धारा 52-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, से अन्य प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि या निरस्तीकरण आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करनी अपेक्षित है। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन कर दे। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल न करने के मामले में, कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी रिटर्न को फाइल न करने के लिए अपनाई जाती है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की कार्यप्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभाग द्वारा 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए कुल 55,984 स्वतः संज्ञान निरस्तीकरण मामलों को मंजूरी दी गई थी। निरस्तीकरण की मंजूरी के बाद, फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करनी अपेक्षित थी, लेकिन 49,641 करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल नहीं की। इन रिटर्न फाइल न करने वालों को फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे, लेकिन 40,344 मामलों में फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी नहीं किए गए थे। क्षेत्राधिकारियों ने रिटर्न फाइल न करने वालों के विरूद्ध फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के संबंध में कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं की थी।

यह लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2024 में इंगित किया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(परिशिष्ट-2.3)

2.6.3 रिटर्नों की जांच

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 99 के साथ पठित पर रिटर्न की संवीक्षा में यह प्रावधान है कि:

(1) जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई रिटर्न जांच के लिए चुनी जाती है, वहां सक्षम अधिकारी अपने पास उपलब्ध सूचना के संदर्भ में धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी जांच करेगा और किसी विसंगति की स्थिति में वह उक्त व्यक्ति को फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ए.एस.एम.टी.-10 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे ऐसी विसंगति की सूचना दी जाएगी और नोटिस जारी होने की तारीख से अधिकतम तीस दिन के भीतर या उसके द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जहां संभव हो, ऐसी विसंगति के संबंध में देय कर, ब्याज और किसी अन्य राशि की मात्रा भी निर्धारित की जाएगी।

(2) पंजीकृत व्यक्ति उल्लिखित विसंगति को उपनियम (1) के अंतर्गत जारी नोटिस में स्वीकार करेगा, तथा ऐसी विसंगति से उत्पन्न कर, ब्याज और अन्य राशि का भुगतान करेगा और सक्षम अधिकारी को फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ए.एस.एम.टी.-11 में विसंगति के बारे में सूचित करेगा या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रस्तुत जानकारी स्वीकार्य पाई जाती है, सक्षम अधिकारी उसे फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ए.एस.एम.टी.-12 में तदनुसार सूचित करेगा।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 47 में यह प्रावधान है कि “कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 44 के अंतर्गत अपेक्षित रिटर्न नियत तिथि तक प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए का विलंब शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उसके टर्नओवर के एक चौथाई प्रतिशत गणना की गई राशि से अधिक नहीं होगा।” वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी क्रमशः ₹ दो करोड़ और ₹ पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य थी।

हरियाणा संवीक्षा नियमावली, 2022 में प्रावधान है कि मामले की संवीक्षा करते समय, सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 50 के अनुसार ब्याज देयता उद्ग्रहित की जाएगी। इसमें धारा 47 के अंतर्गत रिटर्न देर से फाइल करने पर विलंब फीस उद्ग्रहण का भी प्रावधान है।

नमूना में लिए गए दस उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 2017-18 की अवधि के लिए जांच हेतु चुने गए कुल 7,881 मामलों में से 2,444 मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा ने 200 जांच मामलों के नमूने चुने और पाए गए महत्वपूर्ण परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) ब्याज का कम उद्ग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है, अधिकतम 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान स्वयं करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।"

दो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[8], जिनमें विभाग द्वारा रिटर्नों की जांच (जनवरी और मार्च 2024 के मध्य) की गई थी, के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पता चला कि विभाग ने कर के विलंबित भुगतान पर दो मामलों में ₹ 3.17 करोड़ का कम ब्याज उद्ग्रहित किया।

(i) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, रोहतक के अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2024) कि जीएसटीआईएन-06Axxxxxxxxx1ZR वाले करदाता ने वर्ष 2017-18 के ₹ 16.32 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 कर देयता का भुगतान विलंब से किया था। कर देयता के विलंबित भुगतान पर ₹ 3.19 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया जाना था, लेकिन सक्षम अधिकारी ने ₹ 0.08 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। ₹ 3.10 करोड़ का ब्याज कम उद्ग्रहित किया गया।

यह इंगित किए जाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, रोहतक ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया गया था तथा अब ₹ 3.21 करोड़ का ब्याज भी शामिल कर दिया गया था।

(ii) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, झज्जर के एक मामले में, जीएसटीआईएन-06Axxxxxxxxxx1ZG वाले करदाता ने ₹ 1.19 करोड़ की अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया और 70 से 157 दिनों की देरी से इसे वापस कर दिया, लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा ₹ 0.07 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(ख) ए.एस.एम.टी.-12 को त्रुटिपूर्ण जारी करना

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (राज्य वस्तु एवं सेवा कर), कैथल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या- 06AAXXXXXX1R1ZX वाली एक

---

[8] झज्जर और रोहतक।

फर्म का वार्षिक टर्नओवर वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 16.59 करोड़ था। वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए अनिवार्य रूप से पात्र होने के बावजूद, करदाता ने वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और 9सी) फाइल नहीं की। मामले की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई, लेकिन वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के कारण उक्त फर्म पर 1,149 दिनों (6 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए ₹ 200 प्रतिदिन की विलंब फीस अर्थात ₹ 2.30 लाख नहीं लगाई गई थी। सक्षम अधिकारी ने रिटर्न फाइल न करने पर विलंब फीस लगाए बिना ए.एस.एम.टी.-12 जारी कर दिया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

2.6.4 अन्य मामले: राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग में मानव संसाधन

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर और अभिन्न आधार पर कर संरचना और प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण बदलाव आए। वस्तु एवं सेवा कर के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में मूलभूत घटक मानव संसाधन है।

कर प्रशासन के लिए, राज्य को 5 रेंज और 27 कराधान जिलों में विभाजित किया गया है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार, राज्य कर आयुक्त विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य कर के अपर आयुक्त और राज्य कर के संयुक्त आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर, अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य कर उपायुक्त, राज्य कर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी, राज्य कर के सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी और कराधान निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने वस्तु एवं सेवा कर विंग के सुचारू संचालन के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विंग में तैनाती के लिए पदनाम सहित कार्मिकों/कार्यालयों की संख्या से संबंधित जानकारी मांगी थी (अप्रैल 2024)।

विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर विभाग (मार्च 2023) में तैनात मानव संसाधनों का विवरण प्रदान किया (जुलाई 2024)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत 1,075 पदों में से 32 प्रतिशत पद (344 पद) रिक्त थे।

(परिशिष्ट-2.4)

पर्याप्त मैनपावर के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो पंजीकरण रद्द करने, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए नोटिस जारी न करने आदि के मामलों में कार्रवाई की कमी से स्पष्ट है, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में चर्चा की गई है।

2.7 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के मध्य नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के समूह पर की गई, जिन्हें मुख्यत: पांच डोमेन अर्थात पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तेरह निर्धारित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों[9] में से सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मेल न होने की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1: वस्तु एवं सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न तथा इसमें वस्तु एवं सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी: हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ दावा किए गए बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न फाइल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पॉप्युलेट करता है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिन्हें अक्तूबर 2018 में शुरू किए गए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत स्रोत पर एकत्र कर (टी.सी.एस.) में कटौती करना अपेक्षित है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अतिरिक्त सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फार्म। यह मूल रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में फाइल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के मध्य एक समाधान विवरण है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम-जनरेटेड विवरण है। इसमें उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विवरण, प्रतिपक्ष

---

9 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 (कंपोजिशन योजना के अनुसार करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति (ओ.आई.डी.ए.आर.) सेवा प्रदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 (टी.डी.एस. काटने वाले करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (वार्षिक रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 (अंतिम रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-11 (यूआईएन रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन (सी.एम.पी.)-08, और इनपुट टैक्स क्रेडिट-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामान के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा फाइल किया जाने वाला विवरण)।

द्वारा क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 से विवरण और एंट्री बिल पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई.) पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

सत्रह पहचाने गए जोखिम मापदंडों और देखे गए विचलनों/असंगतियों की सीमा ***(परिशिष्ट-2.5)*** पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल राज्य डेटा विश्लेषण को ***तालिका 2.2*** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.2: नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	करदाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डोमेन: इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)					
1	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच आई.टी.सी. का मिलान न होना	जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध आई.टी.सी., उसके सभी संशोधनों सहित, तथा जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4ए(5) में लिया गया आई.टी.सी., जिसमें तालिका 4(डी) का ब्लॉक्ड क्रेडिट भी शामिल है, और आगामी वर्षों के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से।	45	73	1,438.87
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.	जी.एस.टी.आर.-9, विशेष रूप से जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए से संबंधित डेटा की तुलना जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए आई.टी.सी. डेटा से की गई।	20	45	413.47
3	सीमा अवधि के बाद फाइल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.	सितंबर की नियत तारीखों के बाद करदाता द्वारा फाइल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आई.टी.सी. की पहचान अगले वर्ष के जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न के डेटा की जांच करके की गई।	35	44	179.28
4	इनपुट सेवा वितरक (आई.एस.डी.) क्रेडिट को गलत प्राप्त करना	जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6जी या जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 4(ए) (4) में अंतरित आई.एस.डी. की तुलना प्राप्तकर्ता जी.एस.टी.आई.एन. के जी.एस.टी.आर.-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग के साथ की गई।	25	35	17.14
5	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/ जी.एस.टी.आर.-9 में कर का भुगतान	जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1 (डी) में आई.टी.सी. भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आई.टी.सी. के साथ की गई। जिन मामलों में जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं थी, उनमें जांच को जी.एस.टी.आर.-3बी के भीतर सीमित कर दिया गया था - जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(डी) में चुकाए गए कर की तुलना तालिका 4ए (2) और 4ए (3) में प्राप्त आई.टी.सी. से की गई थी।	25	34	266.55
6	वार्षिक रिटर्न और लेखा बहियों के बीच प्राप्त आई.टी.सी. का मेल न होना	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा और तालिका 13 में दिए गए मेल न होने के कारणों की जांच	10	16	239.95
7	वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. और वित्तीय विवरणों में व्यय के बीच मिलान	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 14टी में सकारात्मक आंकड़ा और तालिका 15 में दिए गए मेल न होने के कारणों की जांच	10	19	429.89
डोमेन: कर भुगतान					
8	निपटान न की गई देयताएं	जी.एस.टी.आर.-1 (तालिका 4 से 11) और जी.एस.टी.आर.-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच कर देयता में से जो अधिक है, उसकी तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में दिए गए कर भुगतान के विवरण से की गई। जिन मामलों में जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं थी, वहां जी.एस.टी.आर.-3बी पर चुकाए गए कर की तुलना जी.एस.टी.आर.-1 देयता से की गई। जी.एस.टी.आर.-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर विधिवत विचार किया गया।	45	97	4,014.98

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	करदाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
9	ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य का छिपाव	जहां जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1 (ए) + (बी) में देय कर, ई-वे बिलों में घोषित कर देयता से कम था।	35	91	14,971.31
10	लेखा बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में मेल न होना	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और तालिका 10 में दिए गए मेल न होने के कारणों की जांच	10	16	103.03
11	टी.डी.एस./टी.सी.एस. घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का छिपाव	ऐसे मामलों की पहचान की गई, जहां जी.एस.टी.आर.-3बी में जावक कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटेड, निल रेटेड और छूट प्राप्त के अतिरिक्त) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जी.एस.टी.आर.-2 की तालिका 9 के अनुसार टी.सी.एस. और टी.डी.एस. क्रेडिट के लिए उत्तरदायी निवल राशि से कम था।	15	19	333.26
12	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मेल न होने के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का छिपाव	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5बी के आंकड़े, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बिल रहित राजस्व को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले जी.एस.टी.आर.-9सी रिटर्न की तालिका 5एच से की गई, जो वर्ष के अंत में बिल न किए गए राजस्व को दर्शाती है, ताकि वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर और वित्तीय विवरणों में पहचाने गए अंतर की समीक्षा की जा सके।	10	10	271.35
13	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और तालिका 8 में दिए गए मेल न होने के कारणों की जांच	10	20	29,837.09
14	गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण	ऐसे कंपोजिशन करदाताओं की पहचान करना, जिनका अखिल भारतीय आधार पर (केन्द्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) एक ही पैन के सभी वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या के अंतर्गत टर्नओवर 2018-19 में ₹ 1 करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की टर्नओवर सीमा को पार कर गया है, लेकिन वे कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठा रहे हैं।	5	7	17.83
15	कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	ई-कॉमर्स जी.एस.टी.आर.-8, 1 अक्तूबर 2018 से प्रभावी हो गया है जब टी.सी.एस. प्रावधान लागू हुए। 1 अक्तूबर 2023 से पहले, वस्तु एवं सेवा कर कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत करदाताओं को किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं थी। जी.एस.टी.आर.-8 में घोषित जीएसटीआईएन भी कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत जी.एस.टी.आर.-4 फाइल कर रहे हैं।	5	5	5.89
16	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई थी किंतु जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की है, लेकिन जी.एस.टी.आर.-I फाइल की है या जहां जी.एस.टी.आर.-2ए उपलब्ध है, जो कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय पर कमाई करने वाले करदाताओं को दर्शाती है।	30	37	108.94
17	ब्याज का कम भुगतान	जी.एस.टी.आर.-3बी में देरी से फाइल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किए गए ब्याज की तुलना में जी.एस.टी.आर.-3बी में घोषित ब्याज।	45	119	50.46
	योग		**380**	**687**	**52,699.29**[10]

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के विश्लेषण से अत्यधिक धन मूल्यों के साथ बड़ी संख्या में विचलन सामने आए हैं, जैसे ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी (₹ 14,971.31 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में विसंगति (₹ 29,837.09 करोड़)। ये अवास्तविक धन मूल्य आंकड़े दर्शाते हैं कि सिस्टम में डेटा इनपुट और सत्यापन के नियंत्रण इष्टतम रूप से डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसलिए, विभाग को डेटा

[10] इसमें ₹ 45,103.47 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर में विसंगतियां शामिल हैं।

की विश्वसनीयता/शुद्धता के मामलों का समाधान करने और जहां भी अपेक्षित हो, उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसके साथ ही राजस्व की हानि/कम संग्रहण के मामलों में कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।

प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम से महत्वपूर्ण विचलन नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने हेतु वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अंतर्गत भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, रेवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.85 करोड़ था, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 33.57 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में ₹ 32.72 करोड़ का अंतर पाया गया, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई। इसके उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र डी.आर.सी.-01 जारी कर दिया गया था।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 (2) (सी) में प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाए गए कर का भुगतान वास्तव में सरकार को नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से न किया गया हो।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, उन संभावित मामलों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जहां करदाता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर दिया गया होगा। इस प्रयोजन के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के प्रासंगिक डेटा की विशेष रूप से वस्तु एंव सेवा कर रिर्टन-9 की तालिका 8ए की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए में दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा से की गई। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 8ए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए की तालिका 3 और 5 से स्वतः दर्ज हो जाती है और आवक आपूर्ति (आयात और रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्ति को छोड़कर, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त सेवाओं सहित) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट का विवरण दर्ज करती है। यह संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का योग होगा। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 8ए की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए में उच्च मान यह दर्शाते हैं कि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी आपूर्तियों के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

इस आयाम के अंतर्गत, विभाग को प्राप्तकर्ता, जो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पश्चिम) के अंतर्गत करदाता है, द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुकाए गए कर, के बीच के अंतर जो कि ₹ 36.07 करोड़ है, की जांच करनी थी। वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 8ए में उपलब्ध ₹ 674.44 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए में उपलब्ध ₹ 710.51 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट से तुलना करने पर यह अंतर देखा गया। यह अंतर आपूर्ति के स्थान में अंतर या आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण रद्द होने के बाद जारी किए गए चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले प्राप्तकर्ता के कारण हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह अंतर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी मासिक रिटर्न, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करने और इस प्रकार कर देयता का निर्वहन न करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा जांच विभाग (अगस्त 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को प्रेषित की गई थी। उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी कर दिया गया था।

(iii) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की सीमा अवधि के बाद फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह के लिए धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि या संबंधित वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार, यदि कोई वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी उस समय के बाद प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार्य हो जाता है।

इस खाते पर प्राप्त अतिरिक्त/अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा की समीक्षा करने के लिए, करदाता द्वारा अगले वर्ष के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के अनुसार सितंबर की नियत तारीखों से अलग फाइल किए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहचान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, सीमा अवधि के बाद फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के माध्यम से 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 29.37 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (दिसंबर 2024) को दे दी गई थी। उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि करदाता को धारा 74 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(iv) इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सेवा वितरक द्वारा अंतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है। करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सेवा वितरक द्वारा अंतरित उनकी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 में इनपुट टैक्स क्रेडिट से की जाती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत के अंतर्गत करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के दौरान, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अंतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.83 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6जी (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 7बी में घोषित लौटाए गए या अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के पश्चात निवल) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 1.42 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप इनपुट सेवा वितरक द्वारा अंतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ में ₹ 0.59 करोड़ की विसंगति हुई, जिसकी सूचना विभाग (दिसंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई।

उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि मामला वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए लिया गया था और मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-07 जारी कर दिया गया था। हालांकि, यह पाया गया कि ₹ 59.46 लाख के विचलन के विरुद्ध, विभाग ने केवल ₹ 38.01 लाख के लिए मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-07 जारी किया था। शेष ₹ 21.45 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होने के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं बताया गया था।

(v) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के अंतर्गत और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत भुगतान किए गए कर की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में डेटासेट की तुलना यह जांच करने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गतिविधियों/ट्रांजेक्शनों पर कर का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 फाइल की गई थी, उनमें तालिका 4जी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, उनमें वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी तालिका 3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, 4(ए)(2) और 4ए(3) से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पश्चिम) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 4जी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत देय कर के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 20.04 करोड़ था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 41.53 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में ₹ 21.49 करोड़ का अंतर था, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(vi) वार्षिक रिटर्न और लेखा बहियों के बीच प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12, वार्षिक रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा बहियों के अनुसार प्राप्त

इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ, समाधान न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी फॉर्म में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा की जा सके।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12ई के अनुसार वार्षिक रिटर्न में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 16.94 करोड़ और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12(डी) के अनुसार लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.15 करोड़ के बीच मेल नहीं था। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12एफ में ₹ 16.79 करोड़ का असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया। इसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) को दी गई थी। उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी कर दिया गया था।

(vii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14टी में असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14, वार्षिक रिटर्न (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा बहियों के अनुसार व्यय पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी, असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी फॉर्म में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और वित्तीय विवरणों में बताए गए खर्चों में पहचाने गए अंतर की समीक्षा की जा सके।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 के लिए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14एस के अनुसार वार्षिक रिटर्न में दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 31.68 करोड़ था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14आर के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत कुल राशि शून्य थी। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14टी में ₹ 31.68 करोड़ का असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था, जो वित्तीय विवरणों में बताए गए व्यय के आधार पर पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट था। इसकी सूचना विभाग (सितंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(viii) अनिश्चित कर देयता

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति का मासिक विवरण होता है। करदाता द्वारा जावक आपूर्ति का भी निर्धारण किया जाता है और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के संबंधित कॉलम में उसका उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर

योग्य मूल्य और उस पर चुकाया गया कर भी मासिक वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी रिटर्न में दर्शाया जाता है।

अनिश्चित कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था और इन रिटर्नों में देय कर की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के अनुसार भुगतान किए गए कर से की गई थी। इस उद्देश्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया था। जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के मध्य देय कर की तुलना की सहायता ली गई थी। एल्गोरिथम के लिए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 की तालिका 4 से 11 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के मध्य अधिक कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 के अनुसार देय कर ₹ 7.29 करोड़ था। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के अनुसार, करदाता ने शून्य कर देयता घोषित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.29 करोड़ की कर देयता का मिलान नहीं हो पाया, जिसकी सूचना विभाग (दिसंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई थी। उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी कर दिया गया था।

(ix) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में छिपाव

कर के कम भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक डेटा की तुलना ई-वे बिल में किए गए प्रकटीकरण से की गई थी। एल्गोरिथम के लिए, उन मामलों की पहचान की गई जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी देय कर (तालिका 3.1 (ए) + (बी)) ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 3.1 में कर देयता ₹ 1,431.17 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर ₹ 7,265.24 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,834.07 करोड़ की कर देयता बकाया रह गई, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(x) लेखा बहियों और वार्षिक रिटर्न के बीच किए गए कर भुगतान में मेल न होना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार करदाता द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न और लेखा बहियों के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए अंतर

की सीमा की समीक्षा की जा सके। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9, टर्नओवर को दर-वार अलग करके और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के अनुसार चुकाए गए कर के साथ इसकी तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करती है। असंगत राशियां संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को छूट प्राप्त या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्शाने या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की गलत वसूली का संकेत दे सकती हैं।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 के लिए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9पी के अनुसार कुल देय कर ₹ 25.45 करोड़ था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9क्यू के अनुसार, वार्षिक रिटर्न में घोषित कुल कर भुगतान ₹ 8.33 करोड़ था। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9आर में ₹ 17.12 करोड़ के कर का असंगत भुगतान घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग (सितंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई। उत्तर में, विभाग ने बताया (नवंबर 2025) कि मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी कर दिया गया था और अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(xi) स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.)/कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) घोषणा के माध्यम से पहचाने गए करयोग्य मूल्य का छिपाव

स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) विवरण क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 में घोषित किए जाते हैं और पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए की तालिका 9 में सूचित किए जाते हैं। ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में बाहरी करयोग्य आपूर्तियों जीरो रेटेड, निल रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा घोषित करयोग्य मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए की तालिका 9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) क्रेडिट के लिए उत्तरदायी निवल राशि से कम था। दर्शाई गई विचलन राशि गैर-प्रकटीकरण का केवल एक अंश हो सकती है, क्योंकि सटीक तुलना संभव नहीं है, क्योंकि करदाता के पास अन्य आपूर्तियां हो सकती हैं, जिनके लिए स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) वसूली आवश्यक नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के अंतर्गत एक करदाता ने 2019-20 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों के लिए ₹ 621.33 करोड़ का कर योग्य मूल्य घोषित किया, जबकि जिस मूल्य पर स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) वसूली गई (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए की तालिका-9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) क्रेडिट के लिए उत्तरदायी निवल राशि) ₹ 718.62 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.29 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर में विसंगति हुई। मामले की सूचना विभाग (सितंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(xii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी में असंगत कर योग्य टर्नओवर

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर के मिलान से संबंधित है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित टर्नओवर और अपेक्षित

समायोजनों के बाद वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच असंगत कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है। यह डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण भी हो सकता है जहां राशि असामान्य रूप से अधिक हो।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन मामलों में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, वहां असंगत राशि कर योग्य आपूर्तियों की रिपोर्टिंग में गैर-रिपोर्टिंग, कम-रिपोर्टिंग, चूक या त्रुटि का संकेत दे सकती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की रिपोर्टिंग न करने के कारण भी हो सकता है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) के अंतर्गत एक करदाता के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी में ₹ 10,660.60 करोड़ के असंगत कर योग्य टर्नओवर पर एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग (फरवरी 2024) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को सूचित की गई थी। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था और यह पता नहीं चल सका कि यह डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण था या किसी अन्य कारण से।

(xiii) कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठाने वाले ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ता

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 10(2)(डी) के प्रावधान के अनुसार, कंपोजिशन लेवी योजना के करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है।

ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले उन संयोजन करदाताओं की पहचान करने के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल की गई वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 और संयोजन करदाताओं द्वारा फाइल की गई वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 से संबंधित डेटासेट की तुलना की गई, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 भी फाइल की है।

कंपोजिशन लेवी का लाभ अनियमित रूप से प्राप्त करने के अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि इन करदाताओं से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 रिटर्न में ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर, कंपोजिशन लेवी के लिए करदाताओं द्वारा उनके सी.एम.पी.-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था, इसलिए कर के कम भुगतान की भी संभावना हो सकती है।

वर्ष 2018-19 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (उत्तर) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.एम.पी.-08 में कंपोजिशन टर्नओवर की राशि ₹ 0.19 करोड़ दर्शाई गई थी, जबकि ई-कॉमर्स कटौतीकर्ता के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 में घोषित सकल राशि ₹ 0.46 करोड़ थी। इस प्रकार, ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा करदाताओं से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 रिटर्न में घोषित टर्नओवर, कंपोजिशन लेवी के लिए करदाताओं द्वारा सी.एम.पी.-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था। मामले की सूचना विभाग (नवंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(xiv) ऐसे मामले जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की गई लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 61(5) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी रिटर्न एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कर देयता की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है।

डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 फाइल की थी या जिनकी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए उपलब्ध थी। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और 2ए की उपलब्धता और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया था, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित अंतरण के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1, 2ए और 3बी में संबंधित क्षेत्रों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि करदाता ने 2019-20 में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी, जबकि करदाता ने अपनी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में ₹ 6.96 करोड़ की कर राशि के साथ कर योग्य आपूर्ति घोषित की थी। यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। मामले की सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दी गई।

उत्तर में, विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र (डी.आर.सी.)-07 जारी किया गया था।

(xv) ब्याज का कम भुगतान

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में कर भुगतान विवरण और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने की तिथि के माध्यम से की गई। ब्याज देयता की गणना करने के लिए संबंधित महीनों के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने की नियत तिथि (प्रदान किए गए किसी भी विस्तार सहित) और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखा गया है तथा देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जिसमें 2020-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज का कम भुगतान ₹ 3.97 करोड़ था। मामला विभाग (सितंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को सूचित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

2.7.1 विभाग द्वारा केंद्रीकृत (सीमित) मामलों पर उत्तर प्रस्तुत न करना

केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए 17 मानदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/असंगतता वाले 380 करदाताओं के नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा ने संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को ₹ 52,699.29[11] करोड़ की राशि के 687 लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए (अगस्त 2023 और फरवरी 2024 के मध्य)। इन मामलों में लेखापरीक्षा जांच केवल पहचाने गए विचलन/असंगतता पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि तक सीमित थी। विभाग ने जारी किए गए 339 प्रश्नों के उत्तर दिए।

687 विसंगतियों में से 348 के लिए प्रारंभिक उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें ₹ 35,956.13 करोड़ की राशि (टर्नओवर की विसंगतियों सहित) शामिल है, जैसा कि ***तालिका 2.3*** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 2.3: जिन मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	नमूना/अभ्युक्ति		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
		अभ्युक्ति की संख्या	अंतर की राशि	संख्या	राशि	संख्या (5 से 3)	राशि (6 से 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.टी.सी. बेमेल (आर3बी और आर2ए)	73	1,438.87	46	855.89	63	59
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.	45	413.47	26	200.05	58	48
3	समय सीमा की समाप्ति के बाद फाइल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.	44	179.28	30	89.17	68	50
4	आधिक्य इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट	35	17.14	15	11.37	43	66
5	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर कर का कम भुगतान	34	266.55	23	179.02	68	67
6	वित्तीय विवरणों के संबंध में समाधान न किया गया आई.टी.सी. (तालिका 12एफ)	16	239.95	4	27.10	25	11.32
7	अयोग्य आई.टी.सी. (तालिका 14टी)	19	429.89	8	45.30	42	10.53
8	चुकाई न गई कर देयता (आर1 और आर9)	97	4,014.98	52	3,537.31	53.60	88.10
9	करयोग्य मूल्य का छिपाव (ई-वे बिल)	91	14,971.31	29	10,063.49	31.87	67.21
10	कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)	16	103.03	9	48.99	56	48
11	कर का कम भुगतान (टी.डी.एस./टी.सी.एस.)	19	333.26	11	155.38	57.89	46.62
12	करयोग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल वाला राजस्व)	10	271.35	8	251.49	80	93
13	समाधान न किया गया करयोग्य टर्नओवर (तालिका 7जी)	20	29,837.09	14	20,422.60	70	68
14	गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण	7	17.83	1	2.85	14	16
15	कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	5	5.89	**2**	1.43	40	24
16	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	37	108.94	17	39.22	46	36
17	ब्याज का भुगतान न करना	119	50.46	53	25.47	45	50
	योग	**687**	**52,699.29**	**348**	**35, 956.13**	**52**	**68**

विसंगतियों के अनुपालन विचलन में अनियमितता की समग्र दर को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विचलनों को आगामी अनुच्छेद में दर्शाया गया है, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तीव्रता लाने की आवश्यकता है ***(परिशिष्ट-2.6)***।

[11] इसमें ₹ 45,103.47 करोड़ का कर योग्य टर्नओवर शामिल है।

अनुशंसा 1: लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 348 विचलनों/विसंगतियों पर तत्काल कार्रवाई करे तथा ऐसे विचलनों के कारणों का विश्लेषण कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि ऐसे विचलनों की पुनरावृत्ति न हो।

2.7.2 केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त उत्तरों के आधार पर, 17 मापदंडों में से प्रत्येक के अनुपालन विचलन में परिवर्तित होने की सीमा को ***तालिका 2.4*** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.4: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

आयाम का नाम	उत्तर प्राप्त हुआ		डेटा प्रविष्टि त्रुटि, जांच से पहले की गई कार्रवाई (एटीबीक्यू), अन्य वैध स्पष्टीकरण और अंतरिम उत्तरों से संबंधित मामले		अनुपालन विचलन									
					विभाग द्वारा स्वीकृत, उन मामलों सहित जिनमें कार्रवाई शुरू की गई						विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं किए गए थे		योग	
					वसूली की गई		ए.एस.एम.टी.-10/ ए.डी.टी.-1		कारण बताओ नोटिस जारी किए गए					
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
आई.टी.सी. बेमेल (आर3बी और आर2ए)	27	582.98	**19**	445.6	0	0	0	0	8	137.38	0	0	**8**	137.38
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.	19	213.42	**12**	163.69	0	0	0	0	7	49.73	0	0	**7**	49.73
समय सीमा की समाप्ति के बाद फाइल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.	14	90.11	**9**	35.91	0	0	0	0	5	54.19	0	0	**5**	54.19
आधिक्य इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट	20	5.77	4	1.46	2	0.004	0	0	5	1.55	9	2.76	16	4.31
आर.सी.एम. पर कर का कम भुगतान	11	87.53	7	23.49	0	0	0	0	2	46.62	2	17.41	4	64.03
वित्तीय विवरणों के संबंध में समाधान न किया गया आई.टी.सी. (तालिका 12एफ)	12	212.85	11	196.06	0	0	0	0	1	16.79	0	0	1	16.79
अपात्र आई.टी.सी. (तालिका 14टी)	11	384.59	11	384.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चुकाई न गई कर देयता (आर1 और आर9)	45	477.67	31	337.60	0	0	1	1.48	8	42.62	5	95.97	14	140.07
करयोग्य मूल्य का छिपाव (ई-वे बिल)[12]	62	4,907.82	10	--	--	--	--	--	8	--	44	--	52	--
कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)	7	54.04	4	21.54	0	0	0	0	3	32.5	0	0	3	32.5
कर का कम भुगतान (टी.डी.एस./टी.सी.एस.)	8	177.88	1	6.90	0	0	0	0	5	147.95	2	23.02	7	170.97

[12] इस आयाम के अंतर्गत ₹ 4,907.82 करोड़ की विसंगति से संबंधित 62 उत्तर प्राप्त हुए। इन मामलों में से, जिनमें उत्तर प्राप्त हुए, ₹ 395.66 करोड़ की राशि वाले 8 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ₹ 2,871.29 करोड़ की विसंगति से संबंधित 44 मामलों में, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं था। ₹ 1,640.87 करोड़ की विसंगति से संबंधित 10 मामलों में, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य है, क्योंकि लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले कार्रवाई की गई थी, विसंगति के लिए वैध स्पष्टीकरण थे या विसंगति डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण थी।

आयाम का नाम	उत्तर प्राप्त हुआ		डेटा प्रविष्टि त्रुटि, जांच से पहले की गई कार्रवाई (एटीबीक्यू), अन्य वैध स्पष्टीकरण और अंतरिम उत्तरों से संबंधित मामले		अनुपालन विचलन									
					विभाग द्वारा स्वीकृत, उन मामलों सहित जिनमें कार्रवाई शुरू की गई						विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं किए गए थे		योग	
					वसूली की गई		ए.एस.एम.टी.-10/ ए.डी.टी.-1		कारण बताओ नोटिस जारी किए गए					
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
करयोग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल वाला राजस्व)[13]	2	19.86	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
समाधान न किया गया करयोग्य टर्नओवर (तालिका 7जी)[14]	6	9,414.49	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	6	
गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण	6	14.98	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	3	4.46	0	0	0	0	0	0	2	1.6	1	2.85	3	4.45
जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई किंतु जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	20	69.72	5	25.66	0	0	1	1.44	13	40.34	1	2.27	15	44.05
ब्याज का भुगतान न करना	66	24.99	13	5.05	15	3.49	3	1.68	29	10.8	6	3.9	53	19.87
योग	**339**	**16,743.16**	**143**	**1647.55**	**17**	**3.49**	**5**	**4.6**	**101**	**582.07**	**73**	**148.18**	**196**	**738.34**

लेखापरीक्षा ने ₹ 738.34 करोड़ की राशि से आवेष्टित 196 मामलों में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो आंकड़ों में 339 विसंगतियों/बेमेल का 57.81 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने उत्तर दिए। टी.डी.एस./टी.सी.एस. के अंतर्गत कर का कम भुगतान, कर देयता का निर्वहन न होना और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए तथा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना जैसे जोखिम मानदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

143 मामलों में, जो विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों का 42.18 प्रतिशत है, विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे। 143 मामलों में से, 38 मामलों में विभाग ने सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और 91 मामलों में अन्य वैध स्पष्टीकरण दिए गए थे। करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि में की गई त्रुटियों के 10 मामले थे और चार मामलों में, विभाग ने बताया कि इन मामलों की या तो जांच की जा रही है या वे अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि में लंबित हैं। विवरण ***परिशिष्ट-2.7*** में दिए गए हैं।

---

13 विभाग ने ₹ 19.86 करोड़ के बेमेल टर्नओवर से आवेष्टित दो मामलों में उत्तर दिया और दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने की सूचना दी।

14 इस आयाम के अंतर्गत ₹ 9,414.49 करोड़ की विसंगति से संबंधित छः उत्तर प्राप्त हुए थे। इनमें से, ₹ 7,874.23 करोड़ की राशि वाले तीन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और ₹ 1,540.26 करोड़ की विसंगति से संबंधित तीन मामलों में उत्तरों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे।

शेष 73 मामलों में यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों को स्वीकार नहीं किया, तथापि उसका तर्क साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुआ, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन योग्य नहीं था।

(परिशिष्ट-2.8)

339 मामलों में विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, डेटा विचलन/असंगतता के कारण निम्नलिखित हैं:

(क) वस्तु एवं सेवा कर कानून और नियमों से विचलन: 339 विचलनों में से, जहां विभाग ने उत्तर प्रदान किए, जैसा कि ऊपर **तालिका 2.4** में सारांश दिया गया है, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था और ₹ 590.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले 123 मामलों में कार्रवाई आरंभ कर दी थी। इनमें से, विभाग ने 17 मामलों में ₹ 3.49 करोड़ वसूल किए हैं, 101 मामलों में ₹ 582.07 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस (एस.सी.एन.)/मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-07[15] जारी किए हैं, और पांच मामलों में ₹ 4.60 करोड़ के लिए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10/मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01ए में करदाताओं को विसंगतियों की सूचना देकर कार्रवाई आरंभ की है। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में छिपाव

लेखापरीक्षा के दौरान, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पलवल के अंतर्गत एक करदाता के मामले में यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 3.1 में देय ई-वे बिल देयता ₹ 175.17 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर देयता ₹ 256.26 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 81.09 करोड़ की कर देयता का भुगतान नहीं हो सका, जिसकी सूचना विभाग (सितंबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई थी। इसके उत्तर में, करदाता को मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2025)।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 7.52 करोड़ था, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 30.68 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में ₹ 23.16 करोड़ का अंतर हो गया, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई थी। उत्तर में, विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र-01 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2025)।

---

[15] मांग एवं वसूली प्रमाण-पत्र (डी.आर.सी.-07) आदेश का सारांश है जिसका उपयोग वस्तु एवं सेवा कर देय की मांग की पुष्टि के लिए किया जाता है।

(ख) लेखापरीक्षा द्वारा खंडन की गई विसंगतियां/बेमेल

बेमेल/असंगतता के 339 मामलों के लेखापरीक्षा नमूने में से, जिनमें विभाग ने उत्तर दिए, ₹ 148.18 करोड़ के बेमेल/विसंगतियों से संबंधित 73 मामलों में विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं थे। इन 73 मामलों में, विभाग ने या तो विसंगतियों के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया या उत्तर के साथ पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

(i) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पश्चिम) के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, 2018-19 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 4जी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत देय कर के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 34.85 करोड़ था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 46.16 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में ₹ 11.31 करोड़ की विसंगति हुई, जिसकी सूचना विभाग (अक्तूबर 2023) और राज्य सरकार (अगस्त 2024) को दे दी गई थी। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा प्रश्न को हटा दिया गया है। हालांकि, विभाग ने न तो लेखापरीक्षा प्रश्न को हटाने का औचित्य बताया और न ही उत्तर के समर्थन में सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराए।

2.8 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अतिरिक्त, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। विस्तृत जांच के लिए अखिल राज्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से 70 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न तथा वित्तीय विवरणों और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करने के लिए थी ताकि बेमेल/असंगतियों/विचलनों और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय में की गई थी। डेस्क समीक्षा के परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारक की पहचान करने तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए फील्ड कार्यालयों के माध्यम से करदाताओं के वित्तीय बही-खाता, चयनित माह के बीजक आदि जैसे संबंधित अभिलेखों की मांग करके हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के फील्ड गठनों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

2.8.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)

बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता में बेमेल/विचलन से संबंधित जोखिमों की विस्तृत जांच के लिए पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके तथा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं के आधार पर बेमेल/विचलन की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके बेमेल/विचलन की पहचान की गई।

लेखापरीक्षा ने संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता का मेल न होने के लिए कारण कारक की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे चयनित माह के बीजक, नोट्स और अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदार की सूची, पूरक वित्तीय बही-खाता, समझौते की प्रतियां आदि की मांग की।

इस संबंध में, यह बताना उचित है कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80 में यह प्रावधान है कि धारा 44 के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर ₹ पांच करोड़ से अधिक है, भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न के साथ फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में धारा 44 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट स्व-प्रमाणित समाधान विवरण, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर को या उससे पहले, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए और लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए, तथा अन्य विवरण, जैसे वित्तीय विवरण, लाभ-हानि लेखा और बैलेंस शीट आदि, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी के साथ अपलोड किए जाने चाहिए। तथापि, ये अभिलेख वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी के साथ ठीक से अपलोड नहीं किए गए थे।

मांग और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, क्षेत्राधिकार वाले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 70 मामलों के नमूने में से 69 मामलों में मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, 98.57 प्रतिशत नमूने की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति में विसंगति/विचलन और ₹ 7,692.48 करोड़ की बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का सारांश ***तालिका 2.5*** में दिया गया है।

तालिका 2.5: अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

क्षेत्राधिकार गठन	नमूना करदाताओं की संख्या	प्रस्तुत न करना करदाताओं की संख्या
अंबाला	2	2
भिवानी	1	1
फरीदाबाद (पूर्व)	1	1
फरीदाबाद (उत्तर)	3	3
फरीदाबाद (दक्षिण)	1	1
गुरुग्राम (पूर्व)	23	23
गुरुग्राम (उत्तर)	16	16
गुरुग्राम (दक्षिण)	5	5
गुरुग्राम (पश्चिम)	2	2
हिसार	3	2[16]
झज्जर	1	1
करनाल	2	2
कुरूक्षेत्र	1	1
पंचकुला	1	1
पानीपत	2	2
रेवाड़ी	3	3
रोहतक	1	1
सोनीपत	2	2
योग	**70**	**69**

* **हिसार के एक मामले अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे।**

अभिलेख प्रस्तुत न करने का मामला-वार विवरण ***(परिशिष्ट 2.9)*** में दिया गया है।

अनुशंसा 2: नमूना मामलों में से 99 प्रतिशत में अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा इन मामलों में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान की सत्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। सरकार लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारणों का पता लगाए और लेखापरीक्षा को अभिलेखों और सूचनाओं का समय पर और पूर्ण प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।

2.8.2 रिटर्न

70 नमूना करदाताओं द्वारा फाइल की गई रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि 19 करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अधिकतम 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान स्वयं करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।"

16 हिसार के एक मामले में अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 करदाताओं[17] के 169 मामलों में, करदाताओं ने एक से 293 दिनों की देरी से मासिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल की थी और ₹ 164.34 लाख की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने ₹ 34.87 लाख की ब्याज देयता वाले पांच करदाताओं[18] के 69 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और ₹ 14.68 लाख की वसूली की सूचना दी।

एक करदाता गुरुग्राम (दक्षिण) के संबंध में, विभाग ने बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। हालांकि, विभाग ने उत्तर के समर्थन में न तो कोई सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही विभाग के बैक-एंड एप्लिकेशन, अर्थात बीओवेब पोर्टल से लेखापरीक्षा द्वारा उसका सत्यापन किया जा सका।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने में देरी के 98 मामलों वाले 13 करदाताओं के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

(परिशिष्ट-2.10)

2.8.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर है, जिनका उपयोग बिजनेस के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए योग्यता और शर्तें निर्धारित करती हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 36 से 45, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

विभाग के बैकएंड एप्लीकेशन पर उपलब्ध रिटर्नों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने जिन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में मेल नहीं पाया, उनका विवरण ***तालिका 2.6*** में दिया गया है।

[17] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त मामले - भिवानी 1, फरीदाबाद (दक्षिण) 1, गुरुग्राम (पूर्व) 6, गुरुग्राम (उत्तर) 4, गुरुग्राम (दक्षिण) 3, हिसार 1, झज्जर 1 और रेवाडी 2.

[18] हिसार 1, गुरुग्राम (दक्षिण) 1, गुरुग्राम (पूर्व) 1, झज्जर और रेवाड़ी।

तालिका 2.6: इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में मेल न होना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	नोटिस की गई असंगतता/बेमेल		विभाग की प्रतिक्रिया जब अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विभाग को विसंगतियों/विचलनों के बारे में सूचित किया गया	
		मामले	बेमेल राशि	विभाग के उत्तर	राशि
1	सभी संशोधनों के साथ जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी.की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-9 में प्राप्त आई.टी.सी. से की गई। जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-9 (जो भी अधिक हो) में प्राप्त आई.टी.सी.₹ 63,137.88 करोड़ था और जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध आई.टी.सी.₹ 60,348.00 करोड़ था। ***(परिशिष्ट-2.11)***	106	2,789.88	विभाग ने 21 मामलों में विसंगतियों/विचलनों के कारण बताए। हालांकि, तथ्य यह है कि मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए, लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए इन मामलों की जांच नहीं कर सकी।	256.31
				एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	78.07
				84 मामलों में विभाग ने न तो अभिलेख प्रस्तुत किया और न ही विसंगति/विचलनों के संबंध में उत्तर दिया।	2,455.50
2	जी.एस.टी.आर.-9 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार देय कर से की गई थी। ***(परिशिष्ट-2.12)***	32	32.74	विभाग ने 10 मामलों में विसंगतियों/विचलनों के कारण बताए। हालांकि, मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए, लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए इन मामलों की जांच नहीं कर सकी।	4.65
				22 मामलों में विभाग ने न तो अभिलेख प्रस्तुत किया और न ही विसंगति/विचलनों के संबंध में उत्तर दिया।	28.09
3	यह अंतर जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 8ए में सभी संशोधनों के साथ उपलब्ध आई.टी.सी.के कारण था और तालिका 8बी + तालिका 8सी में प्राप्त आई.टी.सी. की तुलना की गई थी। ***(परिशिष्ट-2.13)***	113	3,296.46	विभाग ने 24 मामलों में विसंगतियों/विचलनों के कारण बताए। हालांकि, मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए, लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए इन मामलों की जांच नहीं कर सकी।	313.99
				दो मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।	5.43
				87 मामलों में विभाग ने न तो अभिलेख प्रस्तुत किया और न ही विसंगति/विचलनों के संबंध में उत्तर दिया।	2,977.04
4	जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6ए में दर्शाए गए अनुसार जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त आई.टी.सी.तथा जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6आई में प्राप्त आई.टी.सी.के बीच अंतर की तुलना की गई। ***(परिशिष्ट-2.14)***	52	375.27	विभाग ने 12 मामलों में विसंगतियों/विचलनों के कारण बताए। हालांकि, मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए, लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए इन मामलों की जांच नहीं कर सकी।	2.32
				40 मामलों में विभाग ने न तो अभिलेख प्रस्तुत किया और न ही विसंगति/विचलनों के संबंध में उत्तर दिया।	372.95
5	यह अंतर जी.एस.टी.आर.-2ए में सभी संशोधनों के साथ उपलब्ध आई.टी.सी.के कारण था और जी.एस.टी.आर.-9 (8ए) में उपलब्ध आई.टी.सी.की तुलना की गई। ***(परिशिष्ट-2.15)***	164	852.78	विभाग ने 25 मामलों में विसंगतियों/विचलनों के कारण बताए। हालांकि, मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए, लेखापरीक्षा विसंगतियों के कारणों की पुष्टि करने के लिए इन मामलों की जांच नहीं कर सकी।	60.71
				पांच मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि मामले प्रक्रियाधीन हैं।	41.41
				134 मामलों में विभाग ने न तो अभिलेख प्रस्तुत किया और न ही विसंगति/विचलनों के संबंध में उत्तर दिया।	750.66
	योग	**467**[19]	**7,347.13**		**7,347.13**

लेखापरीक्षा ने इन 467 मामलों के संबंध में विसंगतियों के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग से इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर, क्रय चालान, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल वर्किंग शीट आदि जैसे अतिरिक्त अभिलेख की मांग की। विभाग ने इन मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन 92 मामलों में ₹ 637.98 करोड़ की विसंगति के कारण बताए तथा सूचित किया कि तीन मामलों में ₹ 83.50 करोड़ के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा को मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और इसलिए, लेखापरीक्षा न तो इन मामलों में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त कर सकी और न ही विभाग के

[19] ये मामले 2018-19 से 2020-21 की अवधि के 69 करदाताओं से संबंधित हैं।

उत्तरों की सत्यता की जांच कर सकी। ₹ 41.41 करोड़ के पांच मामलों में, विभाग ने सूचित किया कि मामले जांच के अधीन थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 6,584.24 करोड़ की विसंगतियों वाले 367 मामलों में, विभाग ने न तो उत्तर दिया और न ही अपेक्षित अभिलेख प्रदान किए (अगस्त 2025)।

2.8.4 कर देयता का निर्वहन

वस्तु एवं सेवा कर के मामले में करयोग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9, उक्त हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर उद्ग्रहण और संग्रहण को अधिकृत करने वाली धारा है, और प्रत्येक अधिनियम, अर्थात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर की दर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने और संग्रह करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास निहित है।

विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन पर उपलब्ध वर्ष 2018-19 से 2020-21 के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच कर देयता की विसंगति के 87 मामले देखे, जिनमें ₹ 356.76 करोड़ का धन मूल्य शामिल था। लेखापरीक्षा ने विभाग से अनुरोध किया कि वह अंतर के कारणों की जांच करने के लिए बिक्री बीजकों, अग्रिमों का विवरण, तलपट आदि जैसे अतिरिक्त महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करे। विभाग ने इन मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन 18 मामलों में ₹ 8.42 करोड़ की विसंगति के कारण बताए तथा सूचित किया कि एक मामले में ₹ 0.42 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और इसलिए, लेखापरीक्षा न तो इन मामलों में कर देयता और प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त कर सकी और न ही विभाग के उत्तरों की सत्यता की जांच कर सकी। इसके अतिरिक्त, ₹ 347.92 करोड़ की विसंगतियों वाले 68 मामलों में, विभाग ने न तो उत्तर दिया और न ही अपेक्षित अभिलेख प्रदान किए (अगस्त 2025)।

(परिशिष्ट-2.16)

2.9 निष्कर्ष

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान आयोजित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में की गई थी, ताकि विभाग के अनुपालन सत्यापन कार्यों और पंजीकृत करदाताओं द्वारा अनुपालन की सीमा का आकलन किया जा सके।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैगों और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों एवं तार्किक विसंगतियों को प्रकट किया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट शामिल था जिसमें फील्ड विजिट शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जिसमें फील्ड विजिट और विभागीय

परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और विभाग के फील्ड गठनों के अनुपालन कार्यों के निर्धारण के लिए विभाग के फील्ड गठनों का नमूना भी शामिल था। इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, डेटा विश्लेषण के माध्यम से चयनित 17 मापदंडों में 687 उच्च मूल्य विचलन/विसंगतियां और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चुने गए 70 करदाता शामिल थे।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के विश्लेषण से अत्यधिक धन मूल्यों के साथ बड़ी संख्या में विचलन सामने आए हैं, जैसे ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में छिपाव (₹ 14,971.31 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में विसंगति (₹ 29,837.09 करोड़)। ये अवास्तविक धन मूल्य आंकड़े दर्शाते हैं कि सिस्टम में डेटा इनपुट और सत्यापन के नियंत्रण इष्टतम रूप से डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसलिए, विभाग को डेटा की अखंडता/शुद्धता के मुद्दों का समाधान करने और जहां भी आवश्यक हो, उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसके साथ ही राजस्व की हानि/कम संग्रहण के मामलों में कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।

10 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त की समीक्षा से पता चला कि रिटर्न फाइल करने में अपर्याप्त निगरानी थी, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करने पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में नोटिस जारी न करने; पंजीकरण रद्द करने के संबंध में फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के संबंध में कार्रवाई आरंभ न करने के मामले सामने आए। लेखापरीक्षा में रिटर्न की जांच करते समय विभाग द्वारा ब्याज के कम उद्ग्रहण और त्रुटिपूर्ण ए.एस.एम.टी.-12 जारी करने के मामले भी देखे गए।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 687 मामलों में से विभाग ने केवल 339 मामलों का उत्तर दिया। इस प्रकार, 687 विसंगतियों में से 348 के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जिनमें ₹ 35,956.13 करोड़ (टर्नओवर की विसंगतियों सहित) की राशि शामिल है। 339 मामलों में, जहां विभाग ने उत्तर प्रदान किए, लेखापरीक्षा ने ₹ 738.34 करोड़ की राशि से आवेष्टित 196 मामलों में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो आंकड़ों में 339 विसंगतियों/बेमेल का 57.81 प्रतिशत था। टी.डी.एस./टी.सी.एस. के अंतर्गत कर का कम भुगतान, कर देयता का निर्वहन न होना और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए तथा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना जैसे जोखिम मानदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता में बेमेल/विचलन से संबंधित जोखिमों की विस्तृत जांच के लिए पहचान की। लेखापरीक्षा ने संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता का मेल न होने के लिए कारण कारक की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे चयनित माह के बीजक, नोट्स और अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदार की सूची, पूरक वित्तीय बही-खाता, समझौते की प्रतियां आदि की मांग की। मांग और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, क्षेत्राधिकार वाले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 70 मामलों के नमूने में से 69 मामलों में मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, 98.57 प्रतिशत

नमूने की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति में विसंगति/विचलन और ₹ 7,692.48 करोड़ की बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 348 विचलनों/विसंगतियों पर तत्काल कार्रवाई करे तथा ऐसे विचलनों के कारणों का विश्लेषण कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि ऐसे विचलनों की पुनरावृत्ति न हो।

चंडीगढ़ | **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 10 जुलाई 2026 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 24 जुलाई 2026 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.5; पृष्ठ: 3)

मुख्य समस्या क्षेत्र

(1) अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने वाले कंपोजिशन करदाता।

(2) सीमा से अधिक जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने वाले कंपोजिशन (संघटन) करदाता।

(3) किसी भी वर्ष में केवल ई-वे बिलों द्वारा समर्थित जावक आपूर्ति वाले करदाता।

(4) ऐसे करदाता जो किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में असंगत जावक आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।

(5) वे करदाता जिन्होंने डुप्लिकेट इनवाइस का उपयोग करके ई-वे बिल तैयार किए थे।

(6) शून्य रिटर्न फाइल करने वालों द्वारा ई-वे बिल तैयार करना।

(7) रिटर्न डिफॉल्टर्स (नॉन-फाइलर्स) द्वारा ई-वे बिल तैयार करना।

(8) वे करदाता जिन्होंने रद्द करने की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल तैयार किए हैं।

(9) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किए हैं, जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया।

(10) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किए थे और बाद में उन्हें रद्द कर दिया था।

(11) ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल तैयार किए थे और बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

(12) ऐसे करदाता जिन्होंने किसी भी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर ई-वे बिलों द्वारा समर्थित असमानुपातिक आपूर्ति जनरेट की थी।

(13) करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का विस्तार।

(14) जोखिमपूर्ण वाहनों अर्थात दुपहिया वाहनों का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।

(15) चोरी के वाहनों का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।

(16) पंजीकरण के प्रथम छः माह में ई-वे बिलों का उच्च मूल्य।

(17) अमान्य पिन कोड का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।

(18) निलंबित, स्क्रैप, अभ्यर्पण किए गए और रद्द किए गए वाहनों का उपयोग करके तैयार किए गए ई-वे बिल।

(19) एमसीए की डिफॉल्टर सूची द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल।

(20) आयकर डिफॉल्टरों द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल।

(21) डीजीएआरएम-पहचाने गए/अन्य एजेंसियों-पहचाने गए करदाताओं द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल।

(22) डीजीएफटी-ब्लैक लिस्ट किए गए निर्यातकों द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.5; पृष्ठ: 3)

लेखापरीक्षा उद्देश्य-I के लिए नमूनों की सूची

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन
1	371XXXXXX772	सोनीपत	68,545	06XXXXXXXXXX1ZO
2	331XXXXXX391	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,14,880	06XXXXXXXXXX1ZT
3	351XXXXXX113	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3
4	351XXXXXX010	गुरुग्राम (दक्षिण)	32,23,145	06XXXXXXXXXX1Z3
5	311XXXXXX497	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
6	331XXXXXX815	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
7	341XXXXXX937	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
8	761XXXXXX224	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
9	381XXXXXX732	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4
10	331XXXXXX312	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4
11	501XXXXXX466	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
12	531XXXXXX326	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
13	321XXXXXX822	पानीपत	65,82,456	06XXXXXXXXXX1ZG
14	331XXXXXX128	सोनीपत	23,83,040	06XXXXXXXXXX1Z3
15	331XXXXXX880	पानीपत	1,02,500	06XXXXXXXXXX1ZT
16	391XXXXXX829	सोनीपत	3,50,465	06XXXXXXXXXX1ZI
17	321XXXXXX439	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,28,900	06XXXXXXXXXX1ZE
18	361XXXXXX005	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,45,000	06XXXXXXXXXX1ZE
19	311XXXXXX686	गुरुग्राम (दक्षिण)	46,94,800	06XXXXXXXXXX1ZE
20	361XXXXXX837	गुरुग्राम (दक्षिण)	50,73,090	06XXXXXXXXXX1ZE
21	391XXXXXX948	सोनीपत	95,95,000	06XXXXXXXXXX1ZV
22	301XXXXXX782	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7
23	391XXXXXX786	गुरुग्राम (उत्तर)	1,00,759	06XXXXXXXXXX1ZE
24	331XXXXXX221	पानीपत	11,50,050	06XXXXXXXXXX1Z2
25	301XXXXXX480	सोनीपत	2,29,37,600	06XXXXXXXXXX1ZX
26	331XXXXXX207	सोनीपत	2,29,37,600	06XXXXXXXXXX1ZX
27	381XXXXXX359	सोनीपत	98,000	06XXXXXXXXXX1ZI
28	371XXXXXX493	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,31,142	06XXXXXXXXXX1ZR
29	321XXXXXX538	सोनीपत	60,050	06XXXXXXXXXX1Z4
30	331XXXXXX180	फरीदाबाद (पश्चिम)	15,18,400	06XXXXXXXXXX2Z5
31	341XXXXXX331	फरीदाबाद (पश्चिम)	17,70,200	06XXXXXXXXXX2Z5
32	381XXXXXX177	गुरुग्राम (उत्तर)	12,00,000	06XXXXXXXXXX1Z6
33	381XXXXXX396	गुरुग्राम (उत्तर)	12,40,000	06XXXXXXXXXX1Z6
34	311XXXXXX856	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN
35	381XXXXXX013	सोनीपत	6,53,185	06XXXXXXXXXX1ZN
36	301XXXXXX300	फरीदाबाद (पश्चिम)	5,70,216	06XXXXXXXXXX1ZW
37	381XXXXXX297	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,59,865	06XXXXXXXXXX1ZS
38	381XXXXXX593	सोनीपत	8,38,440	06XXXXXXXXXX2ZB
39	361XXXXXX904	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,05,040	06XXXXXXXXXX1ZT

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन
40	381XXXXXX305	पानीपत	10,68,559	06XXXXXXXXXX1ZY
41	311XXXXXX365	गुरुग्राम (दक्षिण)	36,70,810	06XXXXXXXXXX1ZW
42	311XXXXXX216	गुरुग्राम (उत्तर)	5,75,700	06XXXXXXXXXX1Z4
43	391XXXXXX002	गुरुग्राम (उत्तर)	5,79,420	06XXXXXXXXXX1Z4
44	311XXXXXX335	गुरुग्राम (उत्तर)	8,43,450	06XXXXXXXXXX1Z4
45	341XXXXXX778	गुरुग्राम (उत्तर)	6,07,984	06XXXXXXXXXX1Z4
46	301XXXXXX492	गुरुग्राम (उत्तर)	8,16,764	06XXXXXXXXXX1Z4
47	361XXXXXX602	गुरुग्राम (उत्तर)	9,70,329	06XXXXXXXXXX1Z4
48	351XXXXXX702	गुरुग्राम (उत्तर)	14,26,038	06XXXXXXXXXX1Z4
49	341XXXXXX258	गुरुग्राम (उत्तर)	37,49,200	06XXXXXXXXXX1Z4
50	301XXXXXX485	गुरुग्राम (उत्तर)	8,15,480	06XXXXXXXXXX1Z4
51	391XXXXXX142	गुरुग्राम (उत्तर)	13,06,775	06XXXXXXXXXX1Z4
52	391XXXXXX812	गुरुग्राम (उत्तर)	10,52,498	06XXXXXXXXXX1Z4
53	341XXXXXX220	गुरुग्राम (उत्तर)	16,12,220	06XXXXXXXXXX1Z4
54	301XXXXXX953	गुरुग्राम (उत्तर)	28,27,125	06XXXXXXXXXX1Z4
55	361XXXXXX619	गुरुग्राम (उत्तर)	32,01,406	06XXXXXXXXXX1Z4
56	351XXXXXX050	गुरुग्राम (उत्तर)	27,85,116	06XXXXXXXXXX1Z4
57	351XXXXXX708	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4
58	391XXXXXX904	गुरुग्राम (उत्तर)	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4
59	341XXXXXX612	गुरुग्राम (उत्तर)	21,30,358	06XXXXXXXXXX1Z4
60	311XXXXXX365	गुरुग्राम (उत्तर)	10,69,316	06XXXXXXXXXX1Z4
61	381XXXXXX032	गुरुग्राम (उत्तर)	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4
62	361XXXXXX314	गुरुग्राम (उत्तर)	15,93,188	06XXXXXXXXXX1Z4
63	381XXXXXX646	गुरुग्राम (उत्तर)	37,13,484	06XXXXXXXXXX1Z4
64	391XXXXXX334	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4
65	381XXXXXX793	सोनीपत	1,92,88,748	06XXXXXXXXXX1Z7
66	371XXXXXX770	सोनीपत	1,90,48,430	06XXXXXXXXXX1Z7
67	391XXXXXX227	सोनीपत	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC
68	311XXXXXX769	सोनीपत	1,66,77,356	06XXXXXXXXXX1Z7
69	301XXXXXX751	गुरुग्राम (उत्तर)	78,02,570	06XXXXXXXXXX1Z4
70	331XXXXXX337	गुरुग्राम (उत्तर)	77,71,745	06XXXXXXXXXX1Z4
71	381XXXXXX163	गुरुग्राम (उत्तर)	75,35,710	06XXXXXXXXXX1Z4
72	361XXXXXX762	गुरुग्राम (उत्तर)	74,98,000	06XXXXXXXXXX1Z4
73	321XXXXXX325	पानीपत	29,01,560	06XXXXXXXXXX1ZO
74	361XXXXXX516	पानीपत	28,77,500	06XXXXXXXXXX1ZO
75	371XXXXXX723	पानीपत	28,75,000	06XXXXXXXXXX1ZO
76	361XXXXXX193	पानीपत	28,65,990	06XXXXXXXXXX1ZO
77	371XXXXXX086	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,98,250	06XXXXXXXXXX1ZK
78	341XXXXXX596	फरीदाबाद (पश्चिम)	12,98,500	06XXXXXXXXXX1ZK
79	341XXXXXX517	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,16,102	06XXXXXXXXXX2Z5
80	311XXXXXX909	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,59,885	06XXXXXXXXXX1Z3

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ: 6)
विशिष्ट अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण की सूची

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
1	391XXXXXX948	14 अगस्त 2021	सोनीपत	95,95,000	06XXXXXXXXXX1ZV	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
2	371XXXXXX772	23 नवंबर 2019	सोनीपत	68,545	06XXXXXXXXXX1ZO	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि।
3	301XXXXXX480	02 अगस्त 2018	सोनीपत	2,29,37,600	06XXXXXXXXXX1ZX	1. उस वर्ष के लिए रद्द किए गए ई-वे बिल का विवरण जिससे ई-वे बिल संबंधित है। 2. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 3. उस वर्ष के लिए बनाए गए ई-वे बिलों की कुल संख्या जिससे ई-वे बिल संबंधित है। 4. अस्वीकृत ई-वे बिलों के विवरण। 5. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध)
4	331XXXXXX128	24 अगस्त 2020	सोनीपत	23,83,040	06XXXXXXXXXX1Z3	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
5	301XXXXXX782	11 मार्च 2019	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।
6	381XXXXXX732	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
7	331XXXXXX391	20 जनवरी 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,14,880	06XXXXXXXXXX1ZT	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।
8	381XXXXXX297	17 सितंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,59,865	06XXXXXXXXXX1ZS	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
9	301XXXXXX300	21 सितंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)	5,70,216	06XXXXXXXXXX1ZW	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
10	311XXXXXX686	18 मई 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	46,94,800	06XXXXXXXXXX1ZE	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 5. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।
11	391XXXXXX786	25 नवंबर 2018	गुरुग्राम (उत्तर)	1,00,759	06XXXXXXXXXX1ZE	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।
12	501XXXXXX466	29 अगस्त 2019	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
13	381XXXXXX593	14 सितंबर 2021	सोनीपत	8,38,440	06XXXXXXXXXX2ZB	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
14	391XXXXXX227	14 मार्च 2019	सोनीपत	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
15	321XXXXXX439	01 मार्च 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,28,900	06XXXXXXXXXX1ZE	2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
16	381XXXXXX177	26 जनवरी 2022	गुरुग्राम (उत्तर)	12,00,000	06XXXXXXXXXX1Z6	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
17	351XXXXXX113	07 नवंबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
18	311XXXXXX365	28 फरवरी 2021	गुरुग्राम (दक्षिण)	36,70,810	06XXXXXXXXXX1ZW	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
19	331XXXXXX880	08 अगस्त 2021	पानीपत	1,02,500	06XXXXXXXXXX1ZT	1. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण। 2. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वित्तीय वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण।
20	331XXXXXX221	24 जून 2021	पानीपत	11,50,050	06XXXXXXXXXX1Z2	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. उन ई-वे बिलों के विवरण जिन्हें उनके सृजन के 72 घंटे के बाद अस्वीकृत कर दिया गया था। 5. उस वर्ष के लिए वाहन आवागमन पर एमआईएस रिपोर्ट (01 जनवरी 2021 से प्रभावी, फास्टैग एकीकरण के बाद) जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है।
21	371XXXXXX086	23 सितंबर 2020	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,98,250	06XXXXXXXXXX1ZK	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
22	331XXXXXX180	31 अक्तूबर 2020	फरीदाबाद (पश्चिम)	15,18,400	06XXXXXXXXXX2Z5	1. जिस वित्तीय वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उस वर्ष के दौरान जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण। 2. उस वित्तीय वर्ष के दौरान माहवार आवक और जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 3. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 4. ट्रक रसीद/लॉरी रसीद दस्तावेज और वाहन आवागमन विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 5. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
23	311XXXXXX497	11 अगस्त 2018	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
24	341XXXXXX937	01 नवंबर 2018	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान बनाए गए ई-वे बिलों के विवरण।
25	371XXXXXX493	30 अक्तूबर 2018	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,31,142	06XXXXXXXXXX1ZR	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण। 7. उन ई-वे बिलों के विवरण जिनकी वैधता अवधि को समाप्ति के बाद 8 घंटे से अधिक तक बढ़ाया गया।
26	311XXXXXX856	05 मई 2018	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक और आवक ई-वे बिल, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 5. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-2ए (माहवार) से प्राप्त आवक आपूर्ति का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 6. 2018-19 और 2021-22 की अवधि के दौरान बनाए गए कुल ई-वे बिलों के विवरण।
27	321XXXXXX822	29 जनवरी 2019	पानीपत	65,82,456	06XXXXXXXXXX1ZG	1. उस वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता से संबंधित जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालानों का द्विभाजित विवरण, जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 2. ट्रक रसीद दस्तावेज/वाहनों की आवाजाही का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट 01 जनवरी 2021 से उपलब्ध) 3. उस वर्ष के लिए मासिक जावक ई-वे बिल जिससे नमूना ई-वे बिल संबंधित है। 4. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि।
28	381XXXXXX359	19 मार्च 2020	सोनीपत	98,000	06XXXXXXXXXX1ZI	1. जीएसटीआर-1 में संदर्भित चालान का द्विभाजित विवरण। 2. 2018-19 से 2021-22 तक लेखा बहियां अर्थात बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर, खरीद, बिक्री और स्टॉक/इन्वेंटरी विवरण आदि। 3. जिस वर्ष से ई-वे बिल संबंधित है, उसके लिए मासिक आधार पर तैयार किए गए जावक ई-वे बिलों के विवरण।

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ: 7)

शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मुल्य	जीएसटीआईएन	ई-वे बिल जनरेट होने की तिथि	एचएसएन कोड	कर की दर (प्रतिशत में)	कर	टिप्पणी
1	381XXXXXX359	सोनीपत	98,000	06XXXXXXXXXX1ZI	19 मार्च 2020	8514	18	17,640	जीएसटीआर-1 में लेन-देन नहीं दर्शाया गया था।
2	311XXXXXX856	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN	05 मई 2018	3304	0	0	
3	381XXXXXX013	सोनीपत	6,53,185	06XXXXXXXXXX1ZN	05 मई 2018	3304	0	0	
4	321XXXXXX538	सोनीपत	60,050	06XXXXXXXXXX1Z4	16 अक्तूबर 2018	40101290	18	10,809	
5	381XXXXXX593	सोनीपत	8,38,440	06XXXXXXXXXX2ZB	14 सितंबर 2021	100630	0	0	
6	391XXXXXX829	पानीपत	1,02,500	06XXXXXXXXXX1ZT	08 अगस्त 2021	4810	12	12,300	
7	371XXXXXX086	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,98,250	06XXXXXXXXXX1ZK	23 सितंबर 2020	3908	18	2,51,685	
8	341XXXXXX596	फरीदाबाद (पश्चिम)	12,98,500	06XXXXXXXXXX1ZK	21 सितंबर 2020	3908	18	2,33,730	
9	331XXXXXX180	फरीदाबाद (पश्चिम)	15,18,400	06XXXXXXXXXX2Z5	31 अक्तूबर 2020	7304	18	2,73,312	
10	341XXXXXX331	फरीदाबाद (पश्चिम)	17,70,200	06XXXXXXXXXX2Z5	18 दिसंबर 2020	7407	18	3,18,636	
11	341XXXXXX517	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,16,102	06XXXXXXXXXX2Z5	29 अक्तूबर 2020	8477	18	2,36,898	
12	311XXXXXX686	गुरुग्राम (दक्षिण)	46,94,800	06XXXXXXXXXX1ZE	18 मई 2020	6104	5	2,34,740	
13	361XXXXXX837	गुरुग्राम (दक्षिण)	50,73,090	06XXXXXXXXXX1ZE	18 मई 2020	6104	5	2,53,655	
14	371XXXXXX772	सोनीपत	68,545	06XXXXXXXXXX1ZO	23 नवंबर 2019	6201	5	3,427	जीएसटीआर-1 फाइल किया गया लेकिन जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया था।
15	501XXXXXX466	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT	29 अगस्त 2019	8426	18	89,550	
16	531XXXXXX326	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT	25 अगस्त 2019	8426	18	89,550	
		योग	**1,99,65,408**					**20,25,932**	

परिशिष्ट 1.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.3; पृष्ठ: 8)

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	ई-वे बिल जनरेट होने की तिथि
1	331XXXXXX391	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,14,880	06XXXXXXXXXX1ZT	20 जनवरी 2019
2	351XXXXXX113	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3	07 नवंबर 2019
3	351XXXXXX010	गुरुग्राम (दक्षिण)	32,23,145	06XXXXXXXXXX1Z3	31 अक्तूबर 2019
4	301XXXXXX782	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7	11 मार्च 2019
5	381XXXXXX177	गुरुग्राम (उत्तर)	12,00,000	06XXXXXXXXXX1Z6	26 जनवरी 2022
6	381XXXXXX396	गुरुग्राम (उत्तर)	12,40,000	06XXXXXXXXXX1Z6	28 जनवरी 2022
7	361XXXXXX904	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,05,040	06XXXXXXXXXX1ZT	20 जनवरी 2019
8	381XXXXXX793	सोनीपत	1,92,88,748	06XXXXXXXXXX1Z7	15 मार्च 2019
9	371XXXXXX770	सोनीपत	1,90,48,430	06XXXXXXXXXX1Z7	11 मार्च 2019
10	311XXXXXX769	सोनीपत	1,66,77,356	06XXXXXXXXXX1Z7	11 मार्च 2019
11	311XXXXXX909	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,59,885	06XXXXXXXXXX1Z3	16 अक्तूबर 2019
12	381XXXXXX732	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
13	331XXXXXX312	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
14	311XXXXXX216	गुरुग्राम (उत्तर)	5,75,700	06XXXXXXXXXX1Z4	06 जनवरी 2020
15	391XXXXXX002	गुरुग्राम (उत्तर)	5,79,420	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020
16	311XXXXXX335	गुरुग्राम (उत्तर)	8,43,450	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020
17	341XXXXXX778	गुरुग्राम (उत्तर)	6,07,984	06XXXXXXXXXX1Z4	24 जनवरी 2020
18	301XXXXXX492	गुरुग्राम (उत्तर)	8,16,764	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020
19	361XXXXXX602	गुरुग्राम (उत्तर)	9,70,329	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020
20	351XXXXXX702	गुरुग्राम (उत्तर)	14,26,038	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
21	341XXXXXX258	गुरुग्राम (उत्तर)	37,49,200	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020
22	301XXXXXX485	गुरुग्राम (उत्तर)	8,15,480	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020
23	391XXXXXX142	गुरुग्राम (उत्तर)	13,06,775	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020
24	391XXXXXX812	गुरुग्राम (उत्तर)	10,52,498	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020
25	341XXXXXX220	गुरुग्राम (उत्तर)	16,12,220	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020
26	301XXXXXX953	गुरुग्राम (उत्तर)	28,27,125	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
27	361XXXXXX619	गुरुग्राम (उत्तर)	32,01,406	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020
28	351XXXXXX050	गुरुग्राम (उत्तर)	27,85,116	06XXXXXXXXXX1Z4	23 जनवरी 2020
29	351XXXXXX708	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
30	391XXXXXX904	गुरुग्राम (उत्तर)	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020
31	341XXXXXX612	गुरुग्राम (उत्तर)	21,30,358	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
32	311XXXXXX365	गुरुग्राम (उत्तर)	10,69,316	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020
33	381XXXXXX032	गुरुग्राम (उत्तर)	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4	18 जनवरी 2020
34	361XXXXXX314	गुरुग्राम (उत्तर)	15,93,188	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020
35	381XXXXXX646	गुरुग्राम (उत्तर)	37,13,484	06XXXXXXXXXX1Z4	18 जनवरी 2020
36	391XXXXXX334	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020
		योग	**14,02,41,330**		

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ: 9)

रद्द किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	ई-वे बिल जनरेट होने की तिथि	पंजीकरण रद्द होने की तिथि	एचएसएन कोड	कर की दर (प्रतिशत में)	कर
1	311XXXXXX497	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV	11 अगस्त 2018	19 मई 2018	5206	5	19,035
2	331XXXXXX815	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV	11 अगस्त 2018	19 मई 2018	5205	5	19,035
3	381XXXXXX732	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	85171290	12	8,71,720
4	331XXXXXX312	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	9,18,655
5	391XXXXXX829	सोनीपत	1,30,860	06XXXXXXXXXX1ZI	20 जून 2019	16 जून 2019	6103	5	6,543
			2,19,605				6403	12	26,353
6	311XXXXXX686	गुरुग्राम (दक्षिण)	46,94,800	06XXXXXXXXXX1ZE	18 मई 2020	30 अप्रैल 2020	6104	5	2,34,740
7	361XXXXXX837	गुरुग्राम (दक्षिण)	50,73,090	06XXXXXXXXXX1ZE	18 मई 2020	30 अप्रैल 2020	6104	5	2,53,655
8	371XXXXXX493	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,31,142	06XXXXXXXXXX1ZR	30 अक्तूबर 2018	30 सितंबर 2018	54071035	5	16,557
9	331XXXXXX180	फरीदाबाद (पश्चिम)	15,18,400	06XXXXXXXXXX2Z5	31 अक्तूबर 2020	28 अक्तूबर 2020	7304	18	2,73,312
10	341XXXXXX331	फरीदाबाद (पश्चिम)	17,70,200	06XXXXXXXXXX2Z5	17 दिसंबर 2020	28 अक्तूबर 2020	7407	18	3,18,636
11	311XXXXXX216	गुरुग्राम (उत्तर)	5,75,700	06XXXXXXXXXX1Z4	06 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	7204	18	1,03,626
12	391XXXXXX002	गुरुग्राम (उत्तर)	5,79,420	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	48025690	12	69,530
13	311XXXXXX335	गुरुग्राम (उत्तर)	8,43,450	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	1,01,214
14	341XXXXXX778	गुरुग्राम (उत्तर)	6,07,984	06XXXXXXXXXX1Z4	24 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8525	18	1,09,437
15	301XXXXXX492	गुरुग्राम (उत्तर)	8,16,764	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	98,012
16	361XXXXXX602	गुरुग्राम (उत्तर)	9,70,329	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8523	18	1,74,659
17	351XXXXXX702	गुरुग्राम (उत्तर)	14,26,038	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	1,71,125
18	341XXXXXX258	गुरुग्राम (उत्तर)	37,49,200	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	4,49,904
19	301XXXXXX485	गुरुग्राम (उत्तर)	8,15,480	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	48025690	12	97,858
20	391XXXXXX142	गुरुग्राम (उत्तर)	13,06,775	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8523	18	2,35,220

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	ई-वे बिल जनरेट होने की तिथि	पंजीकरण रद्द होने की तिथि	एचएसएन कोड	कर की दर (प्रतिशत में)	कर
21	391XXXXXX812	गुरुग्राम (उत्तर)	10,52,498	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	1,26,300
22	341XXXXXX220	गुरुग्राम (उत्तर)	16,12,220	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	1,93,466
23	301XXXXXX953	गुरुग्राम (उत्तर)	28,27,125	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	3,39,255
24	361XXXXXX619	गुरुग्राम (उत्तर)	32,01,406	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	3,84,169
25	351XXXXXX050	गुरुग्राम (उत्तर)	27,85,116	06XXXXXXXXXX1Z4	23 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	3,34,214
26	351XXXXXX708	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	8,54,598
27	391XXXXXX904	गुरुग्राम (उत्तर)	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4	25 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	5,86,064
28	341XXXXXX612	गुरुग्राम (उत्तर)	21,30,358	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	2,55,643
29	311XXXXXX365	गुरुग्राम (उत्तर)	10,69,316	06XXXXXXXXXX1Z4	29 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8523	18	1,92,477
30	381XXXXXX032	गुरुग्राम (उत्तर)	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4	18 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	5,57,827
31	361XXXXXX314	गुरुग्राम (उत्तर)	15,93,188	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	1,91,183
32	381XXXXXX646	गुरुग्राम (उत्तर)	37,13,484	06XXXXXXXXXX1Z4	18 जनवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	4,45,618
33	391XXXXXX334	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4	05 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	5,62,380
34	391XXXXXX227	सोनीपत	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC	14 मार्च 2019	12 मार्च 2019	4412	18	32,08,959
35	301XXXXXX751	गुरुग्राम (उत्तर)	78,02,570	06XXXXXXXXXX1Z4	16 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	9,36,308
36	331XXXXXX337	गुरुग्राम (उत्तर)	77,71,745	06XXXXXXXXXX1Z4	16 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	85171290	12	9,32,609
37	381XXXXXX163	गुरुग्राम (उत्तर)	75,35,710	06XXXXXXXXXX1Z4	16 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	8517	12	9,04,285
38	361XXXXXX762	गुरुग्राम (उत्तर)	74,98,000	06XXXXXXXXXX1Z4	04 फरवरी 2020	05 दिसंबर 2019	85171290	12	8,99,760
39	371XXXXXX086	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,98,250	06XXXXXXXXXX1ZK	23 सितंबर 2020	31 अगस्त 2020	3908	18	2,51,685
40	341XXXXXX596	फरीदाबाद (पश्चिम)	12,98,500	06XXXXXXXXXX1ZK	21 सितंबर 2020	31 अगस्त 2020	3908	18	2,33,730
41	341XXXXXX517	फरीदाबाद (पश्चिम)	13,16,102	06XXXXXXXXXX2Z5	29 अक्तूबर 2020	28 अक्तूबर 2020	8477	18	2,36,898
योग			**13,48,84,135**						**1,71,96,252**

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ: 10)

समान/उसी इनवॉइसों के आधार पर अनेक ई-वे बिलों का सृजन

क्र.सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	311XXXXXX497	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
2	331XXXXXX815	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
3	341XXXXXX937	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
4	761XXXXXX224	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
5	381XXXXXX359	सोनीपत	98,000	06XXXXXXXXXX1ZI
6	321XXXXXX538	सोनीपत	60,050	06XXXXXXXXXX1Z4
		योग	**17,58,112**	

परिशिष्ट 1.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.6; पृष्ठ: 10)
जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ई-वे बिलों का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन	ई-वे बिल जनरेट होने की तिथि	एचएसएन कोड	कर की दर (प्रतिशत में)	कर	टिप्पणी
1	331XXXXXX391	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,14,880	06XXXXXXXXXX1ZT	20 जनवरी 2019	7204	18	1,10,678	वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
2	391XXXXXX948	सोनीपत	95,95,000	06XXXXXXXXXX1ZV	14 अगस्त 2021	84212900	18	17,27,100	दुपहिया
3	301XXXXXX782	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7	11 मार्च 2019	7602	18	13,57,530	दुपहिया
4	391XXXXXX786	गुरुग्राम (उत्तर)	1,00,759	06XXXXXXXXXX1ZE	25 नवंबर 2018	4408	18	18,137	वाहन सरेंडर किया गया
5	331XXXXXX221	पानीपत	11,50,050	06XXXXXXXXXX1Z2	24 जून 2021	550510	18	2,07,009	वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
6	381XXXXXX177	गुरुग्राम (उत्तर)	12,00,000	06XXXXXXXXXX1Z6	26 जनवरी 2022	1207	5	60,000	चोरी का वाहन
7	381XXXXXX396	गुरुग्राम (उत्तर)	12,40,000	06XXXXXXXXXX1Z6	28 जनवरी 2022	1207	5	62,000	चोरी का वाहन
8	301XXXXXX300	फरीदाबाद (पश्चिम)	5,70,216	06XXXXXXXXXX1ZW	21 सितंबर 2021	76012010	18	1,02,639	निलंबित वाहन
9	381XXXXXX297	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,59,865	06XXXXXXXXXX1ZS	17 सितंबर 2021	76012010	18	1,18,776	निलंबित वाहन
10	381XXXXXX593	सोनीपत	8,38,440	06XXXXXXXXXX2ZB	14 सितंबर 2021	100630	0	0	सरेंडर किया गया वाहन
11	361XXXXXX904	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,05,040	06XXXXXXXXXX1ZT	20 जनवरी 2019	7204	18	1,08,907	सरेंडर किया गया वाहन
12	311XXXXXX365	गुरुग्राम (दक्षिण)	36,70,810	06XXXXXXXXXX1ZW	28 फरवरी 2021	7801	18	6,60,746	स्क्रैप वाहन
		योग	**2,77,86,895**					**45,33,522**	

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.7; पृष्ठ: 11)

आठ घंटे से अधिक समय की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद ई-वे बिलों का विस्तार

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	371XXXXXX493	30 अक्तूबर 2018	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,31,142	06XXXXXXXXXX1ZR
2	321XXXXXX538	16 अक्तूबर 2018	सोनीपत	60,050	06XXXXXXXXXX1Z4
			योग	**3,91,192**	

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.8; पृष्ठ: 12)

ई-वे बिल तैयार होने के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल रद्द करना

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	301XXXXXX480	02 अगस्त 2018	सोनीपत	2,29,37,600	06XXXXXXXXXX1ZX
2	331XXXXXX207	02 अगस्त 2018	सोनीपत	2,29,37,600	06XXXXXXXXXX1ZX
			योग	**4,58,75,200**	

परिशिष्ट 1.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.9; पृष्ठ: 12)

ई-वे बिल विवरण प्रेषित किए जाने के बहत्तर घंटे के बाद ई-वे बिलों को अस्वीकार करना

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	391XXXXXX786	25 नवंबर 2018	गुरुग्राम (उत्तर)	1,00,759	06XXXXXXXXXX1ZE
2	331XXXXXX221	24 जून 2021	पानीपत	11,50,050	06XXXXXXXXXX1Z2
			योग	**12,50,809**	

परिशिष्ट 1.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (i); पृष्ठ: 13)

असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	371XXXXXX772	23 नवंबर 2019	सोनीपत	68,545	06XXXXXXXXXX1ZO
2	321XXXXXX822	29 जनवरी 2019	पानीपत	65,82,456	06XXXXXXXXXX1ZG
3	381XXXXXX359	19 मार्च 2020	सोनीपत	98,000	06XXXXXXXXXX1ZI
4	311XXXXXX686	18 मई 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	46,94,800	06XXXXXXXXXX1ZE
5	361XXXXXX837	18 मई 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	50,73,090	06XXXXXXXXXX1ZE
			योग	**1,65,16,891**	

परिशिष्ट 1.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (ii); पृष्ठ: 13)

केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य	जीएसटीआईएन
1	351XXXXXX113	07 नवंबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3
2	351XXXXXX010	31 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	32,23,145	06XXXXXXXXXX1Z3
3	381XXXXXX732	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4
4	331XXXXXX312	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4
5	331XXXXXX128	24 अगस्त 2020	सोनीपत	23,83,040	06XXXXXXXXXX1Z3
6	301XXXXXX782	11 मार्च 2019	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7
7	371XXXXXX493	30 अक्तूबर 2018	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,31,142	06XXXXXXXXXX1ZR
8	331XXXXXX180	31 अक्तूबर 2020	फरीदाबाद (पश्चिम)	15,18,400	06XXXXXXXXXX2Z5
9	341XXXXXX331	17 दिसंबर 2020	फरीदाबाद (पश्चिम)	17,70,200	06XXXXXXXXXX2Z5
10	381XXXXXX177	26 जनवरी 2022	गुरुग्राम (उत्तर)	12,00,000	06XXXXXXXXXX1Z6
11	381XXXXXX396	28 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	12,40,000	06XXXXXXXXXX1Z6
12	311XXXXXX856	05 मई 2018	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN
13	381XXXXXX013	05 मई 2018	सोनीपत	6,53,185	06XXXXXXXXXX1ZN
14	311XXXXXX216	06 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	5,75,700	06XXXXXXXXXX1Z4
15	391XXXXXX002	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	5,79,420	06XXXXXXXXXX1Z4
16	311XXXXXX335	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,43,450	06XXXXXXXXXX1Z4
17	341XXXXXX778	24 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	6,07,984	06XXXXXXXXXX1Z4
18	301XXXXXX492	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,16,764	06XXXXXXXXXX1Z4
19	361XXXXXX602	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	9,70,329	06XXXXXXXXXX1Z4
20	351XXXXXX702	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	14,26,038	06XXXXXXXXXX1Z4
21	341XXXXXX258	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	37,49,200	06XXXXXXXXXX1Z4
22	301XXXXXX485	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,15,480	06XXXXXXXXXX1Z4
23	391XXXXXX142	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	13,06,775	06XXXXXXXXXX1Z4
24	391XXXXXX812	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	10,52,498	06XXXXXXXXXX1Z4
25	341XXXXXX220	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	16,12,220	06XXXXXXXXXX1Z4
26	301XXXXXX953	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	28,27,125	06XXXXXXXXXX1Z4
27	361XXXXXX619	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	32,01,406	06XXXXXXXXXX1Z4
28	351XXXXXX050	23 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	27,85,116	06XXXXXXXXXX1Z4
29	351XXXXXX708	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4
30	391XXXXXX904	25 जनवरी 2020	सोनीपत	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4
31	341XXXXXX612	04 फरवरी 2020	सोनीपत	21,30,358	06XXXXXXXXXX1Z4
32	311XXXXXX365	29 जनवरी 2020	सोनीपत	10,69,316	06XXXXXXXXXX1Z4
33	381XXXXXX032	18 जनवरी 2020	सोनीपत	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4
34	361XXXXXX314	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	15,93,188	06XXXXXXXXXX1Z4
35	381XXXXXX646	18 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	37,13,484	06XXXXXXXXXX1Z4
36	391XXXXXX334	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4
37	381XXXXXX793	15 मार्च 2019	गुरुग्राम (उत्तर)	1,92,88,748	06XXXXXXXXXX1Z7
38	371XXXXXX770	11 मार्च 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	1,90,48,430	06XXXXXXXXXX1Z7
39	391XXXXXX227	14 मार्च 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC
40	311XXXXXX769	11 मार्च 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	1,66,77,356	06XXXXXXXXXX1Z7
41	301XXXXXX751	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	78,02,570	06XXXXXXXXXX1Z4
42	331XXXXXX337	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	77,71,745	06XXXXXXXXXX1Z4
43	381XXXXXX163	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (दक्षिण)	75,35,710	06XXXXXXXXXX1Z4
44	361XXXXXX762	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	74,98,000	06XXXXXXXXXX1Z4
45	371XXXXXX086	23 सितंबर 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	13,98,250	06XXXXXXXXXX1ZK
46	341XXXXXX596	21 सितंबर 2020	सोनीपत	12,98,500	06XXXXXXXXXX1ZK
47	341XXXXXX517	29 अक्तूबर 2020	सोनीपत	13,16,102	06XXXXXXXXXX2Z5
48	311XXXXXX909	16 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,59,885	06XXXXXXXXXX1Z3
			योग	**19,82,06,150**	**48 ई-वे बिल**

परिशिष्ट 1.14 (क)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

पंजीकरण के छः महीने के भीतर करदाताओं द्वारा बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल

क्र.सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	381XXXXXX732	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4
2	331XXXXXX312	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4
3	301XXXXXX782	11 मार्च 2019	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7
4	351XXXXXX708	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4
5	391XXXXXX904	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4
6	381XXXXXX032	18 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4
7	391XXXXXX334	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4
8	381XXXXXX793	15 मार्च 2019	सोनीपत	1,92,88,748	06XXXXXXXXXX1Z7
9	371XXXXXX770	11 मार्च 2019	सोनीपत	1,90,48,430	06XXXXXXXXXX1Z7
10	391XXXXXX227	14 मार्च 2019	सोनीपत	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC
11	311XXXXXX769	11 मार्च 2019	सोनीपत	1,66,77,356	06XXXXXXXXXX1Z7
12	301XXXXXX751	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	78,02,570	06XXXXXXXXXX1Z4
13	331XXXXXX337	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	77,71,745	06XXXXXXXXXX1Z4
14	381XXXXXX163	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	75,35,710	06XXXXXXXXXX1Z4
15	361XXXXXX762	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	74,98,000	06XXXXXXXXXX1Z4
	15 ई-वे बिल		**योग**	**14,72,52,304**	

परिशिष्ट 1.14 (ख)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

उच्च दूरी वाले पिन से पिन तक बनाए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	311XXXXXX856	05 मई 2018	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN
2	381XXXXXX013	05 मई 2018	सोनीपत	6,53,185	06XXXXXXXXXX1ZN
	02 ई-वे बिल		**योग**	**7,33,531**	

परिशिष्ट 1.14 (ग)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

एमसीए डिफॉल्टरों से संबंधित करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	341XXXXXX937	01 नवंबर 2018	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
2	761XXXXXX224	06 नवंबर 2018	सोनीपत	4,19,331	06XXXXXXXXXX1ZT
	02 ई-वे बिल		**योग**	**8,38,662**	

परिशिष्ट 1.14 (घ)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

डीजीएफटी की ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल संस्थाओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	501XXXXXX466	29 अगस्त 2019	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
2	531XXXXXX326	25 अगस्त 2019	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
3	321XXXXXX822	29 जनवरी 2019	पानीपत	65,82,456	06XXXXXXXXXX1ZG
	03 ई-वे बिल		**योग**	**75,77,456**	

परिशिष्ट 1.14 (ङ)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

डीजीएआरएम द्वारा अपराधों के लिए दर्ज किए गए करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

क्र.सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	331XXXXXX391	20 जनवरी 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,14,880	06XXXXXXXXXX1ZT
2	351XXXXXX113	07 नवंबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3
3	351XXXXXX010	31 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	32,23,145	06XXXXXXXXXX1Z3
4	311XXXXXX497	11 अगस्त 2018	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
5	331XXXXXX815	11 अगस्त 2018	पानीपत	3,80,700	06XXXXXXXXXX1ZV
6	381XXXXXX732	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	72,64,330	06XXXXXXXXXX1Z4
7	331XXXXXX312	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	76,55,458	06XXXXXXXXXX1Z4
8	501XXXXXX466	29 अगस्त 2019	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
9	531XXXXXX326	25 अगस्त 2019	सोनीपत	4,97,500	06XXXXXXXXXX1ZT
10	391XXXXXX948	14 अगस्त 2021	सोनीपत	95,95,000	06XXXXXXXXXX1ZV
11	301XXXXXX782	11 मार्च 2019	सोनीपत	75,41,835	06XXXXXXXXXX1Z7
12	361XXXXXX904	20 जनवरी 2019	फरीदाबाद (पश्चिम)	6,05,040	06XXXXXXXXXX1ZT
13	311XXXXXX216	06 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	5,75,700	06XXXXXXXXXX1Z4
14	391XXXXXX002	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	5,79,420	06XXXXXXXXXX1Z4
15	311XXXXXX335	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,43,450	06XXXXXXXXXX1Z4
16	341XXXXXX778	24 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	6,07,984	06XXXXXXXXXX1Z4
17	301XXXXXX492	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,16,764	06XXXXXXXXXX1Z4
18	361XXXXXX602	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	9,70,329	06XXXXXXXXXX1Z4
19	351XXXXXX702	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	14,26,038	06XXXXXXXXXX1Z4
20	341XXXXXX258	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	37,49,200	06XXXXXXXXXX1Z4
21	301XXXXXX485	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	8,15,480	06XXXXXXXXXX1Z4
22	391XXXXXX142	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	13,06,775	06XXXXXXXXXX1Z4
23	391XXXXXX812	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	10,52,498	06XXXXXXXXXX1Z4
24	341XXXXXX220	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	16,12,220	06XXXXXXXXXX1Z4
25	301XXXXXX953	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	28,27,125	06XXXXXXXXXX1Z4
26	361XXXXXX619	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	32,01,406	06XXXXXXXXXX1Z4
27	351XXXXXX050	23 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	27,85,116	06XXXXXXXXXX1Z4
28	351XXXXXX708	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	71,21,652	06XXXXXXXXXX1Z4
29	391XXXXXX904	25 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	48,83,865	06XXXXXXXXXX1Z4
30	341XXXXXX612	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	21,30,358	06XXXXXXXXXX1Z4
31	311XXXXXX365	29 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	10,69,316	06XXXXXXXXXX1Z4
32	381XXXXXX032	18 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	46,48,555	06XXXXXXXXXX1Z4
33	361XXXXXX314	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	15,93,188	06XXXXXXXXXX1Z4
34	381XXXXXX646	18 जनवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	37,13,484	06XXXXXXXXXX1Z4
35	391XXXXXX334	05 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	46,86,500	06XXXXXXXXXX1Z4
36	381XXXXXX793	15 मार्च 2019	सोनीपत	1,92,88,748	06XXXXXXXXXX1Z7
37	371XXXXXX770	11 मार्च 2019	सोनीपत	1,90,48,430	06XXXXXXXXXX1Z7
38	391XXXXXX227	14 मार्च 2019	सोनीपत	1,78,27,550	06XXXXXXXXXX2ZC
39	311XXXXXX769	11 मार्च 2019	सोनीपत	1,66,77,356	06XXXXXXXXXX1Z7
40	301XXXXXX751	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	78,02,570	06XXXXXXXXXX1Z4
41	331XXXXXX337	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	77,71,745	06XXXXXXXXXX1Z4
42	381XXXXXX163	16 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	75,35,710	06XXXXXXXXXX1Z4
43	361XXXXXX762	04 फरवरी 2020	गुरुग्राम (उत्तर)	74,98,000	06XXXXXXXXXX1Z4
44	311XXXXXX909	16 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,59,885	06XXXXXXXXXX1Z3
	44 ई-वे बिल		**योग**	**19,75,88,305**	

परिशिष्ट 1.14 (च)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iii); पृष्ठ: 13)

अमान्य पिन कोड का उपयोग करके बनाए गए ई-वे बिल

क्र.सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	321XXXXXX822	29 जनवरी 2019	पानीपत	65,82,456	06XXXXXXXXXX1ZG
2	331XXXXXX128	24 अगस्त 2020	सोनीपत	23,83,040	06XXXXXXXXXX1Z3
	02 ई-वे बिल		**योग**	**89,65,496**	

परिशिष्ट 1.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.10 (iv); पृष्ठ: 14)

उन करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	डीईटीसी	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन
1	351XXXXXX113	07 नवंबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	25,05,800	06XXXXXXXXXX1Z3
2	351XXXXXX010	31 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	32,23,145	06XXXXXXXXXX1Z3
3	331XXXXXX128	24 अगस्त 2020	सोनीपत	23,83,040	06XXXXXXXXXX1Z3
4	311XXXXXX856	05 मई 2018	सोनीपत	80,346	06XXXXXXXXXX1ZN
5	381XXXXXX013	05 मई 2018	सोनीपत	6,53,185	06XXXXXXXXXX1ZN
6	311XXXXXX909	16 अक्तूबर 2019	गुरुग्राम (दक्षिण)	3,59,885	06XXXXXXXXXX1Z3
	06 ई-वे बिल		**योग**	**92,05,401**	

परिशिष्ट 1.16 (क)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11 (क); पृष्ठ: 15)

हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा में करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन से	जीएसटीआईएन को	राज्य
1	351XXXXXX000	27 मई 2019 13:55	1,68,58,80,000	06XXXXXXXXXX1ZX	03XXXXXXXXXX2Z2	पंजाब
2	351XXXXXX100	01 सितंबर 2021 17:18	3,64,74,740	06XXXXXXXXXX1ZO	08XXXXXXXXXX1ZK	राजस्थान
3	331XXXXXX000	12 अक्तूबर 2018 13:57	1,88,70,745	06XXXXXXXXXX1ZE	19XXXXXXXXXX1Z7	पश्चिम बंगाल
4	301XXXXXX268	07 जनवरी 2022 16:45	93,30,000	06XXXXXXXXXX1Z1	20XXXXXXXXXX1ZB	झारखंड
5	321XXXXXX000	04 सितंबर 2018 22:15	91,28,393	06XXXXXXXXXX1ZE	19XXXXXXXXXX1Z7	केंद्र
		योग	**1,75,96,83,878**			

परिशिष्ट 1.16 (ख)

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11 (क); पृष्ठ: 15)

हरियाणा में करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	ई-वे बिल नंबर	ई-वे बिल की तिथि	ई-वे बिल का मूल्य (राशि ₹ में)	जीएसटीआईएन से	राज्य से प्रेषण	जीएसटीआईएन को	पहुंच राज्य
1	221XXXXXX958	11 जुलाई 2019 17:19	5,68,55,434	27XXXXXXXXXX1ZG	महाराष्ट्र	06XXXXXXXXXX1ZK	हरियाणा
2	661XXXXXX006	17 दिसंबर 2018 18:42	2,69,05,500	23XXXXXXXXXX1ZC	मध्य प्रदेश	06XXXXXXXXXX1Z8	हरियाणा
3	551XXXXXX989	30 मार्च 2021 14:52	3,01,02,999	33XXXXXXXXXX1ZM	तमिलनाडु	06XXXXXXXXXX5ZF	हरियाणा
4	351XXXXXX438	04 मई 2019 19:20	44,21,561	02XXXXXXXXXX2Z7	हिमाचल प्रदेश	06XXXXXXXXXX1Z0	हरियाणा
5	221XXXXXX865	05 जून 2021 15:00	2,96,48,513	27XXXXXXXXXX1ZB	महाराष्ट्र	06XXXXXXXXXX1ZF	हरियाणा
6	881XXXXXX804	29 दिसंबर 2018 11:38	95,98,451	19XXXXXXXXXX1Z7	पश्चिम बंगाल	06XXXXXXXXXX1ZE	हरियाणा
7	891XXXXXX766	09 सितंबर 2021 23:05	99,19,790	19XXXXXXXXXX1ZN	पश्चिम बंगाल	06XXXXXXXXXX1ZU	हरियाणा
8	441XXXXXX000	18 जून 2018 12:34	34,50,000	20XXXXXXXXXX1ZY	झारखंड	06XXXXXXXXXX1ZO	हरियाणा
9	661XXXXXX395	11 जुलाई 2021 23:40	60,90,138	23XXXXXXXXXX1Z0	मध्य प्रदेश	06XXXXXXXXXX2ZV	हरियाणा
10	781XXXXXX576	08 नवंबर 2021 21:20	1,63,65,040	07XXXXXXXXXX1Z2	दिल्ली	06XXXXXXXXXX1Z4	हरियाणा
11	641XXXXXX835	25 सितंबर 2019 17:45	59,20,000	24XXXXXXXXXX1ZV	गुजरात	06XXXXXXXXXX1ZT	हरियाणा
12	241XXXXXX706	17 नवंबर 2021 17:04	1,79,23,384	27XXXXXXXXXX1Z6	महाराष्ट्र	06XXXXXXXXXX1ZA	हरियाणा
		योग	**21,72,00,810**				

परिशिष्ट 1.17
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.15.1; पृष्ठ: 18)

अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल नंबर	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
1	585459	301XXXXXX133	9,55,800	9,55,800	19,11,600	नवंबर-2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
2	585457	331XXXXXX999	1,53,866	1,53,866	3,07,732	नवंबर-2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
3	585454	611XXXXXX883	61,722	61,722	1,23,444	नवंबर-2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
4	87900	-	16,50,000	30,00,000	46,50,000	फरवरी-2019	फरीदाबाद (उत्तर)
5	87890	781XXXXXX479	61,342	4,18,660	4,80,002	फरवरी-2019	फरीदाबाद (उत्तर)
6	87898	321XXXXXX544	61,342	4,18,660	4,80,002	फरवरी-2019	फरीदाबाद (उत्तर)
7	606960	-	0	27,57,832	27,57,832	जनवरी-2022	फरीदाबाद (उत्तर)
8	609834	351XXXXXX065	0	2,95,846	2,95,846	जनवरी-2022	फरीदाबाद (उत्तर)
9	610686	-	0	1,61,800	1,61,800	जनवरी-2022	फरीदाबाद (उत्तर)
10	21915	761XXXXXX963	1,99,560	1,99,560	3,99,120	अक्तूबर-2018	पानीपत
11	212040	-	10,800	60,000	70,800	नवंबर-2019	पानीपत
12	213139	361XXXXXX789	1,80,194	18,01,934	19,82,128	नवंबर-2019	झज्जर
13	199596	-	79,785	4,52,660	5,32,445	नवंबर-2019	झज्जर
14	608916	791XXXXXX980	0	5,00,641	5,00,641	जनवरी-2022	पंचकूला
15	607244	-	0	3,56,400	3,56,400	जनवरी-2022	पंचकूला
16	607281	-	0	2,25,900	2,25,900	जनवरी-2022	पंचकूला
17	18129	-	2,57,665	2,57,665	5,15,330	अगस्त-2018	जगाधरी
18	200100	-	16,200	16,200	32,400	नवंबर-2019	जगाधरी
19	411872	-	25,000	25,000	50,000	जनवरी-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
20	567433	-	25,27,971	25,27,971	50,55,942	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
21	567271	-	5,46,415	32,58,639	38,05,054	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
22	566799	-	4,02,324	22,39,800	26,42,124	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
23	567314	721XXXXXX966	2,36,044	13,23,007	15,59,051	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
24	566805	741XXXXXX862	2,33,966	12,99,810	15,33,776	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
25	566792	751XXXXXX215	1,27,012	8,05,412	9,32,424	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
26	546516	301XXXXXX810	3,91,200	3,91,200	7,82,400	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
27	566956	-	3,60,180	3,60,180	7,20,360	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
28	566693	-	2,97,538	2,97,538	5,95,076	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
29	546171	761XXXXXX096	2,80,800	2,80,800	5,61,600	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
30	546478	741XXXXXX201	2,67,920	2,67,920	5,35,840	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
31	546195	-	1,46,264	3,62,066	5,08,330	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
32	567208	281XXXXXX247	1,80,000	1,80,000	3,60,000	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
33	566971	-	48,824	2,71,240	3,20,064	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
34	567140	-	15,000	3,00,000	3,15,000	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
35	566933	-	41,580	2,31,000	2,72,580	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
36	566979	-	44,584	2,15,500	2,60,084	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
37	566974	-	30,918	1,72,400	2,03,318	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
38	566968	-	11,126	1,53,318	1,64,444	सितंबर-2021	फरीदाबाद (दक्षिण)
39	21157	281XXXXXX745	4,53,786	4,53,786	9,07,572	सितंबर-2018	फतेहाबाद
40	20480	391XXXXXX257	48,420	48,420	96,840	सितंबर-2018	फतेहाबाद
41	239089	-	1,15,732	1,15,732	2,31,464	दिसंबर-2019	फतेहाबाद
42	226489	-	28,512	1,58,400	1,86,912	दिसंबर-2019	फतेहाबाद
43	226035	-	49,980	49,980	99,960	दिसंबर-2019	फतेहाबाद
44	226018	-	27,500	27,500	55,000	दिसंबर-2019	फतेहाबाद
45	226002	-	25,000	25,000	50,000	दिसंबर-2019	फतेहाबाद
46	343432	-	1,01,650	1,01,650	2,03,300	जुलाई-2020	फतेहाबाद
47	346082	311XXXXXX465	30,769	30,769	61,538	जुलाई-2020	फतेहाबाद
		योग	**1,07,84,291**	**2,80,69,184**	**3,88,53,475**		

परिशिष्ट 1.18-क

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.15.2; पृष्ठ: 19)

दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी - 1, 2, 4 जारी नहीं किए गए थे

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल नंबर	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
1	90521	391XXXXXX237	4,08,755	4,08,755	8,17,510	फरवरी 2019	हिसार
2	1906	321XXXXXX433	12,54,930	12,54,930	25,09,860	अप्रैल 2018	झज्जर
3	2488	381XXXXXX235	92,340	92,340	1,84,680	अप्रैल 2018	झज्जर
		योग	**17,56,025**	**17,56,025**	**35,12,050**		

परिशिष्ट 1.18-ख

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.15.2; पृष्ठ: 19)

दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी-11 जारी नहीं किया गया था

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	निवारक इकाई	पावती संख्या	माह	एमओवी-07 जारी करने की तिथि	भुगतान की नियत तिथि	भुगतान की तिथि	विलंब (दिनों में)
1	पानीपत	606907	जनवरी 2022	16 दिसंबर 2021	23 दिसंबर 2021	11 जनवरी 2022	18
2	गुरूग्राम (पश्चिम)	451728	फरवरी 2021	01 मार्च 2021	08 मार्च 2021	10 मार्च 2021	2
3		452086	फरवरी 2021	26 फरवरी 2021	05 मार्च 2021	19 मार्च 2021	14
4		452087	फरवरी 2021	22 फरवरी 2021	01 मार्च 2021	12 मार्च 2021	11
5		452085	फरवरी 2021	26 फरवरी 2021	05 मार्च 2021	20 मार्च 2021	15
6		513218	जुलाई 2021	02 अगस्त 2021	09 अगस्त 2021	20 अगस्त 2021	11
7		286937	फरवरी 2020	08 फरवरी 2020	15 फरवरी 2020	17 फरवरी 2020	2
8		513217	जुलाई 2021	03 अगस्त 2021	10 अगस्त 2021	19 अगस्त 2021	9
9		490895	जुलाई 2021	22 जुलाई 2021	29 जुलाई 2021	11 अगस्त 2021	13
10		513216	जुलाई 2021	27 जुलाई 2021	03 अगस्त 2021	17 अगस्त 2021	14
11	झज्जर	198841	नवंबर 2019	04 नवंबर 2019	11 नवंबर 2019	22 नवंबर 2019	11
12		511831	जुलाई 2021	18 जुलाई 2021	25 जुलाई 2021	12 अगस्त 2021	18
13		451177	फरवरी 2021	09 मार्च 2021	16 मार्च 2021	08 अप्रैल 2021	23
14		451178	फरवरी 2021	09 मार्च 2021	16 मार्च 2021	08 अप्रैल 2021	23
15	फरीदाबाद (पूर्व)	617577	मार्च 2022	03 मार्च 2022	10 मार्च 2022	11 मार्च 2022	1
16		617579	मार्च 2022	03 मार्च 2022	10 मार्च 2022	11 मार्च 2022	1

परिशिष्ट 1.19-क

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.15.3; पृष्ठ: 20)

कर और पेनल्टी जमा की गई लेकिन डीआरसी-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पीएमटी-05) में डेबिट नहीं की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल नंबर	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
1	168178	-	32,076	32,076	64,152	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
2	168224	-	26,000	26,000	52,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
3	168180	-	25,000	25,000	50,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
4	169295	-	12,600	12,600	25,200	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
5	169296	-	10,000	10,000	20,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
6	22183	-	5,04,000	5,04,000	10,08,000	अक्तूबर 2018	पानीपत
7	611333	-	0	60,000	60,000	जनवरी 2022	पानीपत
8	88312	251XXXXXX422	0	25,000	25,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
		योग	**6,09,676**	**6,94,676**	**13,04,352**		

परिशिष्ट 1.19-ख

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.15.3; पृष्ठ: 20)

कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान करने की मांग किए बिना वाहनों को छोड़ देना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल नंबर	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई	डीआरसी-03	डीआरसी - 3 की राशि	देयता रजिस्टर
1	168178	-	32,076	32,076	64,152	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)	डेबिट नहीं किया गया	64,152	कोई एंट्री नहीं
2	22183	-	5,04,000	5,04,000	10,08,000	अक्तूबर 2018	पानीपत	डेबिट नहीं किया गया	10,08,000	कोई एंट्री नहीं
3	611333	-	0	60,000	60,000	जनवरी 2022	पानीपत	डेबिट नहीं किया गया	60,000	कोई एंट्री नहीं
4	88312	251XXXXXX422	3,00,000	3,00,000	6,00,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)	डेबिट नहीं किया गया	25,000	कोई एंट्री नहीं
		योग	**8,36,076**	**8,96,076**	**17,32,152**				**11,57,152**	

परिशिष्ट 1.20-क

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.16.1; पृष्ठ: 21)

हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल संख्या	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
1	96520	361XXXXXX698	1,00,033	1,00,033	2,00,066	मार्च 2019	अंबाला
2	96503	771XXXXXX610	37,296	37,296	74,592	मार्च 2019	अंबाला
3	585845	-	35,640	35,640	71,280	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
4	585787	-	33,320	33,320	66,640	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
5	599142	-	26,784	26,784	53,568	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
6	169298	-	36,000	36,000	72,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
7	168178	-	32,076	32,076	64,152	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
8	168232	-	28,430	28,430	56,860	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
9	168224	-	26,000	26,000	52,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
10	168180	-	25,000	25,000	50,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
11	169295	-	12,600	12,600	25,200	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
12	169296	-	10,000	10,000	20,000	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
13	1906	321XXXXXX433	12,54,930	12,54,930	25,09,860	अप्रैल 2018	झज्जर
14	611140	-	1,34,313	1,34,313	2,68,626	जनवरी 2022	पंचकुला
15	610423	-	77,970	77,970	1,55,940	जनवरी 2022	पंचकुला
16	412302	-	52,200	52,200	1,04,400	जनवरी 2021	जगाधरी
17	412344	-	26,550	26,550	53,100	जनवरी 2021	जगाधरी
18	424561	331XXXXXX602	24,300	24,300	48,600	जनवरी 2021	जगाधरी
19	424567	-	21,312	21,312	42,624	जनवरी 2021	जगाधरी
20	472462	-	1,92,710	1,92,710	3,85,420	अप्रैल 2021	जगाधरी
		योग	**21,87,464**	**21,87,464**	**43,74,928**		

परिशिष्ट 1.20-ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.16.1; पृष्ठ: 21)
हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल के अतिरिक्त

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल संख्या	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
1	132121	-	30,480	1,84,000	2,14,480	जुलाई 2019	अंबाला
2	488018	361XXXXXX735	33,242	33,242	66,484	जून 2021	हिसार
3	90521	391XXXXXX237	4,08,755	4,08,755	8,17,510	फरवरी 2019	हिसार
4	587024	181XXXXXX261	1,08,000	1,08,000	2,16,000	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
5	587028	-	96,255	96,255	1,92,510	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
6	587027	-	90,765	90,765	1,81,530	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
7	599147	-	77,274	77,274	1,54,548	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
8	587026	-	71,483	71,483	1,42,966	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
9	599148	-	68,642	68,642	1,37,284	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
10	599151	-	63,250	63,250	1,26,500	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
11	585951	-	60,768	60,768	1,21,536	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
12	585991	-	59,787	59,787	1,19,574	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
13	587025	-	44,280	44,280	88,560	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
14	585976	-	24,509	24,509	49,018	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
15	585908	-	10,147	10,147	20,294	नवंबर 2021	फरीदाबाद (पश्चिम)
16	17646	781XXXXXX179	3,47,400	3,47,400	6,94,800	अगस्त 2018	पलवल
17	28085	-	83,576	83,576	1,67,152	नवंबर 2018	पलवल
18	11689	491XXXXXX416	99,570	99,570	1,99,140	जुलाई 2018	पलवल
19	93524	-	19,500	19,500	39,000	मार्च 2019	पलवल
20	93527	-	10,000	10,000	20,000	मार्च 2019	पलवल
21	170237	371XXXXXX511	1,40,805	1,40,805	2,81,610	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
22	168227	-	21,600	21,600	43,200	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
23	169297	391XXXXXX141	9,360	9,360	18,720	अगस्त 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
24	88428	741XXXXXX193	1,17,228	1,17,228	2,34,456	फरवरी 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
25	88434	601XXXXXX024	1,10,000	1,10,000	2,20,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
26	88419	-	63,000	63,000	1,26,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
27	88433	-	46,800	46,800	93,600	फरवरी 2019	फरीदाबाद (पूर्व)
28	625775	-	0	4,82,400	4,82,400	मार्च 2022	फरीदाबाद (पूर्व)
29	625772	-	0	4,82,400	4,82,400	मार्च 2022	फरीदाबाद (पूर्व)
30	617579	-	0	2,87,091	2,87,091	मार्च 2022	फरीदाबाद (पूर्व)
31	617577	-	0	2,58,048	2,58,048	मार्च 2022	फरीदाबाद (पूर्व)
32	88312	251XXXXXX422	3,00,000	3,00,000	6,00,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
33	65449	-	84,280	84,280	1,68,560	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
34	90805	721XXXXXX948	63,000	63,000	1,26,000	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
35	90203	771XXXXXX789	59,700	59,700	1,19,400	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
36	65451	-	55,860	55,860	1,11,720	फरवरी 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
37	173605	-	5,40,000	5,40,000	10,80,000	सितंबर 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
38	175140	-	69,300	3,85,000	4,54,300	सितंबर 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
39	174106	281XXXXXX389	32,500	32,500	65,000	सितंबर 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
40	175906	681XXXXXX926	1,06,200	1,06,200	2,12,400	सितंबर 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
41	178859	761XXXXXX079	76,500	76,500	1,53,000	सितंबर 2019	फरीदाबाद (उत्तर)
42	452207	-	2,14,758	2,14,758	4,29,516	फरवरी 2021	फरीदाबाद (उत्तर)
43	289189	641XXXXXX218	3,39,814	3,39,814	6,79,628	फरवरी 2020	गुरुग्राम (पश्चिम)
44	285873	761XXXXXX959	70,440	70,440	1,40,880	फरवरी 2020	गुरुग्राम (पश्चिम)
45	286937	721XXXXXX146	63,122	63,122	1,26,244	फरवरी 2020	गुरुग्राम (पश्चिम)
46	287975	761XXXXXX013	45,994	45,994	91,988	फरवरी 2020	गुरुग्राम (पश्चिम)
47	285907	-	35,000	35,000	70,000	फरवरी 2020	गुरुग्राम (पश्चिम)
48	451739	-	10,00,000	36,64,700	46,90,816	फरवरी 2021	गुरुग्राम (पश्चिम)
49	426878	681XXXXXX711	10,00,000	10,26,000	20,52,000	फरवरी 2021	गुरुग्राम (पश्चिम)

क्र.सं.	पावती संख्या	ई-वे बिल संख्या	कर	पेनल्टी	कर + पेनल्टी	माह	निवारक इकाई
50	427238	-	1,71,706	18,52,280	20,23,986	फरवरी 2021	गुरुग्राम (पश्चिम)
51	451728	-	2,24,328	16,67,910	18,92,238	फरवरी 2021	गुरुग्राम (पश्चिम)
52	490341	661XXXXXX419	2,55,512	2,55,512	5,11,024	जुलाई2021	गुरुग्राम (पश्चिम)
53	511266	-	2,25,293	2,25,293	4,50,586	जुलाई2021	गुरुग्राम (पश्चिम)
54	450316	-	1,13,724	1,13,724	2,27,448	फरवरी 2021	पानीपत
55	606907	-	1,21,726	6,85,700	8,07,426	जनवरी 2022	पानीपत
56	607424	741XXXXXX282	2,12,450	2,12,450	4,24,900	जनवरी 2022	पानीपत
57	2488	381XXXXXX235	92,340	92,340	1,84,680	अप्रैल 2018	झज्जर
58	451177	-	19,08,864	19,08,864	38,17,728	फरवरी 2021	झज्जर
59	451178	-	19,08,864	19,08,864	38,17,728	फरवरी 2021	झज्जर
60	511831	701XXXXXX985	16,78,708	17,54,100	34,32,808	जुलाई 2021	झज्जर
61	610609	761XXXXXX131	0	2,97,560	2,97,560	जनवरी 2022	पंचकुला
62	611291	731XXXXXX785	0	2,47,388	2,47,388	जनवरी 2022	पंचकुला
63	608088	301XXXXXX500	76,942	1,53,884	2,30,826	जनवरी 2022	पंचकुला
64	608091	-	0	1,50,000	1,50,000	जनवरी 2022	पंचकुला
65	610431	-	0	1,12,724	1,12,724	जनवरी 2022	पंचकुला
		योग	**1,34,63,401**	**2,27,81,396**	**3,62,96,913**		

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 27)

विस्तृत लेखापरीक्षा नमूना

क्र.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	क्षेत्राधिकार
1	06AxxxxxxxxR1ZJ	अंबाला
2	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला
3	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी
4	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)
5	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)
6	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)
7	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)
8	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)
9	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)
10	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)
11	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)
12	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)
13	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)
14	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)
15	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)
16	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)
17	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)
18	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)
19	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)
20	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)
21	06AxxxxxxxxM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)
22	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)
23	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)
24	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)
25	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)
26	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)
27	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)
28	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)
29	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)
30	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)
31	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)
32	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)
33	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)
34	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)
35	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)
36	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)
37	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)
38	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)
39	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)
40	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)
41	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)
42	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)
43	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)
44	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)

क्र.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	क्षेत्राधिकार
45	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)
46	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)
47	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)
48	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)
49	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)
50	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)
51	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)
52	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)
53	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)
54	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)
55	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार
56	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार
57	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार
58	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर
59	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल
60	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल
61	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र
62	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला
63	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत
64	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत
65	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी
66	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी
67	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी
68	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक
69	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत
70	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 29)

जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई

जिला	श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
पानीपत	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	520	1,256	383	2,159
करनाल	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	139	269	122	530
रेवाड़ी	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	10	34	26	70
रोहतक	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	82	163	242	487
झज्जर	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	74	126	364	564
कैथल	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	205	121	52	378
हिसार	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	31	44	56	131
कुरुक्षेत्र	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	133	264	153	550
जगाधरी	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	227	211	221	659
पंचकुला	ऐसे मामले जहां वर्ष के मार्च महीने तक सात या उससे अधिक बार जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई है	158	259	119	536
					6,064

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 30)

पंजीकरण निरस्त करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना

जिला	स्व-निरस्त मामले							जी.एस.टी.आर. -10 रिटर्न फाइल की गई	जी.एस.टी.आर.-10 रिटर्न फाइल नहीं की गई	3ए नोटिस जारी किए गए	मामले जहां 3ए जारी नहीं किया गया	किया गया निर्धारण
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल					
पानीपत	0	715	4,914	2,324	1,095	2,361	11,409	910	10,499	1,523	8,976	0
करनाल	0	260	1,895	2,161	691	1,620	6,627	930	5,697	846	4,851	0
रेवाड़ी	0	55	1,789	1,465	851	1,529	5,689	610	5,079	606	4,473	0
रोहतक	0	81	1,810	761	1,174	1,273	5,099	538	4,561	1,307	3,254	0
झज्जर	0	5	882	699	1,051	1,370	4,007	408	3,599	1,236	2,363	0
कैथल	0	681	962	464	437	528	3,072	417	2,655	237	2,418	0
हिसार	0	86	2,260	1,567	347	2,405	6,665	1,125	5,540	1,258	4,282	0
कुरुक्षेत्र	0	222	814	476	217	938	2,667	543	2,124	748	1,376	0
जगाधरी	0	911	1,676	1,336	219	2,062	6,204	486	5,718	1,101	4,617	0
पंचकुला	0	374	1,948	1,251	265	707	4,545	376	4,169	435	3,734	0
कुल							**55,984**	**6,343**	**49,641**	**9,297**	**40,344**	**0**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.4; पृष्ठ 32)

मानव संसाधन का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त	5*	1	4	80.00
2	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त	13	12	1	7.69
3	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त	27	25	2	7.41
4	आबकारी एवं कराधान अधिकारी	225	191	34	15.11
5	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी	83	37	46	55.42
6	कराधान निरीक्षक	720	463	257	35.69
	कुल	**1,073**	**729**	**344**	

* विभाग में अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की कुल स्वीकृत संख्या सात है।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 34)

नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
1	आई.टी.सी. बेमेल होना या अधिक आई.टी.सी. प्राप्त करना (आर3बी एवं आर2ए)	फरीदाबाद (पूर्व)	3	67,89,79,188
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	49,28,15,182
		गुरुग्राम (पूर्व)	27	5,27,34,58,801
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	1,46,10,01,839
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	34,10,11,667
		गुरुग्राम (पश्चिम)	4	65,45,97,023
		हिसार	3	74,68,57,377
		झज्जर	5	1,62,29,27,694
		जींद	2	17,66,18,567
		कुरुक्षेत्र	2	23,80,63,442
		मेवात	1	17,26,97,536
		पलवल	1	26,74,84,355
		पानीपत	3	18,54,03,307
		रेवाड़ी	2	57,21,79,871
		सिरसा	1	43,93,63,748
		सोनीपत वार्ड 2	8	1,06,52,37,939
	कुल		**73**	**14,38,86,97,536**
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना आई.टी.सी. प्राप्त करना	अंबाला	3	92,85,68,844
		फरीदाबाद (उत्तर)	3	19,00,70,923
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	39,22,74,463
		गुरुग्राम (पूर्व)	12	1,00,69,97,247
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	47,10,17,938
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	17,93,15,705
		गुरुग्राम (पश्चिम)	6	28,00,49,243
		करनाल	4	29,80,88,577
		पंचकुला	3	11,63,74,053
		सोनीपत	4	27,19,70,000
	कुल		**45**	**4,13,47,26,993**
3	समय-सीमा की समाप्ति के बाद फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-3बी पर आई.टी.सी. प्राप्त करना	भिवानी	1	2,31,05,179
		फरीदाबाद (पूर्व)	2	2,37,27,465
		गुरुग्राम (पूर्व)	14	33,42,59,604
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	5,53,85,401
		गुरुग्राम (दक्षिण)	13	49,77,71,819
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	12,61,50,547
		हिसार	3	3,59,58,720
		जगाधरी	1	1,65,01,585
		झज्जर	1	1,72,55,732
		पानीपत	1	5,75,27,234
		रेवाड़ी	2	13,67,30,056
		सोनीपत	3	46,83,97,017
	कुल		**44**	**1,79,27,70,359**
4	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	अंबाला	2	1,08,18,896
		फरीदाबाद (पूर्व)	1	42,22,644
		फरीदाबाद (पश्चिम)	2	49,49,977
		गुरुग्राम (पूर्व)	5	7,30,08,416
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	1,26,29,105
		गुरुग्राम (दक्षिण)	6	1,43,80,210
		गुरुग्राम (पश्चिम)	5	81,40,782
		जगाधरी	1	44,42,961

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
		झज्जर	1	22,25,857
		पलवल	4	2,39,06,802
		पानीपत	2	82,36,855
		रोहतक	1	20,75,038
		सोनीपत	3	23,87,514
	कुल		**35**	**17,14,25,056**
5	आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 में कर का भुगतान	फरीदाबाद (पूर्व)	2	2,87,43,004
		फरीदाबाद (पश्चिम)	3	28,88,05,256
		गुरुग्राम (पूर्व)	16	58,42,08,149
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	6,01,54,904
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	93,08,99,872
		गुरुग्राम (पश्चिम)	4	39,58,44,488
		करनाल	1	3,04,17,992
		रेवाड़ी	1	29,87,55,136
		रोहतक	1	4,76,26,664
	कुल		**34**	**2,66,54,55,465**
6	वार्षिक रिटर्न और लेखा बहियों के बीच प्राप्त आई.टी.सी. का मेल न होना	फरीदाबाद (पूर्व)	4	1,45,41,24,744
		गुरुग्राम (पूर्व)	1	4,87,98,824
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	4,62,38,184
		गुरुग्राम (पश्चिम)	2	4,51,87,268
		झज्जर	2	10,06,15,832
		रोहतक	3	36,07,05,584
		सोनीपत	3	34,38,69,792
	कुल		**16**	**2,39,95,40,228**
7	वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आई.टी.सी. और वित्तीय विवरणों में व्यय के बीच मिलान	अंबाला	2	6,00,15,766
		फरीदाबाद (उत्तर)	3	4,37,11,781
		फरीदाबाद (दक्षिण)	2	4,59,80,345
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	37,64,48,691
		हिसार	1	2,94,23,622
		रेवाड़ी	3	3,35,14,49,020
		रोहतक	3	36,07,05,584
		सोनीपत	1	3,11,59,484
	कुल		**19**	**4,29,88,94,293**
8	निपटान न की गई देयताएं	अंबाला	2	31,41,29,204
		फरीदाबाद (पूर्व)	2	33,29,52,944
		फरीदाबाद (उत्तर)	4	43,82,41,386
		फरीदाबाद (दक्षिण)	3	19,63,42,976
		फरीदाबाद (पश्चिम)	6	38,05,83,267
		गुरुग्राम (पूर्व)	13	28,24,74,68,650
		गुरुग्राम (उत्तर)	5	4,18,96,98,537
		गुरुग्राम (दक्षिण)	16	1,90,45,67,051
		गुरुग्राम (पश्चिम)	8	85,84,85,516
		हिसार	4	55,93,52,713
		जगाधरी	2	19,91,06,844
		झज्जर	6	48,50,92,590
		करनाल	2	16,55,55,699
		पलवल	3	18,82,17,292
		पंचकुला	4	27,28,66,080
		पानीपत	3	29,46,12,142
		रेवाड़ी	3	46,04,98,868
		रोहतक	2	26,05,02,249
		सोनीपत	9	40,15,74,744
	कुल		**97**	**40,14,98,48,752**

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
9	ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य का छिपाव	भिवानी	2	4,48,98,14,838
		फरीदाबाद (पूर्व)	6	2,18,39,50,704
		फरीदाबाद (दक्षिण)	12	7,94,29,48,186
		फरीदाबाद (पश्चिम)	15	20,01,71,95,152
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	59,72,15,37,008
		गुरुग्राम (उत्तर)	7	29,59,25,98,884
		गुरुग्राम (दक्षिण)	5	1,95,91,22,432
		गुरुग्राम (पश्चिम)	13	11,05,71,04,818
		जगाधरी	3	91,75,96,128
		झज्जर	2	1,63,40,19,200
		मेवात	3	1,29,18,78,140
		पलवल	3	1,74,31,21,796
		रेवाड़ी	13	5,72,65,59,434
		सोनीपत	3	1,43,56,91,780
	कुल		**91**	**1,49,71,31,38,500**
10	लेखा बहियों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में मेल न होना	फरीदाबाद (उत्तर)	1	10,50,34,864
		गुरुग्राम (पूर्व)	3	11,82,66,758
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	44,67,30,790
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	5,48,47,374
		गुरुग्राम (पश्चिम)	3	15,62,33,498
		सोनीपत	1	14,92,13,344
	कुल		**16**	**1,03,03,26,628**
11	टी.डी.एस./टी.सी.एस. घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का छिपाव	फरीदाबाद (पश्चिम)	2	1,33,18,72,224
		गुरुग्राम (पूर्व)	3	1,14,32,98,323
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	15,60,84,032
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	7,23,56,730
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	15,03,25,129
		करनाल	1	5,44,95,340
		पंचकुला	3	5,41,34,459
		रेवाड़ी	3	14,42,03,768
		सिरसा	1	6,89,43,486
		सोनीपत	2	15,68,71,819
	कुल		**19**	**3,33,25,85,310**
12	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मेल न होने के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य का छिपाव	फरीदाबाद (पश्चिम)	1	10,56,50,955
		गुरुग्राम (पूर्व)	7	2,14,28,82,051
		गुरुग्राम (उत्तर)	1	37,21,02,636
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	9,28,96,441
	कुल		**10**	**2,71,35,32,083**
13	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	फरीदाबाद (पूर्व)	3	1,21,64,08,648
		गुरुग्राम (पूर्व)	6	37,74,60,26,265
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	1,27,30,42,426
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	1,44,20,35,00,000
		जींद	1	12,24,27,92,142
		करनाल	2	80,68,56,27,675
		सोनीपत	2	21,00,35,16,006
	कुल		**20**	**2,98,37,09,13,162**
14	गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उद्ग्रहण	अंबाला	1	2,63,87,594
		करनाल	1	3,39,90,560
		पलवल	2	3,92,18,275
		पंचकुला	1	2,85,02,000
		सिरसा	2	5,01,95,360
	कुल		**7**	**17,82,93,789**

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	राशि ₹ में
15	कंपोजिशन करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाया जाना	फरीदाबाद (पूर्व)	1	1,06,62,250
		फरीदाबाद (उत्तर)	1	46,23,100
		गुरुग्राम (उत्तर)	1	96,99,746
		हिसार	1	2,85,91,723
		पानीपत	1	52,86,286
	कुल		**5**	**5,88,63,103**
16	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	अंबाला	1	2,09,48,866
		फरीदाबाद (उत्तर)	3	8,24,46,772
		फरीदाबाद (दक्षिण)	2	10,49,78,336
		फरीदाबाद (पश्चिम)	7	17,71,15,445
		फतेहाबाद	2	3,36,17,565
		गुरुग्राम (पूर्व)	6	18,03,36,486
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	8,91,33,363
		गुरुग्राम (पश्चिम)	3	23,36,48,990
		कैथल	1	3,99,04,333
		कुरुक्षेत्र	1	1,69,83,392
		पानीपत	1	1,56,01,985
		रेवाड़ी	2	4,82,20,230
		सोनीपत	2	4,64,95,899
	कुल		**37**	**1,08,94,31,661**
17	ब्याज का कम भुगतान	फरीदाबाद (पूर्व)	3	56,96,706
		फरीदाबाद (पश्चिम)	6	1,23,32,171
		गुरुग्राम (पूर्व)	24	9,87,26,092
		गुरुग्राम (उत्तर)	26	15,60,08,700
		गुरुग्राम (दक्षिण)	18	7,19,44,756
		गुरुग्राम (पश्चिम)	19	8,86,54,077
		हिसार	3	47,92,399
		कैथल	3	78,52,981
		पानीपत	1	79,35,726
		रेवाड़ी	10	3,95,99,476
		सिरसा	3	60,99,070
		सोनीपत	3	49,30,516
	कुल		**119**	**50,45,72,671**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1; पृष्ठ 44)

मामले जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम		मामलों की संख्या	राशि ₹ में
1	आई.टी.सी. बेमेल (आर3बी और आर2ए)	फरीदाबाद (पूर्व)	2	42,22,33,943
		गुरुग्राम (पूर्व)	27	5,27,34,58,801
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	1,46,10,01,839
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	34,10,11,667
		झज्जर	1	22,75,78,511
		सोनीपत	7	83,36,10,125
	कुल		**46**	**8,55,88,94,886**
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.	गुरुग्राम (पूर्व)	12	1,00,69,97,247
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	47,10,17,938
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	17,93,15,705
		पंचकुला	2	7,12,34,535
		सोनीपत	4	27,19,70,000
	कुल		**26**	**2,00,05,35,426**
3	समय सीमा की समाप्ति के बाद फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.	भिवानी	1	2,31,05,179
		गुरुग्राम (पूर्व)	14	33,42,59,604
		गुरुग्राम (उत्तर)	1	2,00,68,405
		गुरुग्राम (दक्षिण)	13	49,77,71,819
		जगाधरी	1	1,65,01,585
	कुल		**30**	**89,17,06,592**
4	आधिक्य आई.एस.डी. क्रेडिट	गुरुग्राम (पूर्व)	5	7,30,08,416
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	1,26,29,105
		गुरुग्राम (दक्षिण)	6	1,43,80,210
		पलवल	1	1,15,95,666
		रोहतक	1	20,75,038
	कुल		**15**	**11,36,88,435**
5	आर.सी.एम. पर कर का कम भुगतान	गुरुग्राम (पूर्व)	16	58,42,08,149
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	6,01,54,904
		गुरुग्राम (दक्षिण)	3	93,08,99,872
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	21,49,05,168
	कुल		**23**	**1,79,01,68,093**
6	वित्तीय विवरणों के संबंध में असमायोजित आई.टी.सी. (तालिका 12एफ)	गुरुग्राम (पूर्व)	1	4,87,98,824
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	4,62,38,184
		सोनीपत	2	17,59,63,712
	कुल		**4**	**27,10,00,720**
7	अपात्र आई.टी.सी. (तालिका 14टी)	अंबाला	1	3,28,64,928
		फरीदाबाद (उत्तर)	3	4,37,11,781
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	37,64,48,691
	कुल		**8**	**45,30,25,400**
8	चुकाई न गई कर देयता (आर1 और आर9)	फरीदाबाद (उत्तर)	4	43,82,41,386
		गुरुग्राम (पूर्व)	11	27,80,22,88,670
		गुरुग्राम (उत्तर)	5	4,18,96,98,537
		गुरुग्राम (दक्षिण)	16	1,90,45,67,051
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	8,43,18,080
		झज्जर	1	13,072
		पंचकुला	4	27,28,66,080
		रेवाड़ी	3	46,04,98,868
		सोनीपत	7	22,06,83,606
	कुल		**52**	**35,37,31,75,350**

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम		मामलों की संख्या	राशि ₹ में
9	करयोग्य मूल्य का छिपाव (ई-वे बिल)	भिवानी	2	4,48,98,14,838
		गुरुग्राम (पूर्व)	4	59,72,15,37,008
		गुरुग्राम (उत्तर)	7	29,59,25,98,884
		गुरुग्राम (दक्षिण)	5	1,95,91,22,432
		रेवाड़ी	8	3,43,61,78,504
		सोनीपत	3	1,43,56,91,780
	कुल		**29**	**1,00,63,49,43,446**
10	कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)	फरीदाबाद (उत्तर)	1	10,50,34,864
		गुरुग्राम (पूर्व)	3	11,82,66,758
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	6,25,05,326
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	5,48,47,374
		सोनीपत	1	14,92,13,344
	कुल		**9**	**48,98,67,666**
11	कर का कम भुगतान (टी.डी.एस./टी.सी.एस.)	गुरुग्राम (पूर्व)	3	1,14,32,98,323
		गुरुग्राम (उत्तर)	2	15,60,84,032
		गुरुग्राम (दक्षिण)	1	7,23,56,730
		करनाल	1	5,44,95,340
		पंचकुला	3	5,41,34,459
		सोनीपत	1	7,34,73,474
	कुल		**11**	**1,55,38,42,358**
12	कर योग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल वाला राजस्व)	गुरुग्राम (पूर्व)	7	2,14,28,82,051
		गुरुग्राम (उत्तर)	1	37,21,02,636
	कुल		**8**	**2,51,49,84,688**
13	असमाधित करयोग्य टर्नओवर (9सी की तालिका 7जी)	गुरुग्राम (पूर्व)	6	37,74,60,26,265
		गुरुग्राम (उत्तर)	3	1,27,30,42,426
		गुरुग्राम (दक्षिण)	2	1,44,20,35,00,000
		सोनीपत	3	21,00,35,16,006
	कुल		**14**	**2,04,22,60,84,697**
14	गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण	पंचकुला	**1**	**2,85,02,000**
15	कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	गुरुग्राम (उत्तर)	1	96,99,746
		फरीदाबाद (उत्तर)	1	46,23,100
	कुल		**2**	**1,43,22,845**
16	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई लेकिन जी.एस.टी.आर.-1/2ए उपलब्ध है	फरीदाबाद	3	8,24,46,772
		फतेहाबाद	1	1,65,66,419
		गुरुग्राम (पूर्व)	6	18,03,36,486
		गुरुग्राम (उत्तर)	6	8,91,33,363
		सोनीपत	1	2,37,46,464
	कुल		**17**	**39,22,29,504**
17	ब्याज का भुगतान न करना	गुरुग्राम (पूर्व)	24	9,87,26,092
		गुरुग्राम (उत्तर)	12	9,32,49,909
		गुरुग्राम (दक्षिण)	15	5,51,77,616
		गुरुग्राम (पश्चिम)	1	53,76,112
		रेवाड़ी	1	21,76,877
	कुल		**53**	**25,47,06,606**

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2; पृष्ठ 46)

केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम																							
	मामले जहां उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभागीय उत्तर										अनुपालन में विचलन												
													विभाग द्वारा स्वीकार किया गया, उन मामलों सहित, जहां कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है											
			डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		जांच से पूर्व की गई कार्रवाई		अन्य वैध स्पष्टीकरण		अंतरिम उत्तर		कुल		वसूली की गई		ए.एस.एम.टी.-10/ ए.डी.टी.-1		एस.सी.एन. जारी किया गया		विभाग के उत्तर जो लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं (खंडन)		विभाग के वे उत्तर जो उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आई.टी.सी. बेमेल (आर3बी एवं आर2ए)	**27**	582.98	0	0	14	353.84	5	91.76	0	0	19	445.6	0	0	0	0	8	137.38	0	0	0	0	8	137.35
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.	**19**	213.42	0	0	1	12.05	11	151.64	0	0	12	163.69	0	0	0	0	7	49.73	0	0	0	0	7	49.73
समय सीमा की समाप्ति के बाद फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.	**14**	90.11	0	0	4	15.77	3	17	2	3.14	**9**	35.91	0	0	0	0	5	54.19	0	0	0	0	5	54.19
आधिक्य आई.एस.डी. क्रेडिट	**20**	5.77	0	0	4	1.46	0	0	0	0	4	1.46	2	0.004	0	0	5	1.55	3	1.28	6	1.48	16	4.31
आर.सी.एम. पर कर का कम भुगतान	**11**	87.53	3	13.84	0	0	4	9.65	0	0	7	23.49	0	0	0	0	2	46.62	0	0	2	17.41	4	64.03
वित्तीय विवरणों के संबंध में समाधान न किया गया आई.टी.सी. (तालिका 12एफ)	**12**	212.85	0	0	1	9.04	**8**	176.96	2	10.06	11	196.06	0	0	0	0	1	16.79	0	0	0	0	1	16.79
अपात्र आई.टी.सी. (तालिका 14टी)	**11**	384.59	0	0	0	0	11	384.59	0	0	11	384.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चुकाई न गई कर देयता (आर-1 और आर-9)	**45**	477.67	0	0	3	12.56	28	325.04	0	0	31	337.6	0	0	1	1.48	8	42.62	0	0	5	95.97	14	140.07
करयोग्य मूल्य का छिपाव (ई-वे बिल)	**62**	4,907.82	2	-	0	0	8	-	0	0	10	0	0	0	0	0	8	-	0	0	44	0	52	-
कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)	**7**	54.04	0	0	0	0	4	21.54	0	0	4	21.54	0	0	0	0	3	32.5	0	0	0	0	3	32.5
कर का कम भुगतान (टी.डी.एस./टी.सी.एस.)	**8**	177.88	0	0	0	0	1	6.9	0	0	1	6.9	0	0	0	0	5	147.95	1	7.99	1	15.03	7	170.97
करयोग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल वाला राजस्व)	**2**	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	0	0	0	0	2	-
असंगत करयोग्य टर्नओवर (तालिका 7जी)	**6**	9,414.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	0	0	3	-	6	-
गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण	**6**	14.98	5	-	0	-	1	-	0	-	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-

लेखापरीक्षा आयाम	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम																							
	मामले जहां उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभागीय उत्तर										अनुपालन में विचलन											
			डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		जांच से पूर्व की गई कार्रवाई		अन्य वैध स्पष्टीकरण		अंतरिम उत्तर		कुल		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया, उन मामलों सहित, जहां कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है											
													वसूली की गई		ए.एस.एम.टी.-10/ ए.डी.टी.-1		एस.सी.एन. जारी किया गया		विभाग के उत्तर जो लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं (खंडन)		विभाग के वे उत्तर जो उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	**3**	4.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.6	0	0	1	2.85	3	4.45
जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई किंतु जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	**20**	69.72	0	0	2	3.27	3	22.39	0	0	5	25.66	0	0	1	1.44	13	40.34	1	2.27	0	0	15	44.05
ब्याज का भुगतान न करना	**66**	24.99	0	0	9	4.54	4	0.51	0	0	13	5.05	15	3.49	3	1.68	29	10.8	0	0	6	3.9	53	19.87
कुल	**339**	**16,743.16**	**10**	**13.84**	**38**	**412.53**	**91**	**1,207.98**	**4**	**13.2**	**143**	**1,647.55**	**17**	**3.49**	**5**	**4.6**	**101**	**582.07**	**5**	**11.54**	**68**	**136.64**	**196**	**738.34**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2; पृष्ठ 47)

नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
1	**आई.टी.सी. बेमेल (आर3बी एवं आर2ए)**	06AXXXXXXXXX1Z0	झज्जर	2019-20	81,72,05,242	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z0	झज्जर	2018-19	50,92,43,703	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZI	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	45,10,87,320	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06DXXXXXXXXX1ZV	सिरसा	2018-19	43,93,63,748	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZD	हिसार	2019-20	37,59,47,383	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06CXXXXXXXXX1ZW	रेवाड़ी	2018-19	32,71,51,333	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	31,10,17,117	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z8	हिसार	2020-21	28,92,52,505	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z3	पलवल	2019-20	26,74,84,355	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	25,67,45,245	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZM	रेवाड़ी	2018-19	24,50,28,538	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZD	सोनीपत	2018-19	23,16,27,815	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	18,17,98,065	डी.आर.सी.-01
		06BXXXXXXXXX1ZS	जींद	2019-20	17,66,11,405	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z5	मेवात	2020-21	17,26,97,536	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZT	कुरुक्षेत्र	2018-19	13,83,23,134	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z3	पानीपत	2019-20	11,26,80,828	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZT	कुरुक्षेत्र	2019-20	9,97,40,308	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	8,20,60,696	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z8	हिसार	2019-20	8,16,57,489	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	6,64,94,834	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z3	पानीपत	2018-19	5,77,60,298	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	5,49,54,173	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06CXXXXXXXXX1Z3	झज्जर	2018-19	5,41,78,008	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z3	पानीपत	2020-21	1,49,62,180	एस.सी.एन.
		06AXXXXXXXXX1Z0	झज्जर	2020-21	1,47,22,230	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06BXXXXXXXXX1ZS	जींद	2018-19	7,162	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
	कुल				**5,82,98,02,651**	
2	**आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आई.टी.सी.**	06AXXXXXXXXX4ZQ	करनाल	2019-20	3,58,02,773	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX4ZQ	करनाल	2018-19	20,48,087	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	36,07,10,300	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX4ZL	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	6,57,00,928	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX4ZL	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	5,47,98,335	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z2	करनाल	2019-20	17,94,17,918	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX4ZL	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	1,42,12,818	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	4,81,75,130	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX9ZH	अंबाला	2019-20	12,05,16,396	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX9ZH	अंबाला	2018-19	2,50,95,266	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX4ZQ	करनाल	2020-21	8,08,19,798	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	17,30,101	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	3,15,64,163	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZK	पंचकुला	2018-19	4,51,39,519	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2Z3	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	84,573	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2Z3	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	14,643	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	9,54,31,931	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2Z3	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	18,99,71,707	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX9ZH	अंबाला	2020-21	78,29,57,182	अन्य वैध स्पष्टीकरण
	कुल				**2,13,41,91,567**	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
3	**समय सीमा की समाप्ति के बाद फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-3बी पर प्राप्त आई.टी.सी.**	06AXXXXXXXXX1ZE	सोनीपत	2018-19	2,23,96,555	अंतरिम उत्तर
		06AXXXXXXXXX1ZP	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	3,53,16,996	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZQ	हिसार	2018-19	35,92,796	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZQ	हिसार	2019-20	1,07,51,196	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZD	सोनीपत	2018-19	29,37,17,222	डी.आर.सी.-01
		06BXXXXXXXXX1ZS	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	90,56,051	अंतरिम उत्तर
		06AXXXXXXXXX1ZV	रेवाड़ी	2018-19	11,30,38,945	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2ZC	सोनीपत	2018-19	15,22,83,240	डी.आर.सी.-01
		06CXXXXXXXXX1ZV	पानीपत	2018-19	5,75,27,234	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZE	झज्जर	2018-19	1,72,55,732	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z6	रेवाड़ी	2018-19	2,36,91,111	डी.आर.सी.-07
		06BXXXXXXXXX1ZS	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	1,46,71,414	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZS	हिसार	2018-19	2,16,14,728	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZP	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	12,61,50,547	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
	कुल				**90,10,63,767**	
4	**आधिक्य आई.एस.डी. क्रेडिट**	06AXXXXXXXXX1ZF	पलवल	2018-19	1,22,02,618	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZF	पलवल	2019-20	98,116	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZF	पलवल	2020-21	10,402	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZE	पानीपत	2018-19	59,45,980	खंडन: यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 59.46 लाख के विचलन की तुलना में, विभाग ने केवल ₹ 38.01 लाख के लिए डी.आर.सी.-07 जारी किया था। शेष ₹ 21.45 लाख की आई.टी.सी. की असंगतता के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।
		06AXXXXXXXXX1ZE	अंबाला	2018-19	57,65,868	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z3	अंबाला	2020-21	50,53,028	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2ZW	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	49,19,804	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2ZW	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	30,173	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से वसूली की गई
		06AXXXXXXXXX1ZA	जगाधरी	2018-19	44,42,961	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z4	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	42,22,644	खंडन: विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने ए.एस.एम.टी.-12 में विसंगति के समाधान और कार्यवाही को समाप्त करने के लिए उचित दस्तावेजों के साथ कोई आधार/औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है।
		06AXXXXXXXXX1Z0	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	29,06,826	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z0	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	1,24,516	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZN	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	26,12,455	खंडन: विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने ₹ 26.12 लाख की आपत्तिजनक राशि के स्थान पर केवल ₹ 7.30 लाख की वसूली की है।
		06AXXXXXXXXX1ZN	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	7,139	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से वसूली की गई
		06AXXXXXXXXX1ZP	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	24,89,846	डी.आर.सी.-01ए
		06AXXXXXXXXX1ZB	सोनीपत	2018-19	2,32,486	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZB	सोनीपत	2019-20	19,24,604	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZB	सोनीपत	2020-21	2,30,425	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZM	पानीपत	2018-19	22,90,875	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZO	झज्जर	2018-19	22,25,857	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
	कुल				**5,77,36,621**	
5	**आर.सी.एम. पर कर का कम भुगतान**	06AXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	1,66,28,996	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	1,21,14,008	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZW	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	11,31,31,520	उत्तर के समर्थन में उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZO	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	6,03,17,384	डेटा प्रविष्टि में त्रुटि
		06AXXXXXXXXX1ZI	करनाल	2020-21	3,04,17,992	डेटा प्रविष्टि में त्रुटि
		06AXXXXXXXXX1Z6	रोहतक	2018-19	4,76,26,664	डेटा प्रविष्टि में त्रुटि
		06AXXXXXXXXX1ZU	रेवाड़ी	2019-20	29,87,55,136	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	6,11,99,368	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	66,08,432	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	16,75,00,480	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	6,09,87,392	उत्तर के समर्थन में उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
	कुल				**87,52,87,372**	
6	**वित्तीय विवरणों के संबंध में समाधान न किया गया आई.टी.सी. (तालिका 12एफ)**	06AXXXXXXXXX1Z3	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	36,40,26,624	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	3,12,63,748	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	झज्जर	2018-19	5,06,15,688	अंतरिम उत्तर
		06AXXXXXXXXX1Z3	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	51,17,60,128	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZF	सोनीपत	2019-20	16,79,06,080	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2019-20	3,35,84,972	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2020-21	26,90,47,488	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z3	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	48,79,49,120	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2018-19	5,80,73,124	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,39,23,520	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	झज्जर	2019-20	5,00,00,144	अंतरिम उत्तर
		06AXXXXXXXXX1ZO	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	9,03,88,872	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
	कुल				**2,12,85,39,508**	
7	**अपात्र आई.टी.सी. (तालिका 14टी)**	06AXXXXXXXXX1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	3,77,79,468	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZX	अंबाला	2019-20	2,71,50,838	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	रेवाड़ी	2020-21	1,04,71,06,750	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	रेवाड़ी	2018-19	1,10,55,54,300	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2019-20	3,35,84,972	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2020-21	26,90,47,488	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z7	सोनीपत	2018-19	3,11,59,484	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	रेवाड़ी	2019-20	1,19,87,87,970	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZZ	रोहतक	2018-19	5,80,73,124	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZX	हिसार	2018-19	2,94,23,622	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	82,00,877	अन्य वैध स्पष्टीकरण
	कुल				**3,84,58,68,893**	
8	**चुकाई न गई कर देयता (आर1 और आर9)**	06AXXXXXXXXX1ZX	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	11,56,84,544	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z2	करनाल	2019-20	15,35,21,139	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z0	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	2,41,789	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2Z4	अंबाला	2020-21	12,56,29,236	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	32,14,30,784	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	7,22,176	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZT	हिसार	2020-21	41,60,82,325	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z0	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	7,45,50,320	
		06AXXXXXXXXX1ZS	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	21,27,99,392	
		06AXXXXXXXXX1ZI	पलवल	2018-19	8,94,39,156	
		06AXXXXXXXXX1Z2	झज्जर	2019-20	13,12,992	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2Z8	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	33,26,19,936	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z1	जगाधरी	2018-19	19,90,68,100	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	12,33,24,160	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z2	झज्जर	2018-19	21,15,920	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZV	रोहतक	2020-21	18,08,70,427	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZQ	पानीपत	2019-20	15,99,99,980	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZQ	पानीपत	2018-19	38,32,278	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2Z8	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	3,33,008	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZI	पलवल	2019-20	1,81,972	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2ZE	झज्जर	2020-21	16,68,20,784	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z2	करनाल	2018-19	1,20,34,560	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZO	पानीपत	2018-19	13,07,79,884	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z2	झज्जर	2020-21	24,15,68,302	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	3,12,87,796	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZH	पलवल	2020-21	9,85,96,164	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZP	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	41,38,92,184	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	24,320	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z0	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	1,48,35,600	ए.एस.एम.टी. 10
		06AXXXXXXXXX1Z3	सोनीपत	2020-21	10,92,66,410	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z1	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	4,69,81,628	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z1	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	15,16,39,136	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZT	हिसार	2018-19	57,06,112	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZT	हिसार	2019-20	3,83,05,920	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z1	जगाधरी	2019-20	38,744	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z7	हिसार	2020-21	9,92,58,356	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	13,75,79,648	डी.आर.सी.-01
		06CXXXXXXXXX1ZT	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	7,81,30,726	डी.आर.सी.-07
		06CXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	7,29,94,496	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZQ	अंबाला	2019-20	18,84,99,968	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZK	रोहतक	2020-21	7,96,31,822	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z2	झज्जर	2020-21	7,32,61,520	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,29,520	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZM	सोनीपत	2020-21	7,16,24,728	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZS	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	25,440	डी.आर.सी.-07
	कुल				**4,77,66,73,401**	
9	**करयोग्य मूल्य का छिपाव (ई-वे बिल)**	06AXXXXXXXXX1ZM	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	55,84,940	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	64,45,21,280	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	37,41,56,416	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	49,30,83,328	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX2ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	61,99,72,610	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX2ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	50,81,09,408	
		06AXXXXXXXXX2ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	13,76,58,432	
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,57,81,26,980	
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	1,40,87,72,350	
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	45,99,14,624	
		06AXXXXXXXXX1Z4	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	10,12,86,32,800	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	2,19,03,97,440	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	1,38,45,79,070	
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	47,67,79,520	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z3	पलवल	2018-19	35,24,22,656	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z3	पलवल	2019-20	57,97,45,410	
		06AXXXXXXXXX1Z3	पलवल	2020-21	81,09,53,730	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZU	झज्जर	2019-20	80,47,16,670	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZU	झज्जर	2020-21	82,93,02,530	
		06AXXXXXXXXX1Z2	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	30,89,47,840	
		06AXXXXXXXXX1Z2	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	41,69,37,728	
		06AXXXXXXXXX1Z2	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	38,51,88,064	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZY	मेवात	2018-19	45,95,99,872	
		06AXXXXXXXXX1ZY	मेवात	2019-20	68,88,48,380	
		06AXXXXXXXXX1ZY	मेवात	2020-21	14,34,29,888	
		06AXXXXXXXXX1ZX	रेवाड़ी	2018-19	1,35,42,27,970	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZX	रेवाड़ी	2019-20	89,82,016	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज
		06AXXXXXXXXX1ZN	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,58,92,67,200	प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	3,50,51,776	
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	1,05,28,15,870	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	79,25,84,190	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZW	रेवाड़ी	2018-19	31,82,31,744	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज
		06AXXXXXXXXX1ZW	रेवाड़ी	2019-20	27,76,45,888	प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZW	रेवाड़ी	2020-21	33,12,93,312	
		06AXXXXXXXXX1ZB	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	1,88,89,48,740	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज
		06AXXXXXXXXX1ZB	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	1,62,02,82,370	प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZB	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	1,42,10,38,980	
		06AXXXXXXXXX1Z1	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	16,04,59,760	
		06AXXXXXXXXX1Z1	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	21,18,51,648	
		06AXXXXXXXXX1Z1	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	29,98,78,272	
		06AXXXXXXXXX1ZM	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	1,65,77,25,950	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06AXXXXXXXXX1Z2	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	30,10,78,496	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z2	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	34,75,90,080	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z2	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	5,48,58,608	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	34,41,41,056	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज
		06AXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	29,15,45,760	प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	21,65,60,880	
		06AXXXXXXXXX1Z9	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	2,22,60,72,060	
		06AXXXXXXXXX1Z9	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	1,28,84,56,580	
		06AXXXXXXXXX1Z9	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	1,23,02,46,020	एस.सी.एन. जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	39,39,70,272	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	32,69,45,056	प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	32,84,41,440	
		06AXXXXXXXXX1Z2	जगाधरी	2018-19	23,93,84,640	
		06AXXXXXXXXX1Z2	जगाधरी	2019-20	29,28,18,496	
		06AXXXXXXXXX1Z2	जगाधरी	2020-21	38,53,92,992	
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	49,46,76,384	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	44,29,49,536	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	1,81,05,542	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	4,75,43,952	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	17,94,17,040	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZX	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	41,73,32,512	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
	कुल				**49,07,81,95,054**	
10	**कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)**	06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	5,91,91,276	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,92,76,980	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	7,19,16,184	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	17,12,81,216	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	698	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	8,43,16,616	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZO	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	10,44,75,992	डी.आर.सी.-07
	कुल				**54,04,58,962**	
11	**कर का कम भुगतान (टी.डी.एस./ टी.सी.एस.)**	06AXXXXXXXXX1Z0	रेवाड़ी	2018-19	7,99,49,655	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	2019-20	4,91,41,887	नोटिस
		06AXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	2020-21	1,51,12,226	नोटिस

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZN	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	16,44,50,870	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z2	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	1,16,74,21,354	एस.सी.एन.
		06AXXXXXXXXX1ZQ	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	15,03,25,129	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZY	सिरसा	2019-20	6,89,43,486	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZT	सोनीपत	2019-20	8,33,98,345	डी.आर.सी.-01
	कुल				**1,77,87,42,952**	
12	**करयोग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल वाला राजस्व)**	06AAACF8769L2Z1	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	16,86,009	डी.आर.सी.-01
				2020-21	9,12,10,432	
		06AXXXXXXXXX1ZZ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	10,56,50,955	डी.आर.सी.-01
	कुल				**19,85,47,396**	
13	**असंगत करयोग्य टर्नओवर (तालिका 7जी)**	06AXXXXXXXXX1ZD	करनाल	2020-21	2,45,25,09,761	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	12,18,17,978	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	70,72,51,713	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZE	करनाल	2019-20	78,23,31,17,914	नोटिस जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZH	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	38,73,38,957	डी.आर.सी.-07 जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1Z2	जींद	2020-21	12,24,27,92,142	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
	कुल				**94,14,48,28,465**	
14	**गलत टर्नओवर के कारण अयोग्य कंपोजिशन उदग्रहण**	06AXXXXXXXXX1Z2	करनाल	2020-21	3,39,90,560	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06CXXXXXXXXX1ZK	सिरसा	2019-20	3,85,66,500	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06CXXXXXXXXX1ZC	अंबाला	2020-21	2,63,87,594	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06BXXXXXXXXX1Z7	पलवल	2019-20	1,42,28,697	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06BXXXXXXXXX1Z7	पलवल	2018-19	2,49,89,578	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
		06CXXXXXXXXX1ZK	सिरसा	2018-19	1,16,28,860	डेटा प्रविष्टि त्रुटि
	कुल				**14,97,91,789**	
15	**कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी**	06AXXXXXXXXX1ZH	पानीपत	2020-21	52,86,286	एस.सी.एन.
		06AXXXXXXXXX1ZF	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	1,06,62,250	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z9	हिसार	2020-21	2,85,91,723	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
	कुल				**4,45,40,258**	
16	**जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई किंतु जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है**	06AXXXXXXXXX1Z1	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	15,09,31,925	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06CXXXXXXXXX1ZT	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	7,81,30,724	डी.आर.सी.-07
		06MXXXXXXXXX1Z5	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	6,96,92,952	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z1	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	4,58,87,965	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZA	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	4,57,25,405	डी.आर.सी.-01
		06HXXXXXXXXX1ZO	कैथल	2018-19	3,99,04,333	डी.आर.सी.-07
		06BXXXXXXXXX1ZH	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	3,68,29,100	डी.आर.सी.-01
		06CXXXXXXXXX1ZV	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	3,52,85,384	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z8	रेवाड़ी	2018-19	2,70,83,999	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZI	सोनीपत	2018-19	2,27,49,435	विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने ₹ 2.27 करोड़ की आपत्तिजनक राशि के स्थान पर केवल ₹ 1.44 करोड़ के लिए ही डी.आर.सी.-07 जारी किया है।
		06BXXXXXXXXX1ZG	रेवाड़ी	2018-19	2,11,36,231	डी.आर.सी.-01
		06CXXXXXXXXX2ZC	अंबाला	2018-19	2,09,48,866	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX2ZS	फतेहाबाद	2018-19	1,70,51,146	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06BXXXXXXXXX1ZH	कुरुक्षेत्र	2019-20	1,69,83,392	डी.आर.सी.-07
		06CXXXXXXXXX1Z7	पानीपत	2018-19	1,56,01,985	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06CXXXXXXXXX1ZQ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	1,46,75,359	डी.आर.सी.-01
		06BXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	1,44,54,545	डी.आर.सी.-01
		06BXXXXXXXXX1ZD	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	1,44,18,445	ए.एस.एम.टी.-10
		06BXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	89,74,180	डी.आर.सी.-01

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06CXXXXXXXXX1ZQ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	7,36,788	डी.आर.सी.-01
	कुल				**69,72,02,156**	
17	**ब्याज का भुगतान न करना**	06AXXXXXXXXX1ZT	सिरसा	2018-19	20,04,128	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	5,37,027	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z8	हिसार	2020-21	29,33,058	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z8	हिसार	2018-19	6,02,168	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	67,87,256	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	31,60,426	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 32,06,675 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	23,17,341	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX2ZZ	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	95,16,638	ए.एस.एम.टी.-10 जारी
		06AXXXXXXXXX1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	85,50,583	डी.आर.सी. 07
		06AXXXXXXXXX1ZX	सोनीपत	2020-21	11,35,915	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	92,08,895	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZX	सोनीपत	2018-19	24,80,287	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 24,64,512 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZF	फरीदाबाद (पश्चिम)	2020-21	10,56,908	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZV	रेवाड़ी	2020-21	47,746	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 47,746 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZJ	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	29,854	अन्य वैध स्पष्टीकरण
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,57,96,078	डी.आर.सी-07
		06AXXXXXXXXX1ZE	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	7,21,792	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 7,21,792 की वसूली की गई है।
		06BXXXXXXXXX1ZS	कैथल	2019-20	16,21,919	डी.आर.सी.-07
		06BXXXXXXXXX1ZS	कैथल	2018-19	38,91,884	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	91,327	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 92,842 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZT	सिरसा	2020-21	15,05,081	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	2019-20	65,48,344	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	19,15,646	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZV	रेवाड़ी	2019-20	3,05,796	एस.सी.एन. जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZF	फरीदाबाद (पश्चिम)	2019-20	23,19,195	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	13,75,417	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 13,79,256/- की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	37,71,497	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	28,77,748	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 30,63,281/- की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZF	फरीदाबाद (पश्चिम)	2018-19	16,01,931	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZK	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	43,50,443	एस.सी.एन. जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1Z6	रेवाड़ी	2018-19	34,26,158	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX2ZZ	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	35,79,051	एएसएमटी-10 जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	53,49,077	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 4,39,630/- की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX2Z8	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	31,21,117	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZX	सोनीपत	2019-20	13,14,314	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZE	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	54,17,138	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 49,87,717/-की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX2Z4	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	7,07,217	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZE	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	50,93,645	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	2018-19	49,28,270	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	20,09,692	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZT	सिरसा	2018-19	20,04,128	अन्य वैध स्पष्टीकरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आयाम		डी.ई.टी.सी.	वर्ष	राशि ₹ में	की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	19,69,020	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX2Z4	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	30,98,047	एस.सी.एन. जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZK	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	74,78,914	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZV	रेवाड़ी	2018-19	1,25,09,522	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	38,87,800	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 8,99,500 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1Z8	हिसार	2019-20	12,57,173	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX1ZC	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	16,14,370	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 20,03,450/- की वसूली की गई है।
		06BXXXXXXXXX1ZS	कैथल	2020-21	23,39,177	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	4,50,572	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2Z8	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	5,27,225	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 1,564/- की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZE	रेवाड़ी	2019-20	17,63,909	एस.सी.एन. जारी किया गया
		06AXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	11,46,875	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 11,54,014/- की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	1,58,26,349	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZE	रेवाड़ी	2018-19	41,71,096	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 44,52,812 की वसूली की गई है।
		06AXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	2020-21	37,21,760	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1Z4	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	48,90,673	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX2Z4	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	40,53,200	उत्तर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
		06AXXXXXXXXX1ZH	पानीपत	2018-19	79,35,726	डी.आर.सी.-07
		06AXXXXXXXXX2ZZ	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	36,71,451	ए.एस.एम.टी. -10 जारी
		06AXXXXXXXXX1ZC	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	85,35,609	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	51,37,301	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2ZT	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	26,45,881	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX1ZS	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	54,65,243	जांच से पूर्व की गई कार्रवाई
		06AXXXXXXXXX1ZC	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	71,22,942	डी.आर.सी.-01
		06AXXXXXXXXX2Z8	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	20,48,364	डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹3,014/- की वसूली की गई है।
	कुल				**24,98,80,330**	

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.1; पृष्ठ 50)

अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.ई.टी.सी.	वर्ष	कुल लिया गया आई.टी.सी.	कर देयता	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
1	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	3,25,09,400	85,49,899	आई.टी.सी. रजिस्टर, आतंरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बिक्री इनवॉइस, चयनित महीनों के खरीद इनवॉइस, ट्रायल बैलेंस, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, आई.टी.सी. रिवर्सल गणना शीट, आपूर्ति मूल्य की सूची, भौतिक स्टॉक सत्यापन विवरण, आय एवं व्यय की अनुसूचियां, लाभ एवं हानि खाता, अनुबंध/करार, यदि कोई हो, लेखे/प्राप्त अग्रिमों का विवरण, भुगतान और किए गए समायोजन।
	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	10,81,15,793	1,00,72,644	
	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	4,33,49,216	63,60,474	
2	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2018-19	5,06,98,144	0	
	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2019-20	8,47,50,866	2,528	
	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2020-21	13,26,05,984	0	
3	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	79,81,441	0	
	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	9,83,28,882	0	
	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	49,93,363	0	
4	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	61,14,448	0	
	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	28,63,952	0	
	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	10,84,19,244	0	
5	06AxxxxxxxxR1ZJ	अंबाला	2018-19	1,06,48,329	0	
	06AxxxxxxxxR1ZJ	अंबाला	2019-20	0	0	
	06AxxxxxxxxR1ZJ	अंबाला	2020-21	0	0	
6	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	0	0	
	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,67,607	0	
	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	3,15,95,847	0	
7	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2018-19	13,82,266	6,01,653	
	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2019-20	27,70,16,226	6,49,646	
	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2020-21	13,29,030	0	
8	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	3,13,60,069	9,81,176	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	61,80,272	6,27,072	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	29,10,307	0	
9	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	0	6,38,83,050	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	0	5,17,77,171	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	0	5,24,97,602	
10	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	9,28,11,772	64,27,183	
	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	43,75,28,997	0	
	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	1,26,97,490	77,71,100	
11	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,98,17,778	0	
	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,48,67,749	0	
	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	9,30,048	0	
12	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	8,59,58,381	0	
	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	83,58,62,117	40,40,689	
	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,70,17,350	2,670	
13	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,77,12,191	0	
	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	82,75,590	0	
	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	37,38,772	0	
14	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	29,29,94,021	0	
	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	34,91,93,353	0	
	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	16,02,56,166	91,65,74,080	
15	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,60,974	82,77,531	
	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	63,75,825	0	
	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	56,06,256	38,81,307	
16	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,97,40,330	0	
	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,88,61,351	0	
	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	28,40,962	0	

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.ई.टी.सी.	वर्ष	कुल लिया गया आई.टी.सी.	कर देयता	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
17	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	11,56,686	0	
	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	0	4,47,683	
	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	7,79,880	0	
18	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	25,68,09,016	0	
	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,03,77,73,053	0	
	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	97,72,97,421	70,29,55,499	
19	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	70,23,040	0	
	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	20,02,399	0	
	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	11,17,277	0	
20	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	10,73,991	0	
	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	88,03,723	0	
	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	4,19,88,748	0	
21	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2018-19	7,53,23,823	11,134	
	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2019-20	3,97,80,720	2,25,351	
	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2020-21	38,07,05,250	0	
22	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	3,13,072	1,23,885	
	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,96,277	0	
	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	8,72,577	0	
23	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	3,12,35,252	0	
	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,66,66,346	0	
	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,36,48,138	0	
24	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,98,88,182	3,15,08,674	
	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,65,27,131	0	
	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,15,55,735	68,38,503	
25	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2018-19	20,81,98,497	0	
	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2019-20	15,70,74,947	83,917	
	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2020-21	16,32,55,483	0	
26	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	11,31,872	0	
	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	12,64,675	28,99,548	
	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	96,996	14,753	
27	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2018-19	10,24,51,313	6,67,66,890	
	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2019-20	0	0	
	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2020-21	1,77,83,026	0	
28	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2018-19	6,57,83,128	8,93,498	
	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2019-20	6,76,13,138	4,11,87,740	
	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2020-21	26,85,39,072	0	
29	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	11,60,17,161	0	
	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	12,97,40,782	0	
	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	8,96,25,580	0	
30	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2018-19	49,12,55,416	0	
	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2019-20	85,92,80,780	0	
	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2020-21	90,51,36,863	1,216	
31	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2018-19	6,19,64,300	56,00,564	
	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2019-20	14,48,23,300	10,45,588	
	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2020-21	10,66,19,900	1,610	
32	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	0	0	
	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	28,09,468	3,65,711	
	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,01,11,701	12,97,685	
33	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	33,25,254	0	
	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	62,80,925	15,14,676	
	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,35,499	6,86,211	
34	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	21,53,098	0	
	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	15,50,068	0	
	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	24,39,019	0	

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.ई.टी.सी.	वर्ष	कुल लिया गया आई.टी.सी.	कर देयता	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
35	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2018-19	41,11,46,012	0	
	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2019-20	56,02,06,187	11,67,152	
	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2020-21	49,68,86,186	0	
36	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2018-19	1,66,09,791	0	
	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2019-20	0	0	
	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2020-21	2,72,49,224	0	
37	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,26,30,204	2,12,10,989	
	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	5,71,03,108	0	
	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	10,64,652	0	
38	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	27,04,99,330	1,10,450	
	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	15,92,67,403	0	
	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	2,86,03,900	0	
39	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	90,31,25,450	5,33,57,454	
	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	1,06,84,98,690	0	
	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	1,69,52,79,868	0	
40	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	51,63,334	0	
	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,11,284	0	
	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	82,20,270	4,80,986	
41	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2018-19	3,98,31,462	0	
	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2019-20	4,79,38,768	0	
	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2020-21	6,87,92,000	41,51,977	
42	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	13,63,00,80,108	49,34,39,135	
	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	8,58,92,43,658	59,56,987	
	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	14,08,90,50,578	0	
43	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2018-19	17,84,717	21,15,923	
	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2019-20	23,38,975	12,21,216	
	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2020-21	21,29,382	70,232	
44	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	1,73,84,491	0	
	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	1,80,59,926	0	
	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	24,75,784	0	
45	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	71,47,73,150	0	
	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,75,23,81,142	0	
	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,75,31,46,240	12,39,79,836	
46	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2018-19	0	0	
	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2019-20	3,03,326	32,85,001	
	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2020-21	22,19,942	0	
47	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	2,85,56,571	0	
	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,14,10,856	13,68,288	
	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	9,41,75,907	15,17,843	
48	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	34,69,227	0	
	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	93,66,305	14,182	
	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	12,43,758	0	
49	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	27,47,55,900	6,17,115	
	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	32,17,20,536	120	
	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	26,81,33,850	84,409	
50	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	13,70,21,293	0	
	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,07,85,337	1,36,41,181	
	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	17,83,20,345	0	
51	06AxxxxxxxxM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	0	0	
	06AxxxxxxxxM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	22,815	0	
	06AxxxxxxxxM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	0	0	
52	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,24,86,81,775	0	
	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,30,61,94,865	0	
	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	59,88,34,228	0	

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	डी.ई.टी.सी.	वर्ष	कुल लिया गया आई.टी.सी.	कर देयता	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
53	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	0	0	
	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	0	16,320	
	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	49,05,904	0	
54	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	16,95,981	0	
	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,73,79,315	0	
	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	97,96,290	2,06,645	
55	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,54,63,047	6,736	
	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	12,55,690	0	
	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,14,654	0	
56	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,89,18,868	83,09,272	
	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	76,02,676	0	
	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	29,42,263	0	
57	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2018-19	13,78,41,748	0	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2019-20	15,56,52,801	1,13,07,691	
	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2020-21	9,66,38,439	3,04,774	
58	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,50,70,057	0	
	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,17,210	28,10,077	
	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,19,301	0	
59	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,24,63,593	3,23,376	
	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,95,50,378	12,396	
	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,37,62,303	81,105	
60	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	25,80,80,886	0	
	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	70,65,23,970	0	
	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	63,97,37,711	0	
61	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	2,62,12,394	0	
	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,82,25,418	31,50,084	
	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	56,02,414	0	
62	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2018-19	0	1,22,660	
	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	25,23,785	0	
	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	69,76,614	20,10,152	
63	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2018-19	61,031	45,352	
	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2019-20	0	0	
	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2020-21	33,216	26,930	
64	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	79,49,130	0	
	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2019-20	2,04,701	33,54,860	
	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2020-21	1,90,35,875	0	
65	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	27,38,059	11,07,710	
	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	1,50,62,582	0	
	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	1,59,16,813	74,89,96,516	
66	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	0	4,59,859	
	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	26,07,867	4,239	
	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	12,44,786	0	
67	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,91,76,122	0	
	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	23,02,061	2,98,487	
	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	9,73,911	3,45,361	
68	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2018-19	1,59,63,23,071	6,23,360	
	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2019-20	2,77,89,672	0	
	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2020-21	0	0	
69	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	1,21,73,447	24,730	
	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	1,40,88,486	36,91,432	
	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	55,53,126	6,89,543	
	कुल			**73,40,12,66,932**	**3,52,35,67,949**	

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.2; पृष्ठ 51)

ब्याज का भुगतान न होना

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4
1	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	56,12,145	कोई उत्तर नहीं
2	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	30,90,461	कोई उत्तर नहीं
3	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	12,82,805	विभाग ने यह बताया कि ₹ 6,12,900 की ब्याज राशि की वसूली दिनांक 26 दिसंबर 2023 के डी.आर.सी.-03 के माध्यम से और ₹ 2,37,433 की वसूली 24 मई 2024 के डी.आर.सी. के माध्यम से की गई है तथा शेष राशि (₹ 4,32,472) का भुगतान नियत समय में कर दिया जाएगा। तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन कर लिया गया है। हालांकि, ₹ 4,32,472 की शेष राशि से संबंधित पैरा को यथावत रखने का प्रस्ताव है।
4	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	12,60,829	कोई उत्तर नहीं
5	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	11,85,475	कोई उत्तर नहीं
6	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	9,77,213	विभाग ने यह बताया कि करदाता से वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्तर/समाधान/डी.आर.सी.-03 प्राप्त हो गया है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। धारा 73 के तहत शुरू की गई कार्यवाही समाप्त कर दी गई और वर्ष 2020-21 के लिए नोटिस जारी किया गया है। परन्तु, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 9,08,867/- का डी.आर.सी.-07 जारी किया गया था और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 45,085/- की राशि डी.आर.सी.-01 (AD060624007243H) के माध्यम से वसूल की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्रवाई लंबित है।
7	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	7,33,733	कोई उत्तर नहीं
8	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2,90,309	विभाग ने यह बताया कि उचित उत्तर/डी.आर.सी.-03 प्राप्त होने के पश्चात, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए शुरू की गई कार्यवाही विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई है। परन्तु, हमें वित्तीय वर्ष 2018-19 की कार्यवाही का विवरण बीओवेब पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ।
9	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2,79,450	विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ब्याज की राशि डी.आर.सी.-03, ARN-AD060424013969V (₹ 10,108) दिनांक 30 अप्रैल 2024 के माध्यम से वसूल कर ली गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शेष राशि (₹ 2,69,342) के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
10	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2,10,200	कोई उत्तर नहीं
11	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	1,80,058	कोई उत्तर नहीं
12	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	1,64,635	विभाग ने यह बताया कि कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 28,410 की ब्याज राशि, दो डी.आर.सी.-03 (दिनांक 16 अप्रैल 2024) के माध्यम से वसूल कर ली गई है, और शेष राशि का भुगतान पहले ही वर्ष 2018-19 और 2019-20 के जी.एस.टी.आर.-3बी में कर दिया गया था।
13	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	1,48,206	कोई उत्तर नहीं
14	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	1,04,958	कोई उत्तर नहीं
15	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	83,235	कोई उत्तर नहीं
16	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	35,762	कोई उत्तर नहीं
17	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	8,844	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4
18	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2,573	कोई उत्तर नहीं
19	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	7,82,902	करदाता द्वारा ₹ 2.46 लाख का भुगतान पहले ही जी.एस.टी.आर.-3बी के माध्यम से किया जा चुका है और शेष ₹ 5,34,486 की राशि दिनांक 23 जनवरी 2024 के डी.आर.सी.-03 के माध्यम से वसूल कर ली गई है।
	कुल		**1,64,33,793**	

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.3; पृष्ठ 52)

आर-2ए और और आर-3बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अत्यधिक लाभ लिया जाना

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
1	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2018-19	1,85,76,192	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-2बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ: वित्तीय वर्ष 2018-19 रिपोर्ट के अधीन वित्तीय वर्ष के जी.एस.टी.आर.-9 रिटर्न की जांच के दौरान, यह पाया गया कि करदाता ने ₹ 2,66,792 सी.जी.एस.टी. + ₹ 2,66,792 एस.जी.एस.टी. का अधिक आई.टी.सी. प्राप्त किया है। अतः, करदाता को अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू ब्याज सहित अधिक प्राप्त आई.टी.सी. जमा करने हेतु फॉर्म डी.आर.सी.-07 में मांग आदेश जारी किया गया है। जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-2बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ: वित्तीय वर्ष 2019-20 सत्यापन के दौरान, करदाता ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम दावा किया है। जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-2बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ: वित्तीय वर्ष 2020-21 जी.एस.टी.आई.एन. 06AXXXXXXXXG1ZB का मामला सी.जी.एस.टी./एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा के लिए लिया गया है। आई.टी.सी. के अत्यधिक लाभ के संबंध में, करदाता को फॉर्म डी.आर.सी.-01 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अतः, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया इस लेखापरीक्षा पैरा को हटाया जा सकता है।
2	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2019-20	1,76,38,418	
3	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2020-21	3,09,15,595	
4	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2018-19	30,516	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
5	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2018-19	6,85,613	इस लेखापरीक्षा पैरा के संदर्भ में यह प्रस्तुत है कि करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-3बी में लिया गया आई.टी.सी., जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए आई.टी.सी. की तुलना में कम है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कृपया इस लेखापरीक्षा पैरा को हटाया जा सकता है।
6	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2020-21	13,25,794	
7	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2020-21	1,92,33,303	तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, मामले की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इसके परिणाम से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।
8	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2018-19	20,25,51,250	करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी का मिलान विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि जी.एस.टी.आर.-2ए में आधिक्य राशि पाई गई है और जी.एस.टी.आई.एन. पोर्टल से भी इसका सत्यापन कर लिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कृपया इस पैरा को हटाया जा सकता है।
9	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2019-20	24,75,28,988	
10	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2020-21	20,72,28,248	

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
11	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	12,02,168	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
12	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	5,86,792	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
13	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	99,87,652	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
14	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	60,24,659	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
15	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	65,04,460	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
16	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,23,32,46,357	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
17	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	67,94,68,803	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
18	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	59,87,06,680	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
19	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	4,94,50,42,455	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
20	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,58,00,15,568	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
21	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	6,80,37,52,773	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
22	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	10,15,72,916	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
23	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,88,96,34,699	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
24	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,32,88,58,654	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
25	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,17,64,241	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
26	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,52,839	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
27	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,09,45,639	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
28	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	10,95,304	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
29	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,79,112	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
30	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,98,88,182	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
31	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,57,30,809	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
32	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,13,51,379	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
33	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	6,82,31,700	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
34	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	41,44,232	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
35	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	8,87,11,414	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
36	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,00,815	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
37	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	3,63,51,457	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
38	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,13,59,862	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
39	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	448	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
40	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	76,239	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
41	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,68,056	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
42	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	5,51,82,489	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
43	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	91,95,468	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
44	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	52,45,450	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
45	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2018-19	1,99,76,256	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
46	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2019-20	56,40,439	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
47	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2020-21	18,46,92,412	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
48	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2018-19	4,97,12,248	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
49	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2018-19	9,67,91,917	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
50	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2019-20	6,16,90,211	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
51	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2020-21	7,57,72,892	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
52	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2018-19	6,57,83,128	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
53	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2019-20	3,52,22,190	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
54	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2020-21	14,59,59,532	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
55	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	33,85,28,986	लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि करदाता को वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः दिनांक 05 जनवरी 2024
56	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	40,90,91,010	
57	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	78,06,83,010	

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
					और 19 अप्रैल 2024 को फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में नोटिस जारी किए गए हैं। प्रतिउत्तर में, करदाता ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-11 में उत्तर प्रस्तुत किया, परंतु वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिसके लिए दिनांक 28 नवंबर 2024 को डी.आर.सी.-01 जारी किया गया है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के उत्तर संतोषजनक पाए गए और तदनुसार तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 01 फरवरी 2024 और 21 मई 2024 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
58	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	1,71,00,762	वित्तीय वर्ष 2018-19: इस पैरा पर जी.एस.टी. ए.एस.एम.टी.-12 और दिनांक 03 फरवरी 2023 के जी.एस.टी. ए.एस.एम.टी.-10 के प्रतिउत्तर के संदर्भ में चर्चा की गई है। करदाता द्वारा जी.एस.टी. ए.एस.एम.टी.-11 के माध्यम से विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें आई.टी.सी. में मुख्य अंतर इम्पोर्ट के कारण था, जो उस समय पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ था। इसका सत्यापन डी.जी.एफ.टी. पोर्टल से किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20: इस पैरा पर दिनांक 28 अगस्त 2024 के आदेश/ डी.आर.सी.-05 और दिनांक 28 मई 2024 के जी.एस.टी. डी.आर.सी.-01 के प्रतिउत्तर में चर्चा की गई है। करदाता ने जी.एस.टी. डी.आर.सी.-06 के माध्यम से विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें आई.टी.सी. में मुख्य अंतर इम्पोर्ट के कारण था जो पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। इसका सत्यापन डी.जी.एफ.टी. पोर्टल से किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21: करदाता द्वारा प्रस्तुत जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी के मिलान विवरण में यह पाया गया कि फरवरी 2020 तक जी.एस.टी.आर.-3बी में इम्पोर्ट के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था, जिसके कारण अंतर दिखाई दे रहा था। इसके अंतिम आंकड़ों की जांच जी.एस.टी.आर.-9 से की गई तथा उसे संतोषजनक पाया गया।
59	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	1,46,80,265	
60	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	19,73,000	
61	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	21,90,624	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
62	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	7,79,880	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
63	06AxxxxxxxxR1ZJ	अंबाला	2018-19	1,06,48,329	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
64	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	51,81,134	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
65	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,51,98,571	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
66	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	69,21,734	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
67	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	35,15,157	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
68	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,06,78,647	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
69	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	11,899	यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आई.एन. 06AXXXXXXXXF1Z0 के मामले में लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है। निष्कर्षतः, करदाता ने किसी भी आधिक्य आई.टी.सी. का दावा नहीं किया है। करदाता के तर्कों की जांच जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-9 और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर की गई है, जिनकी प्रति संलग्न है।
70	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,50,70,057	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
71	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,04,433	इस मामले के प्रतिउत्तर में, करदाता ने यह प्रस्तुत किया है कि जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना में जी.एस.टी.आर.-3बी में किसी भी आधिक्य आई.टी.सी. का लाभ (अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त आई.टी.सी. सहित, जैसा कि जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी में सूचित किया गया है) नहीं लिया गया है। इसलिए, उक्त पैरा को हटाया जा सकता है। इस मामले में करदाता को ए.एस.एम.टी.-12 जारी किया गया है।
72	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,55,63,249	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
73	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	98,25,525	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
74	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	47,89,66,088	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
75	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	24,55,08,810	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
76	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,67,607	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
77	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,21,91,638	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
78	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,93,40,354	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
79	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,33,62,981	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
80	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	22,82,162	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
81	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	41,88,375	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
82	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	55,74,597	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
83	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,26,30,204	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
84	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	48,06,186	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
85	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	14,66,401	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
86	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,09,87,771	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
87	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	9,98,58,431	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
88	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	13,48,16,453	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
89	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	7,42,68,106	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
90	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	10,29,51,568	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
91	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	27,25,24,460	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
92	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	27,79,08,820	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
93	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	13,24,200	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
94	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	75,38,616	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
95	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	78,26,502	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
96	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	6,54,14,444	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
97	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	54,01,376	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
98	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	2,49,50,270	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
99	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2018-19	80,60,645	करदाता द्वारा सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत आधिक्य दावा किए गए आई.टी.सी. की राशि ₹ 2,178/- प्रत्येक के साथ ₹ 1,764/- का ब्याज, दिनांक 26 सितंबर 2024 के डी.आर.सी.-03 संख्या AD0609240065650 के माध्यम से जमा कर दिया गया है। आपकी समीक्षा हेतु इन आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संख्या 1206711 को हटाया जा सकता है।
100	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2020-21	1,36,26,142	
101	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2018-19	15,57,01,662	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
102	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2018-19	18,83,88,916	लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, करदाता ने अपने उत्तर में आई.टी.सी. के दावे की पुष्टि के लिए सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि इनवॉइस और बही प्रस्तुत किए हैं, जो जांच में सही पाए गए हैं। इसलिए, प्रश्न को हटाया जा सकता है।
103	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2019-20	42,92,51,330	
104	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2020-21	39,65,86,498	
105	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	37,72,552	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
106	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2020-21	65,76,700	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
	कुल			**27,89,88,02,047**	

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.3; पृष्ठ 52)

आर.सी.एम. कर का भुगतान न होना या आर.सी.एम. पर आई.टी.सी. का अधिक लाभ लेना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
1	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2019-20	1,48,124	आर.सी.एम. के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, करदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं अवलोकन के दृष्टिगत, यह पाया गया है कि करदाता ने आर.सी.एम. कर देयता का उचित रूप से भुगतान किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पैरा हटाया जा सकता है।
2	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2019-20	35,01,272	लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, यह बताया जाता है कि आई.टी.सी. का कोई भी अधिक लाभ नहीं किया गया है, जो कि करदाता द्वारा फाइल की गई जी.एस.टी. रिटर्न से एक सत्यापित तथ्य है।
3	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	2,64,868	कोई उत्तर नहीं
4	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	5,85,19,958	कोई उत्तर नहीं
5	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,69,10,513	कोई उत्तर नहीं
6	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,50,762	कोई उत्तर नहीं
7	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	2,24,843	कोई उत्तर नहीं
8	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	3,71,753	कोई उत्तर नहीं
9	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,70,813	कोई उत्तर नहीं
10	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	754	कोई उत्तर नहीं
11	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	35,50,338	कोई उत्तर नहीं
12	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	1,50,888	आई.जी.एस.टी. में ₹ 1,50,887/- का अंतर पाया गया था, जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जैसा कि 28 फरवरी 2021 के जी.एस.टी.आर.-9सी के पैरा संख्या 09 में आर.सी.एम. के तहत दर्शाया गया है। इसके अलावा, कुल ₹ 8,25,539/- के आधिक्य भुगतान का मिलान, 28 फरवरी 2021 के जी.एस.टी.आर.-9सी के पैरा संख्या 09 के भुगतान मिलान विवरण और 28 फरवरी 2021 के जी.एस.टी.आर.-9सी के पैरा संख्या 06 (वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आई.टी.सी. के विवरण) के साथ किया गया है, जो कि संतोषजनक पाया गया है।
13	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2019-20	3,03,326	करदाता ने यह प्रस्तुत किया है कि ₹ 3,03,325.7/- का अंतर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आर.सी.एम. के तहत भुगतान किए गए कर के आई.टी.सी. के दावे के कारण है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आर.सी.एम. देयता का भुगतान 05 फरवरी 2020 को ए.आर.एन. AD060120013736M वाले डी.आर.सी.-03 के माध्यम से किया गया था। इसका सत्यापन ऑनलाइन रिकॉर्ड से कर लिया गया है। डी.आर.सी.-03 और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की प्रति संलग्न है।
14	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	47,44,042	यह सूचित किया गया है कि गुरुग्राम, जी.एस.टी.आई.एन. 06AxxxxxxxxF1Z0 के मामले में लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है। उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रतिउत्तर में करदाता ने संलग्नकों के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें करदाता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके द्वारा आर.सी.एम. के आधार पर कोई भी आधिक्य आई.टी.सी. का दावा नहीं किया गया है। करदाता के तर्कों की जांच जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध तुलनात्मक तालिका से की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
15	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	5,28,622	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
16	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	15,66,340	कोई उत्तर नहीं
17	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,42,778	कोई उत्तर नहीं
18	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	4,62,90,648	कोई उत्तर नहीं
19	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	3,80,39,417	कोई उत्तर नहीं
20	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	11,266	कोई उत्तर नहीं
21	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	19,170	कोई उत्तर नहीं
22	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	24,17,960	कोई उत्तर नहीं
23	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	12,10,519	कोई उत्तर नहीं
24	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2018-19	85,44,239	लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, इन वर्षों के लिए संवीक्षा मामलों का निर्णय लेते समय संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी.एस.टी.आर.-9 के अनुसार आर.सी.एम. और आई.टी.सी. का दावा, समायोजित कर के बराबर है और कोई कर देयता नहीं बनती है। तथ्यों का सत्यापन करदाता द्वारा फाइल की गई रिटर्न से किया गया है और उन्हें सही पाया गया है, अतः इस पैरा को समाधित किया जाता है। इन आदेशों की प्रतियां आपके अवलोकनार्थ इसके साथ संलग्न हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संख्या 1206719 को हटाया जा सकता है।
25	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2020-21	1,36,11,267	
26	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2018-19	3,73,34,200	कोई उत्तर नहीं
27	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2020-21	5,27,88,624	कोई उत्तर नहीं
28	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2018-19	24,20,304	जी.एस.टी.आर.-3बी में भुगतान किए गए आर.सी.एम. और लिए गए आर.सी.एम. आई.टी.सी. के अवलोकन पर यह पाया गया है कि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी में भुगतान किए गए आर.सी.एम. से आधिक्य आई.टी.सी. का लाभ नहीं लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राप्त आई.टी.सी. और भुगतान किए गए आर.सी.एम. के बीच ₹ 1,42,74,178/- का अंतर है। यह अंतर जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4(ए)(2) में वस्तुओं के इम्पोर्ट को सेवा के इम्पोर्ट के रूप में दर्शाए जाने के कारण है। चूंकि आर.सी.एम. आई.टी.सी. का लाभ आगामी महीनों में लिया गया है, और वर्ष 2020-21 के दौरान गलत प्रविष्टि के कारण यह लिपिकीय त्रुटि हुई थी, इसलिए इस पैरा में कोई ब्याज देयता नहीं बनती है और न ही किसी राजस्व हानि का पता चला है। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का तुलनात्मक चार्ट इसके साथ संलग्न है। इसलिए पैरा हटाया जा सकता है।
29	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2019-20	51,616	
30	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2020-21	1,30,79,015	
31	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	1,15,682	कोई उत्तर नहीं
32	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2020-21	1,62,613	कोई उत्तर नहीं
	कुल			**32,74,46,532**	

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.3; पृष्ठ 52)

जी.एस.टी.आर.9 (8ए) में उपलब्ध आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.9 (8बी एवं 8सी) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
1	06AXXXXXXXXG1ZB	रोहतक	2018-19	1,99,15,718	नियम के प्रावधानों के तहत लागू ब्याज के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य लाभ को जमा करने के लिए करदाता को फॉर्म डी.आर.सी.-07 में मांग आदेश जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान करदाता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम दावा किया जाना पाया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आर2ए और आर2बी में असंगतता होने के कारण आई.टी.सी. के आधिक्य लाभ के संबंध में करदाता को फॉर्म डी.आर.सी.-01 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2	06AXXXXXXXXG1ZB	रोहतक	2019-20	2,38,95,266	
3	06AXXXXXXXXG1ZB	रोहतक	2020-21	3,43,95,989	
4	06AXXXXXXXXD1ZC	भिवानी	2018-19	9,588	कोई उत्तर नहीं
5	06AXXXXXXXXD1ZC	भिवानी	2020-21	33,216	कोई उत्तर नहीं
6	06AXXXXXXXXD1Z2	झज्जर	2020-21	2,57,784	इस लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आइ.एन.-06AXXXXXXXXD1Z2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 29,71,222/- का आई.टी.सी. रिवर्स किया गया है। इसका उल्लेख जी.एस.टी.आर.-09 के बिंदु संख्या 7 (एच1) में किया गया है, जिसे वर्तमान में संज्ञान में नहीं लिया गया है।
7	06AXXXXXXXXN1ZW	हिसार	2018-19	19,09,55,362	इस लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के मामलों को, रिटर्न की लेखापरीक्षा में शामिल कर लिया गया है। उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्ति का मिलान कर लिया गया है और जी.एस.टी. पोर्टल से डाउनलोड किए गए जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार, आधिक्य कर राशि प्रदर्शित हो रही है, तथा करदाता का उत्तर संतोषजनक पाया गया है। अतः इस पैरा को हटाया जा सकता है।
8	06AXXXXXXXXN1ZW	हिसार	2019-20	25,46,44,927	
9	06AXXXXXXXXN1ZW	हिसार	2020-21	23,80,49,338	
10	06AXXXXXXXXR1ZT	हिसार	2018-19	33,17,664	हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों की जांच के बाद, धारा 65 के तहत मामले की लेखापरीक्षा की गई थी और इस बिंदु पर ₹ 30,03,646/- की मांग निर्धारित की गई थी (कर: ₹ 14,33,262 ब्याज: ₹ 14,27,058 और जुर्माना: ₹ 1,43,326)। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, माननीय डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) हिसार द्वारा धारा 61 के तहत मामले की जांच की गई थी, जिसके लिए करदाता का उत्तर/प्रस्तुतीकरण स्वीकार्य पाया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मामले की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है और इसका परिणाम यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।
11	06AXXXXXXXXR1ZT	हिसार	2019-20	13,87,417	
12	06AXXXXXXXXR1ZT	हिसार	2020-21	2,04,20,226	
13	06AXXXXXXXXN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	13,01,866	कोई उत्तर नहीं
14	06AXXXXXXXXN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	6,13,582	कोई उत्तर नहीं
15	06AXXXXXXXXL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	92,92,365	कोई उत्तर नहीं
16	06AXXXXXXXXL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	18,95,267	कोई उत्तर नहीं
17	06AXXXXXXXXG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,54,35,418	कोई उत्तर नहीं
18	06AXXXXXXXXG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	30,78,38,968	कोई उत्तर नहीं
19	06AXXXXXXXXH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	41,08,580	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
20	06AXXXXXXXXH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	76,37,527	कोई उत्तर नहीं
21	06AXXXXXXXXH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,17,44,720	कोई उत्तर नहीं
22	06AXXXXXXXXQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	6,76,46,14,373	कोई उत्तर नहीं
23	06AXXXXXXXXQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,25,97,38,503	कोई उत्तर नहीं
24	06AXXXXXXXXQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	7,00,64,43,937	कोई उत्तर नहीं
25	06AXXXXXXXXA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,37,65,73,120	कोई उत्तर नहीं
26	06BXXXXXXXXL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	11,51,031	कोई उत्तर नहीं
27	06BXXXXXXXXL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,86,956	कोई उत्तर नहीं
28	06AXXXXXXXXC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,30,246	कोई उत्तर नहीं
29	06AXXXXXXXXC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,48,91,109	कोई उत्तर नहीं
30	06AXXXXXXXXK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	19,48,834	कोई उत्तर नहीं
31	06AXXXXXXXXK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	5,58,638	कोई उत्तर नहीं
32	06AXXXXXXXXQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,31,06,196	कोई उत्तर नहीं
33	06AXXXXXXXXR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	5,32,36,755	कोई उत्तर नहीं
34	06AXXXXXXXXL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	77,83,175	कोई उत्तर नहीं
35	06AXXXXXXXXL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	45,50,086	कोई उत्तर नहीं
36	06AXXXXXXXXK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,56,536	कोई उत्तर नहीं
37	06AXXXXXXXXK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,98,138	कोई उत्तर नहीं
38	06AXXXXXXXXK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,04,521	कोई उत्तर नहीं
39	06AXXXXXXXXC1Z3	अंबाला	2018-19	3,76,61,903	कोई उत्तर नहीं
40	06AXXXXXXXXC1Z3	अंबाला	2019-20	1,98,24,569	कोई उत्तर नहीं
41	06AXXXXXXXXC1Z3	अंबाला	2020-21	19,02,53,605	कोई उत्तर नहीं
42	06AXXXXXXXXP1ZB	पंचकुला	2018-19	68,62,744	कोई उत्तर नहीं
43	06AXXXXXXXXP1ZB	पंचकुला	2020-21	70,35,890	कोई उत्तर नहीं
44	06AXXXXXXXXN1ZY	सोनीपत	2018-19	10,28,37,680	कोई उत्तर नहीं
45	06AXXXXXXXXN1ZY	सोनीपत	2019-20	8,15,27,936	कोई उत्तर नहीं
46	06AXXXXXXXXN1ZY	सोनीपत	2020-21	7,86,14,240	कोई उत्तर नहीं
47	06AXXXXXXXXL1ZE	सोनीपत	2019-20	2,51,88,148	कोई उत्तर नहीं
48	06AXXXXXXXXL1ZE	सोनीपत	2020-21	11,42,62,640	कोई उत्तर नहीं
49	06AXXXXXXXXP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	15,87,53,264	लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित करदाता को वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में नोटिस क्रमशः 05 जनवरी 2024 और 19 अप्रैल 2024 को जारी किए गए थे। इसके उत्तर में, करदाता ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-11 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा वर्ष 2020-21 के लिए करदाता ने अपना लिखित उत्तर मैनुअल रूप से प्रस्तुत किया। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए प्राप्त उत्तर संतोषजनक पाए गए और तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा क्रमशः 01 फरवरी 2024 और 21 मई 2024 को इन्हें हटा दिया गया है।
50	06AXXXXXXXXP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	53,42,49,280	
51	06AXXXXXXXXP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	84,53,93,020	
52	06AXXXXXXXXG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	10,61,994	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, आई.टी.सी. में कोई बेमेल डेटा नहीं है और इसे संतोषजनक पाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आई.टी.सी. में महत्वपूर्ण बेमेल डेटा पाया गया था, जिसका जी.एस.टी.आर.-9सी में मिलान कर लिया गया है तथा इसे संतोषजनक पाया गया है।
53	06AXXXXXXXXG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	2,75,592	
54	06AXXXXXXXXQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	12,78,603	कोई उत्तर नहीं
55	06AXXXXXXXXQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	9,33,725	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
56	06AXXXXXXXXQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	66,718	कोई उत्तर नहीं
57	06AXXXXXXXXF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	5,05,480	कोई उत्तर नहीं
58	06AXXXXXXXXR1ZM	कुरुक्षेत्र	2020-21	7,54,802	कोई उत्तर नहीं
59	06AXXXXXXXXD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	56,97,085	कोई उत्तर नहीं
60	06AXXXXXXXXD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,37,26,749	कोई उत्तर नहीं
61	06AXXXXXXXXD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	67,38,083	कोई उत्तर नहीं
62	06AXXXXXXXXR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	37,92,179	कोई उत्तर नहीं
63	06AXXXXXXXXR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,06,84,759	कोई उत्तर नहीं
64	06AXXXXXXXXF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	13,25,939	यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आई.एन. 06AXXXXXXXXF1Z0 के मामले में लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति की उचित अधिकारी द्वारा जांच की गई है। लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और इसके प्रतिउत्तर में करदाता का विवरण निम्नानुसार है:- करदाता ने बताया है कि तालिका 8ए, जी.एस.टी. पोर्टल द्वारा स्व-जी.एस.टी.आर. -2ए के विवरणों से तैयार की जाती है और करदाता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ऑटो-जेनरेटेड तालिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त, करदाता ने संलग्नक प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि तीनों वर्षों में से प्रत्येक में करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-3बी में दावा किया गया आई.टी.सी., जी.एस.टी.आर. -2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. से कम है (करदाता द्वारा संलग्नक प्रदान किया गया है)।
65	06AXXXXXXXXF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,74,464	
66	06AXXXXXXXXJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,57,34,704	कोई उत्तर नहीं
67	06AXXXXXXXXJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	53,02,826	कोई उत्तर नहीं
68	06AXXXXXXXXF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,89,18,868	उपर्युक्त लेखापरीक्षा जांच में उल्लिखित लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संवीक्षा कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें क्रमशः ₹ 3,02,85,124/- और ₹ 26,68,760/- की मांग डी.आर.सी.-07 के माध्यम से सृजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया है जिसमें उपर्युक्त सभी मापदंडों की जांच की गई थी। जांच के पश्चात आपत्ति को हटा दिया गया है। तालिका 8(बी) के आंकड़े, तालिका 6(बी) और 6(एच) के कुल योग से प्राप्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, हमने जी.एस.टी.आर.-3बी में ₹ 1,09,25,890/- (सी.जी.एस.टी. ₹ 24,20,265, एस.जी.एस.टी. ₹ 24,20,265 और आई.जी.एस.टी. ₹ 60,85,360) के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया और उसे रिवर्स कर दिया था, जिसे उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि हमने ₹ 1,09,25,890/- के इनपुट टैक्स क्रेडिट का न तो लाभ उठाया और न ही उपयोग किया, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, हमने ₹ 29,35,778/- (सी.जी.एस.टी. ₹ 11,50,337/-, एस.जी.एस.टी. ₹ 11,50,337/- और आई.जी.एस.टी. ₹ 6,35,104/-) के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित था।
69	06AXXXXXXXXF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	64,26,289	
70	06AXXXXXXXXF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	27,50,501	
71	06AXXXXXXXXN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	14,55,62,860	कोई उत्तर नहीं
72	06AXXXXXXXXN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	17,31,99,680	कोई उत्तर नहीं
73	06AXXXXXXXXN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	7,91,79,870	कोई उत्तर नहीं
74	06AXXXXXXXXM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	21,22,887	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
75	06AXXXXXXXXM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,44,91,040	कोई उत्तर नहीं
76	06AXXXXXXXXM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	20,13,85,016	कोई उत्तर नहीं
77	06AXXXXXXXXM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	5,97,76,64,253	कोई उत्तर नहीं
78	06AXXXXXXXXM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	48,86,46,333	कोई उत्तर नहीं
79	06AXXXXXXXXG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	38,90,216	कोई उत्तर नहीं
80	06AXXXXXXXXM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	7,895	कोई उत्तर नहीं
81	06AXXXXXXXXF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,75,65,447	कोई उत्तर नहीं
82	06AXXXXXXXXJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,42,06,680	कोई उत्तर नहीं
83	06AXXXXXXXXJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	4,59,24,155	कोई उत्तर नहीं
84	06AXXXXXXXXJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,06,40,622	कोई उत्तर नहीं
85	06AXXXXXXXXN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,36,70,794	कोई उत्तर नहीं
86	06AXXXXXXXXN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	36,55,472	कोई उत्तर नहीं
87	06AXXXXXXXXN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	27,02,868	कोई उत्तर नहीं
88	06AXXXXXXXXK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,14,792	कोई उत्तर नहीं
89	06AXXXXXXXXN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	8,31,177	कोई उत्तर नहीं
90	06AXXXXXXXXN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	89,99,016	कोई उत्तर नहीं
91	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	11,72,41,364	कोई उत्तर नहीं
92	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	32,56,42,644	कोई उत्तर नहीं
93	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	29,96,18,744	कोई उत्तर नहीं
94	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	13,16,597	कोई उत्तर नहीं
95	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	59,50,214	कोई उत्तर नहीं
96	06AXXXXXXXXP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	18,21,553	कोई उत्तर नहीं
97	06AXXXXXXXXE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	79,81,441	कोई उत्तर नहीं
98	06AXXXXXXXXE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	3,93,73,802	कोई उत्तर नहीं
99	06AXXXXXXXXQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	19,67,86,969	कोई उत्तर नहीं
100	06AXXXXXXXXC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	43,628	कोई उत्तर नहीं
101	06AXXXXXXXXN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	7,86,00,143	कोई उत्तर नहीं
102	06AXXXXXXXXR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	49,47,693	कोई उत्तर नहीं
103	06AXXXXXXXXR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	2,70,86,721	कोई उत्तर नहीं
104	06AXXXXXXXXQ1ZU	करनाल	2018-19	77,83,54,469	कोई उत्तर नहीं
105	06AXXXXXXXXQ1ZU	करनाल	2019-20	7,76,898	कोई उत्तर नहीं
106	06AXXXXXXXXC1ZY	करनाल	2020-21	9,637	करदाता ने बताया है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद, इसके साथ ₹ 17,446/- का डी.आर.सी.-03 संलग्न कर रहे हैं, जिसमें ₹ 9,638/- का कर (अर्थात सी.जी.एस.टी. ₹ 4,819 + एस.जी.एस.टी. ₹ 4,819) और अब तक का ₹ 7,808/- का ब्याज शामिल है। करदाता द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच की गई और यह पाया गया कि करदाता ने ₹ 9,638/- का कर (प्रत्येक सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. के तहत ₹ 4,819/-) और ₹ 7,808/- का ब्याज (प्रत्येक सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. के तहत ₹ 3,904/-), डी.आर.सी.-03 संख्या AD060924006585Y दिनांक 26 सितंबर 2024 के माध्यम से जमा कर दिया है। अतः, इस मामले का निपटान कर दिया गया है।
107	06AXXXXXXXXG3ZR	पानीपत	2019-20	42,33,03,750	करदाता ने आपके ज्ञापन में इंगित किए गए विचलन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है:-
108	06AXXXXXXXXG3ZR	पानीपत	2020-21	40,70,11,141	

क्र. सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर [आर9 8डी=8ए-(8बी+8सी)]	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
					यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आर.-9 के कॉलम 8ए और जी.एस.टी.आर.-2ए दोनों ही सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सृजित विवरण हैं। इन दोनों विवरणों द्वारा सृजित आंकड़ों पर करदाता का कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही, जी.एस.टी. के तहत करदाता पर ऐसा कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि वह अनिवार्य रूप से जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए की तुलना करे। दोनों विवरण ऑटो-जेनरेटेड हैं और करदाता के नियंत्रण से बाहर हैं। कोई भी निर्धारिती इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है।
109	06AXXXXXXXXH1ZW	रेवाड़ी	2018-19	13,58,800	इस अवलोकन के उत्तर में, कि पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित आई.टी.सी. अंतर और जी.एस.टी.आर. -2ए/जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए में दर्शाए गए आई.टी.सी. का करदाता द्वारा मिलान कर लिया गया है और इसका सत्यापन भी किया जा चुका है (अनुलग्नक संलग्न है)। अतः, करदाता ने कोई अधिक आई.टी.सी. नहीं लिया है और उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कृपया इस पैरा को हटाया जा सकता है।
110	06AXXXXXXXXH1ZW	रेवाड़ी	2019-20	14,28,978	
111	06AXXXXXXXXG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	29,13,561	कोई उत्तर नहीं
112	06AXXXXXXXXG1Z1	रेवाड़ी	2020-21	1,22,96,563	कोई उत्तर नहीं
113	06AXXXXXXXXJ1ZQ	रेवाड़ी	2019-20	40,81,616	इस अवलोकन के उत्तर में, कि पैरा में उल्लिखित आई.टी.सी. का अंतर पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित है और जी.एस.टी.आर. -2ए/जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए में दर्शाया गया आई.टी.सी. वास्तविक आई.टी.सी. नहीं है, बोवेब तुलनात्मक शीट के अनुसार सत्यापन के बाद यह पाया गया है कि करदाता ने अवधि 2019-20 के दौरान आधिक्य आई.टी.सी. के बजाय कम आई.टी.सी. का लाभ लिया है। करदाता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जीएसटी पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण, जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए के स्वचालित रूप से सृजित आंकड़े जी.एस.टी.आर.–2ए तालिका 8ए में दर्शाए गए वास्तविक आई.टी.सी. को दर्शा नहीं रहे हैं। हरियाणा टैक्स पोर्टल से इसका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध आई.टी.सी., करदाता द्वारा लिए गए आई.टी.सी. से अधिक है (अनुलग्नक संलग्न)। लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा ओ.बी.एस. 1216740 में किए गए अवलोकन का भी संदर्भ दिया गया है कि जी.एस.टी.आर. -2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 60,20,18,880/- है, जो इस लेखापरीक्षा अवलोकन में जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8बी+8सी से अधिक है।
	कुल			**32,96,46,45,219**	

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.3; पृष्ठ 52)

जीएसटी-3बी में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. जैसा कि जी.एस.टी.आर.-9 (6ए) में घोषित है और जी.एस.टी.आर.-9 (6आई) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर आर9 6जे	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
1	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2018-19	20,928	कोई उत्तर नहीं
2	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2018-19	7,72,966	इस लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि (जी.एस.टी.आई.एन. - 06AXXXXXXXXD1Z2) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 29,71,222/- के आई.टी.सी. को रिवर्स किया है, जिसका उल्लेख जी.एस.टी.आर.-9 के बिंदु संख्या 7 (एच1) में किया गया है और इसे संज्ञान में नहीं लिया गया है।
3	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2019-20	65,62,731	वित्तीय वर्ष 2019-20 के मामले को रिटर्न की संवीक्षा के लिए लिया गया है। संवीक्षा की कार्यवाही के दौरान, करदाता ने डी.आर.सी.-03 ए.आर.एन. AD0603240525466 दिनांक 22 मार्च 2024 के माध्यम से ₹ 65,62,730/- की राशि जमा की है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रोहतक द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 के डी.आर.सी.-0165/AE/ADC/2024-25 के माध्यम से डी.आर.सी.-01 पहले ही जारी किया जा चुका है।
4	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2020-21	21,960	
5	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	63,04,300	कोई उत्तर नहीं
6	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	89,61,406	कोई उत्तर नहीं
7	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	49,23,950	कोई उत्तर नहीं
8	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	39,44,95,267	कोई उत्तर नहीं
9	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,86,27,46,443	कोई उत्तर नहीं
10	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	36,98,806	कोई उत्तर नहीं
11	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	44,274	कोई उत्तर नहीं
12	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	59,451	कोई उत्तर नहीं
13	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	79,16,736	कोई उत्तर नहीं
14	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	6,83,80,400	कोई उत्तर नहीं
15	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	56,40,296	कोई उत्तर नहीं
16	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,40,83,187	कोई उत्तर नहीं
17	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	10,58,564	कोई उत्तर नहीं
18	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	25,38,977	कोई उत्तर नहीं
19	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	37,37,579	कोई उत्तर नहीं
20	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,87,53,562	कोई उत्तर नहीं
21	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	3,41,52,030	कोई उत्तर नहीं
22	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2020-21	91,713	कोई उत्तर नहीं
23	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2018-19	4,43,48,409	कोई उत्तर नहीं
24	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2020-21	55,49,051	कोई उत्तर नहीं
25	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	29,31,63,520	कोई उत्तर नहीं
26	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	2,83,729	इस पैरा पर फॉर्म जी.एस.टी. ए.एस.एम.टी.-12 में चर्चा की गई है, जो कि हमारे दिनांक 03 फरवरी 2023 के जी.एस.टी. ए.एस.एम.टी.-10 का उत्तर है। इसमें कोई आधिक्य क्रेडिट नहीं पाया गया है और इसे संतोषजनक पाया गया है।
27	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	21,27,744	
28	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	1,86,036	इस लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में, अवधि 2018-19 से 2020-21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वार्षिक रिटर्न (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ) में घोषित राशि से अधिक कोई आई.टी.सी. नहीं लिया गया है।
29	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	21,14,347	कोई उत्तर नहीं

क्र.सं.	जी.एस.टी.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर आर9 6जे	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
30	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	93,978	इसके अतिरिक्त, करदाता ने संलग्नकों में दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6एम में पूर्ववर्ती वर्ष के लिए दावा किए गए आई.टी.सी. की सूचना दी है। करदाता के तर्कों की जांच जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-9 से की गई है। इनकी प्रतियां संलग्न हैं।
31	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	88,925	
32	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,17,001	कोई उत्तर नहीं
33	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	51,66,474	करदाता के तर्कों की जांच की गई तथा उन्हें सही पाया गया है। अतः, वर्तमान मामले को समाप्त किया जा रहा है।
34	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	56,00,036	
35	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,01,76,111	कोई उत्तर नहीं
36	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	55,55,97,977	कोई उत्तर नहीं
37	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	26,45,673	कोई उत्तर नहीं
38	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,79,99,452	कोई उत्तर नहीं
39	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	10,64,652	कोई उत्तर नहीं
40	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	15,73,752	कोई उत्तर नहीं
41	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	61,36,906	कोई उत्तर नहीं
42	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	91,02,626	कोई उत्तर नहीं
43	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	52,42,684	कोई उत्तर नहीं
44	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	1,25,696	कोई उत्तर नहीं
45	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	22,95,561	कोई उत्तर नहीं
46	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2020-21	15,56,068	कोई उत्तर नहीं
47	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2019-20	53,116	कोई उत्तर नहीं
48	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2020-21	2,178	लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, करदाता ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के डी.आर.सी.-03 संख्या AD060924006585Y के माध्यम से आधिक्य दावा किए गए आई.टी.सी. की राशि ₹ 2,178/- प्रत्येक (सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत) ब्याज सहित जमा कर दी है। अतः, इस मामले का निपटान कर लिया गया है।
49	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2018-19	25,19,32,800	कोई उत्तर नहीं
50	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2019-20	22,78,481	यह स्पष्ट है कि करदाता ने अधिक आई.टी.सी. का लाभ नहीं लिया है। इसलिए पैरा हटाया जा सकता है।
51	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	10,90,610	कोई उत्तर नहीं
52	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2019-20	33,885	कोई उत्तर नहीं
	कुल			**3,75,27,13,005**	

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.3; पृष्ठ 52)

जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (8ए) के बीच प्राप्त किए गए आई.टी.सी. में असंगतता

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
1	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2018-19	13,39,552	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए के बीच असंगतता के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए करदाता के मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है और जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. के साथ तुलना करते समय जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. के स्थान पर जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए करदाता के मामले को सी.जी.एस.टी. /एच.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा हेतु लिया गया है। उपलब्ध आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. की तुलना करते समय, जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए को आधार माना गया है।
2	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2019-20	62,56,960	
3	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2020-21	34,80,416	
4	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2018-19	3,26,139	इस लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आई.एन. - 06AXXXXXXXXD1Z2 ने आधिक्य आई.टी.सी. का लाभ नहीं लिया है क्योंकि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी में उपलब्ध सीमा से कम आई.टी.सी. का लाभ लिया है।
5	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2019-20	23,38,975	
6	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2020-21	5,45,803	
7	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2018-19	13,82,266	संवीक्षा की कार्यवाही के दौरान, करदाता ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के डी.आर.सी.-03 ए.आर.एन. AD061223005280U के माध्यम से ₹ 13,82,265/- की अंतर राशि का भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रोहतक द्वारा धारा 74 के तहत दिनांक 30 जुलाई 2024 के डी.आर.सी.-0165/AE/ADC/2024-25 के माध्यम से डी.आर.सी.-01 पहले ही जारी किया जा चुका है।
8	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2019-20	27,04,53,495	यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रोहतक द्वारा धारा 74 के तहत दिनांक 30 जुलाई 2024 के डी.आर.सी.-0165/AE/ADC/2024-25 के माध्यम से डी.आर.सी.-01 पहले ही जारी किया जा चुका है।
9	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2020-21	13,07,070	यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रोहतक द्वारा धारा 74 के तहत दिनांक 30 जुलाई 2024 के डी.आर.सी.-0165/AE/ADC/2024-25 के माध्यम से डी.आर.सी.-01 पहले ही जारी किया जा चुका है।
10	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2018-19	1,76,39,400	करदाता ने जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका (8ए) और जी.एस.टी.आर.-2ए का मिलान प्रस्तुत कर दिया है। जी.एस.टी.आर.-2ए में आई.टी.सी. अधिक पाया गया है और जी.टी.आई.एन. पोर्टल से भी इसे सत्यापित किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पैरा को हटाया जा सकता है।
11	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2019-20	5,45,31,000	
12	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2020-21	5,16,08,600	
13	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2018-19	2,24,56,770	इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि पंजीकृत करदाताओं को लेखापरीक्षा आपत्ति से अवगत करा दिया गया था और वर्ष 2018-19 के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर निम्नानुसार है: वर्ष 2018-19: इनपुट कम दावा किया गया - ₹ 40,401 वर्ष 2019-20: शेष आई.टी.सी. कम दावा किया गया - ₹ 5,94,136 वर्ष 2020-21: हमारे मामले में अंतर 5% से कम है। आंकड़ों की जांच के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मामला धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा में था और इस बिंदु पर ₹ 30,03,646/- (कर ₹ 14,33,262, ब्याज ₹ 14,27,058 और जुर्माना ₹ 1,43,326)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
					की मांग सृजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, माननीय डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) हिसार द्वारा धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए मामला लिया गया था, जिसमें करदाता के उत्तर/प्रस्तुतीकरण स्वीकार्य पाए गए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मामले की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इसका परिणाम यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।
14	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2019-20	21,16,256	कोई उत्तर नहीं
15	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2020-21	12,32,800	कोई उत्तर नहीं
16	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,03,832	कोई उत्तर नहीं
17	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	44,412	कोई उत्तर नहीं
18	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	56,50,936	कोई उत्तर नहीं
19	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	16,80,282	कोई उत्तर नहीं
20	06AxxxxxxxxL1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	3,24,462	कोई उत्तर नहीं
21	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	31,88,87,094	कोई उत्तर नहीं
22	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,27,548	कोई उत्तर नहीं
23	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	11,19,08,581	कोई उत्तर नहीं
24	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	12,18,38,386	कोई उत्तर नहीं
25	06AxxxxxxxxH1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	7,78,80,860	कोई उत्तर नहीं
26	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,86,19,03,322	कोई उत्तर नहीं
27	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	71,25,79,074	कोई उत्तर नहीं
28	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	27,86,03,106	कोई उत्तर नहीं
29	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	21,84,80,124	कोई उत्तर नहीं
30	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	4,77,14,466	कोई उत्तर नहीं
31	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	12,11,416	कोई उत्तर नहीं
32	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,364	कोई उत्तर नहीं
33	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	3,13,748	कोई उत्तर नहीं
34	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	55,727	कोई उत्तर नहीं
35	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	7,844	कोई उत्तर नहीं
36	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	7,96,322	कोई उत्तर नहीं
37	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,04,356	कोई उत्तर नहीं
38	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	2,78,946	कोई उत्तर नहीं
39	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	10,00,809	कोई उत्तर नहीं
40	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,62,883	कोई उत्तर नहीं
41	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	40,15,643	कोई उत्तर नहीं
42	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	20,02,399	कोई उत्तर नहीं
43	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	1,57,823	कोई उत्तर नहीं
44	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	2,60,17,594	कोई उत्तर नहीं
45	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	76,73,277	कोई उत्तर नहीं
46	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	90,70,887	कोई उत्तर नहीं
47	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	17,46,336	कोई उत्तर नहीं
48	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	40,73,388	कोई उत्तर नहीं
49	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	56,02,414	कोई उत्तर नहीं
50	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	61,14,448	कोई उत्तर नहीं
51	06AxxxxxxxxR1ZB	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	28,63,952	कोई उत्तर नहीं
52	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	15,25,168	कोई उत्तर नहीं
53	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,00,672	कोई उत्तर नहीं
54	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,56,089	कोई उत्तर नहीं
55	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,21,900	कोई उत्तर नहीं
56	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2018-19	1,76,85,664	कोई उत्तर नहीं
57	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2019-20	1,43,15,712	कोई उत्तर नहीं
58	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2020-21	56,67,520	कोई उत्तर नहीं
59	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2018-19	15,27,912	कोई उत्तर नहीं
60	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2020-21	1,07,47,136	कोई उत्तर नहीं
61	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2018-19	85,68,900	कोई उत्तर नहीं

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
62	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2019-20	1,38,56,800	कोई उत्तर नहीं
63	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2020-21	33,19,300	कोई उत्तर नहीं
64	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2019-20	72,02,800	कोई उत्तर नहीं
65	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2020-21	83,16,900	कोई उत्तर नहीं
66	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	11,26,79,680	कोई उत्तर नहीं
67	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2019-20	12,51,58,400	कोई उत्तर नहीं
68	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2020-21	6,56,53,500	कोई उत्तर नहीं
69	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	39,036	कोई उत्तर नहीं
70	06AxxxxxxxxG1Z5	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	2,27,192	कोई उत्तर नहीं
71	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	82,46,544	कोई उत्तर नहीं
72	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2020-21	11,77,040	कोई उत्तर नहीं
73	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2018-19	6,51,206	कोई उत्तर नहीं
74	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2020-21	14,65,140	कोई उत्तर नहीं
75	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	21,53,098	कोई उत्तर नहीं
76	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	15,50,068	कोई उत्तर नहीं
77	06AxxxxxxxxG2ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	3,24,672	कोई उत्तर नहीं
78	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,97,40,330	कोई उत्तर नहीं
79	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,88,61,351	कोई उत्तर नहीं
80	06AxxxxxxxxC2Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	28,40,962	कोई उत्तर नहीं
81	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	11,31,872	कोई उत्तर नहीं
82	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	12,64,675	कोई उत्तर नहीं
83	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	96,996	कोई उत्तर नहीं
84	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	15,85,374	कोई उत्तर नहीं
85	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,25,058	कोई उत्तर नहीं
86	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,02,486	कोई उत्तर नहीं
87	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	10,73,991	कोई उत्तर नहीं
88	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	14,96,388	कोई उत्तर नहीं
89	06AxxxxxxxxR1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	6,25,343	कोई उत्तर नहीं
90	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	19,99,315	करदाता ने प्रस्तुत किया है कि तालिका 8ए, जी.एस.टी. पोर्टल द्वारा स्वयं जी.एस.टी.आर.-2ए के विवरणों से तैयार की जाती है और करदाता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये दोनों ही ऑटो–जनरेटेड तालिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त, करदाता ने संलग्नक प्रस्तुत किया है, जो दर्शाता है कि इन तीनों वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-3बी में दावा किया गया आई.टी.सी., जी.एस.टी.आर. -2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. से कम है (संलग्नक करदाता द्वारा प्रदान किया गया है)।
91	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	7,56,543	कोई उत्तर नहीं
92	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	46,574	कोई उत्तर नहीं
93	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	209	कोई उत्तर नहीं
94	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,19,301	कोई उत्तर नहीं
95	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	2,60,974	करदाता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने जी.एस.टी.आर. -2ए में उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना में जी.एस.टी.आर.-3बी में कम आई.टी.सी. का दावा किया है। यह जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8डी से स्पष्ट है। करदाता के तर्कों की जांच की गई है और उन्हें सही पाया गया है।
96	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	11,04,919	कोई उत्तर नहीं
97	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	6,220	कोई उत्तर नहीं
98	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	50,96,742	कोई उत्तर नहीं
99	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	8,77,446	कोई उत्तर नहीं
100	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	13,43,967	कोई उत्तर नहीं
101	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	11,76,388	वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए डी.आर.सी.-07 के माध्यम से क्रमशः ₹ 3,02,85,124/- और ₹ 26,68,760/- की मांग सृजित की गई थी। वर्ष 2020-21 के लिए ए.एस.एम.टी.-10 जारी

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
					किया गया है जिसमें उपर्युक्त सभी मापदंडों की जांच की गई थी। जांच के बाद आपत्ति को हटा दिया गया है।
102	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,91,762	कोई उत्तर नहीं
103	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	4,75,72,730	कोई उत्तर नहीं
104	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	4,11,77,220	कोई उत्तर नहीं
105	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	68,08,190	कोई उत्तर नहीं
106	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	19,88,864	कोई उत्तर नहीं
107	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	5,51,184	कोई उत्तर नहीं
108	06AxxxxxxxxM1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	9,30,048	कोई उत्तर नहीं
109	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	5,54,24,000	कोई उत्तर नहीं
110	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,01,08,800	कोई उत्तर नहीं
111	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	96,85,000	कोई उत्तर नहीं
112	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	10,15,688	कोई उत्तर नहीं
113	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	6,57,82,270	कोई उत्तर नहीं
114	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	3,47,55,330	कोई उत्तर नहीं
115	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,70,17,350	कोई उत्तर नहीं
116	06AxxxxxxxxM1ZI	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	14,919	कोई उत्तर नहीं
117	06AxxxxxxxxF1ZW	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	40,30,400	कोई उत्तर नहीं
118	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	1,83,02,720	कोई उत्तर नहीं
119	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	33,68,240	कोई उत्तर नहीं
120	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	6,78,416	कोई उत्तर नहीं
121	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	23,37,956	कोई उत्तर नहीं
122	06AxxxxxxxxN1ZO	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	10,35,904	कोई उत्तर नहीं
123	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	8,60,167	कोई उत्तर नहीं
124	06AxxxxxxxxK1ZL	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,11,284	कोई उत्तर नहीं
125	06AxxxxxxxxE2ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	2,42,97,470	कोई उत्तर नहीं
126	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	5,11,890	कोई उत्तर नहीं
127	06AxxxxxxxxN1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	1,24,913	कोई उत्तर नहीं
128	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	2,87,85,328	कोई उत्तर नहीं
129	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	5,68,23,534	कोई उत्तर नहीं
130	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	2,41,70,730	कोई उत्तर नहीं
131	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	5,89,55,080	कोई उत्तर नहीं
132	06AxxxxxxxxE1Z3	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	49,93,363	कोई उत्तर नहीं
133	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	9,28,11,772	कोई उत्तर नहीं
134	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	17,53,27,584	कोई उत्तर नहीं
135	06AxxxxxxxxQ1ZE	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	1,26,97,490	कोई उत्तर नहीं
136	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	1,20,47,751	कोई उत्तर नहीं
137	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	1,40,44,857	कोई उत्तर नहीं
138	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	55,41,860	कोई उत्तर नहीं
139	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2018-19	97,262	कोई उत्तर नहीं
140	06AxxxxxxxxP1Z9	गुरुग्राम (दक्षिण)	2020-21	1,31,852	कोई उत्तर नहीं
141	06AxxxxxxxxJ1Z8	फरीदाबाद (दक्षिण)	2019-20	2,28,224	कोई उत्तर नहीं
142	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	27,04,99,330	कोई उत्तर नहीं
143	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	5,57,16,990	कोई उत्तर नहीं
144	06AxxxxxxxxN3ZM	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	2,86,03,900	कोई उत्तर नहीं
145	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2018-19	27,47,55,900	कोई उत्तर नहीं
146	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	31,43,54,884	कोई उत्तर नहीं
	06AxxxxxxxxR1Z7	गुरुग्राम (पश्चिम)	2020-21	23,98,36,610	कोई उत्तर नहीं
148	06AxxxxxxxxC1ZY	करनाल	2018-19	4,907	करदाता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच की गई है और यह तथ्य सत्य है कि तालिकाओं में दर्शाए गए उपर्युक्त आंकड़े ऑटो-जेनरेटेड हैं। इसके अतिरिक्त, जी.एस.टी.आर. -2ए और जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए में स्वचालित रूप से सृजित ₹ 90,55,188/- के आई.टी.सी. की तुलना में करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार ₹ 85,43,175/- का कम आई.टी.सी. दावा किया है। अतः, करदाता

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अंतर (आर9 8ए - आर2ए)	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6
					द्वारा किसी भी आधिक्य आई.टी.सी. का दावा नहीं किया गया है, इसलिए इस मामले का निपटान कर लिया गया है।
149	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2018-19	62,49,32,740	कोई उत्तर नहीं
150	06AxxxxxxxxQ1ZU	करनाल	2019-20	2,69,59,658	कोई उत्तर नहीं
151	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2018-19	6,19,64,300	लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि करदाता जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16(2) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही आई.टी.सी. का दावा करता है। आई.टी.सी. का दावा करदाता के पास उपलब्ध इनवॉइस और जी.एस.टी.आर.-2ए में उपलब्ध डेटा के मिलान के आधार पर किया गया है।
152	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2019-20	14,48,23,300	कोई उत्तर नहीं
153	06AxxxxxxxxG1ZT	पानीपत	2020-21	10,66,19,900	कोई उत्तर नहीं
154	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2018-19	5,09,33,700	कोई उत्तर नहीं
155	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2019-20	67,25,700	कोई उत्तर नहीं
156	06AxxxxxxxxG3ZR	पानीपत	2020-21	4,87,50,600	कोई उत्तर नहीं
157	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2018-19	4,93,39,344	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए विभागीय संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा किए गए अवलोकन की पुनः जांच की गई है। निरस्त किए गए करदाताओं से कोई आई.टी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है और आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी कर देयता का भुगतान कर दिया है। वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए करदाता को धारा 61 के तहत शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा। अतः, इस पैरा को हटाया जा सकता है।
158	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2019-20	8,33,21,888	कोई उत्तर नहीं
159	06AxxxxxxxxH1ZW	रेवाड़ी	2020-21	13,26,05,984	वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए करदाता को धारा 61 के तहत शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा। अतः, इस पैरा को हटाया जा सकता है।
160	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2018-19	56,725	कोई उत्तर नहीं
161	06AxxxxxxxxG1Z1	रेवाड़ी	2019-20	1,70,816	कोई उत्तर नहीं
162	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2018-19	13,54,21,444	कोई उत्तर नहीं
163	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2019-20	14,92,41,088	कोई उत्तर नहीं
164	06AxxxxxxxxJ1ZQ	रेवाड़ी	2020-21	8,35,59,424	कोई उत्तर नहीं
	कुल			**8,52,78,24,566**	

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.4; पृष्ठ 53)

अनिष्पादित कर देयता (आर3बी की आर1 एवं आर9 के साथ तुलना)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अनिष्पादित देयता - आर1 अथवा आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी
1	06AxxxxxxxxG1ZB	रोहतक	2020-21	41,51,977
	करदाता को धारा 73 के तहत फॉर्म डी.आर.सी.-01 में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कार्यवाही के परिणाम से लेखापरीक्षा पार्टी को तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा।			
2	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2018-19	45,352
3	06AxxxxxxxxD1ZC	भिवानी	2020-21	26,930
	क्र.सं. 2 एवं 3 का कोई उत्तर नहीं है।			
4	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2018-19	21,15,923
5	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2019-20	12,21,216
	(क्र.सं. 4 एवं 5) इस लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आई.एन. - 06AXXXXXXXXD1Z2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 21,15,920/- की आई.जी.एस.टी. राशि, ग्राहकों से प्राप्त क्रमशः ₹ 21,21,096/- के ब्याज और ₹ 96,34,036/- के मुआवजे (कुल ₹ 1,17,55,132/-) की आय से संबंधित है। उक्त राशि ₹ 1,17,55,132/- (आई.जी.एस.टी. राशि ₹ 21,15,924/-) को जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी में घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित किया गया था और तदनुसार करदाता द्वारा 05.01.2021 के डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 21,15,924/- की कर देयता का भुगतान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 12,50,593/- की आई.जी.एस.टी. राशि, ग्राहकों से प्राप्त क्रमशः ₹ 34,74,037/- के ब्याज और ₹ 34,73,698/- के मुआवजे (कुल ₹ 69,47,735/-) की आय से संबंधित है। उक्त राशि ₹ 69,47,735/- (आई.जी.एस.टी. राशि ₹ 12,50,593/-) को जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी में घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित किया गया था और तदनुसार करदाता द्वारा 31.03.2021 के डी.आर.सी.-03 के माध्यम से ₹ 13,42,392/- की कर देयता का भुगतान कर दिया गया है।			
6	06AxxxxxxxxD1Z2	झज्जर	2020-21	70,232
	कोई उत्तर नहीं			
7	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2018-19	6,01,653
8	06AxxxxxxxxE1Z9	हिसार	2019-20	6,49,646
	(क्र.सं. 7 एवं 8) लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के मामले को रिटर्न की संवीक्षा के अंतर्गत लिया गया है और एच.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत इन वर्षों के लिए ए.एस.एम.टी.-10 नोटिस जारी किया गया है। रिटर्न संवीक्षा की कार्यवाही के दौरान करदाता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसे संतोषजनक पाया गया है। जी.एस.टी. पोर्टल से भी इसकी पुष्टि की गई है कि जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर. -3बी/आर9 के अनुसार कर देयता में कोई असंगतता नहीं है।			
9	06AxxxxxxxxN1ZW	हिसार	2019-20	11,67,152
	आर-3बी टैक्स भुगतान (6.1ए): ₹ 13,10,93,95,741; आर-1 देयता : ₹ 13,10,88,50,750; आर-9 देयता : ₹ 13,10,94,00,634। अनिष्पादित देयता [आर1 या आर9 जो भी अधिक हो - आर3बी]: ₹ 4,893/- जिसका भुगतान जी.एस.टी.आर.-9 फाइल करते समय 27 फरवरी 2021 को डी.आर.सी.-03 के माध्यम से कर दिया गया है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर कोई अनिष्पादित देयता शेष नहीं है, जो करदाता द्वारा फाइल की गई जी.एस.टी. रिटर्न से एक सत्यापन योग्य तथ्य है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस पैरा को हटाया जा सकता है।			
10	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2018-19	57,06,152
11	06AxxxxxxxxR1ZT	हिसार	2019-20	3,83,05,907
	(क्र.सं. 10 एवं 11) इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 65,74,448/- की बी2बी देयता को जुलाई और दिसंबर 2018 के जी.एस.टी.आर.-1 में घोषित किया गया था। हालांकि, इसी वर्ष के दौरान जी.एस.टी.आर.-3बी में बी2सी बिक्री के माध्यम से ₹ 65,77,448/- की देयता का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त देयता को उसी वर्ष के दौरान त्रुटिवश बी2सी में दर्शाया गया था। इसका मिलान निम्नानुसार है:- नोटिस के अनुसार, अंतर ₹ 62,29,225 है; (-) जुलाई और दिसंबर 2018 में घोषित वर्ष 2017-18 से संबंधित बी2बी इनवॉइस ₹ 65,74,448 है; तथा आधिक्य भुगतान की गई देयता (-) ₹ 3,45,223.00 है। वर्ष 2019-20 के लिए, नोटिस के अनुसार अंतर ₹ 4,01,04,067.00 है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार देयता ₹ 52,27,97,824 के बजाय ₹ 48,57,41,301 है। जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देयता की तुलना इसके साथ संलग्न है। जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार देयता पर विचार करने के बाद अंतर निम्नानुसार है:- जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार देयता ₹ 48,57,41,301.00 (-) जी.एस.टी.आर. -9/3बी के अनुसार देयता ₹ 48,26,93,756.00 = ₹30,47,545.00 (-) वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 30,47,545 की बी2बी देयता है, जिसे 2019-20 में दर्शाया गया था। हालांकि, उपर्युक्त देयता का भुगतान 2018-19 के दौरान जी.एस.टी.आर.-3बी में बी2सी बिक्री के माध्यम से किया गया था। 2019-20 के दौरान बी2बी में ₹ 30,47,545.00 जोड़े गए लेकिन उन्हें बी2सी बिक्री से घटाया नहीं गया था। (-) ₹ 30,47,545.00 = शून्य। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हमें लेखा पुस्तिकाओं / लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार आउटपुट टैक्स देयता का भुगतान करना होता है। यदि हमने जी.एस.टी.आर.-1 में अधिक/कम देयता दर्शाई है, तो उसे बाद के महीने के जी.एस.टी.आर.-1 या जी.एस.टी.आर.-9 में सुधारा जा सकता है।			

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अनिष्पादित देयता - आर1 अथवा आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी
	लेखापरीक्षित तुलन पत्र के आधार पर फाइल की गई जी.एस.टी.आर. -9 के अनुसार सभी आउटपुट देयता में सुधार और उसका भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, तथ्यों और आंकड़ों की जांच के बाद, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 18,68,889 की वसूली के उपरांत, डीआरसी-07 में ₹ 1,72,08,664/- की मांग सृजित की गई थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में जी.एस.टी.आर.-1/3बी और जी.एस.टी.आर.-9 के बीच अनिष्पादित देयता के संबंध में ₹ 69,58,292/- की मांग सृजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मामला संवीक्षाधीण था और करदाता द्वारा प्रस्तुत उत्तर को सक्षम अधिकारी (माननीय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एसटी), हिसार) द्वारा स्वीकार्य पाया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मामले की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इसका परिणाम यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। यह आपकी सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।			
12	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	4,59,859
13	06AxxxxxxxxN1ZA	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	4,239
14	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	49,34,39,135
15	06AxxxxxxxxQ1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	59,56,987
16	06AxxxxxxxxA1ZR	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	12,39,79,836
17	06AxxxxxxxxN1Z6	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	6,736
18	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	2,98,487
19	06BxxxxxxxxL1ZX	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	3,45,361
20	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	3,15,08,674
21	06AxxxxxxxxF1ZS	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	68,38,503
22	06AxxxxxxxxC1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	1,36,41,181
23	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	13,68,288
24	06AxxxxxxxxP1Z5	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	15,17,843
25	06AxxxxxxxxQ1ZM	गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	31,50,084
26	06AxxxxxxxxK1ZH	गुरुग्राम (उत्तर)	2018-19	1,23,885
27	06AxxxxxxxxL1ZU	गुरुग्राम (उत्तर)	2020-21	2,06,645
28	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2018-19	11,134
29	06AxxxxxxxxC1Z3	अंबाला	2019-20	2,25,351
30	06AxxxxxxxxP1ZB	पंचकुला	2018-19	6,67,66,890
31	06AxxxxxxxxN1ZY	सोनीपत	2019-20	83,917
32	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2018-19	8,93,498
33	06AxxxxxxxxL1ZE	सोनीपत	2019-20	4,11,87,740
34	06AxxxxxxxxP6ZI	फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	5,33,57,454
	क्र.सं. 12 एवं 34 कोई उत्तर नहीं			
35	06AxxxxxxxxQ1ZY	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	14,182
	2018-19 यह सूचित किया गया है कि करदाता को लेखापरीक्षा के लिए दिनांक 23 अक्तूबर 2023 को ए.आर.एन. संख्या ZD0610230147006 के माध्यम से ए.डी.टी. 01 जारी किया गया था। ए.डी.टी. 01 के उत्तर में, करदाता ने डी.आर.सी.-03 की प्रतियों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। करदाता द्वारा मिलान न की गई राशि, अवैध आई.टी.सी., और आई.इस.डी. से प्राप्त दावाकृत आई.टी.सी. का भुगतान डी.आर.सी.-03 के माध्यम से (ए.आर.एन. संख्या AD0612230066794, AD061223006727B, AD0612230066885, AD061223006704J, AD061223006716E दिनांक 18 दिसम्बर 2023) किया गया। प्रस्तुत उत्तर की जांच की गई और कुछ विसंगतियों पर संतोषजनक स्थिति नहीं पाई गई। तत्पश्चात, करदाता को दिनांक 29 दिसंबर 2023 को ए.आर.एन. संख्या ZD061223032247S के माध्यम से डी.आर.सी.-01 जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, करदाता को अब डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है। 2019-20 निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए करदाता को दिनांक 22 अप्रैल 2024 को ए.आर.एन. संख्या ZD0604240179197 के माध्यम से ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया था। करदाता ने ए.एस.एम.टी.-10 के विरुद्ध अपना उत्तर फाइल किया, जिसकी जांच की गई और उसे संतोषजनक पाया गया। इसके अलावा, करदाता ने अवैध आई.टी.सी. का भुगतान डी.आर.सी.-03 (ए.आर.एन. संख्या AD0605240068727, AD0605240085094 दिनांक 20 मई 2024 और 23 मई 2024) के माध्यम से किया, जिसमें ₹ 1,628/- कर और ₹ 1,583/- ब्याज शामिल है। साथ ही, ₹ 51,700/- की आधिक्य इनपुट टैक्स राशि का भुगतान डी.आर.सी.-03 (ए.आर.एन. संख्या AD060524002773B दिनांक 08 मई 2024) के माध्यम से किया गया और ₹ 50,278/- की ब्याज राशि का भुगतान डी.आर.सी.-03 (ए.आर.एन. संख्या AD0605240085094 दिनांक 23 मई 2024) के माध्यम से किया गया। 2020-21 करदाता को ए.एस.एम.टी.-10 के रूप में विसंगतियों से संबंधित नोटिस, संदर्भ संख्या ZD060624045897X के माध्यम से दिनांक 27 जून 2024 को जारी किया गया है।			
36	06AxxxxxxxxF1ZS	फरीदाबाद (उत्तर)	2019-20	4,47,683
37	06AxxxxxxxxR1ZM	कुरुक्षेत्र	2019-20	32,85,001
38	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	28,99,548

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	कार्यालय का नाम	अवधि	अनिष्पादित देयता - आर1 अथवा आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी
39	06AxxxxxxxxE1ZD	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	14,753
40	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	3,23,376
41	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	12,396
42	06AxxxxxxxxD1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	81,105
	क्र.सं. 36 से 42 कोई उत्तर नहीं			
43	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	15,14,676
44	06AxxxxxxxxF1Z0	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	6,86,211
	(क्र.सं. 43 एवं 44) यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी.एस.टी.आई.एन. 06AXXXXXXXXF1Z0 के मामले में लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई है। लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और इसके उत्तर में करदाता का विवरण निम्नानुसार है: करदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, कर देयता का विधिवत भुगतान कर दिया गया है क्योंकि कुछ इनवॉइस या क्रेडिट नोट्स, संबंधित वित्तीय वर्ष के बजाय अगले वर्ष के जी.एस.टी. रिटर्न में दर्ज किए गए हैं। उदाहरणतः, वित्तीय वर्ष 2018-19 के कुछ इनवॉइस या क्रेडिट नोट्स वित्तीय वर्ष 2019-20 के जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी में दर्शाए गए थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 के सिस्टम-जनरेटेड जी.एस.टी.आर.-9 में भी शामिल किया गया है। हालांकि, उपर्युक्त तालिका में दिए गए विवरणों के अनुसार, जी.एस.टी.आर.-1 में कर देयता की गणना, दर्शाई गई दस्तावेज तिथि के आधार पर की गई है, जिससे यह अंतर उत्पन्न हुआ है। करदाता ने इन अंतरों के कारणों की पुष्टि हेतु मिलान विवरण प्रस्तुत किए हैं। उपर्युक्त तथ्यों और आधारों के दृष्टिगत, आपसे सादर अनुरोध है कि इस नोटिस की कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें। उपर्युक्त के दृष्टिगत, करदाता के उत्तर पर विचार करने के पश्चात, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि करदाता पर कोई भी अनिष्पादित कर देयता शेष नहीं है। करदाता के तर्कों की जांच जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 के आधार पर की गई है, जिसकी प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं। अतः, अनुरोध है कि कृपया इस पैरा को हटाया जा सकता है।			
45	06AxxxxxxxxL1ZG	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	28,10,077
	कोई उत्तर नहीं			
46	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	82,77,531
47	06AxxxxxxxxK1ZM	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	38,81,307
	(क्र.सं. 46 एवं 47) करदाता ने जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित देयता और जी.एस.टी.आर.-3बी में चुकाई गई देयता के बीच मिलान विवरण प्रस्तुत किया है। करदाता द्वारा प्रस्तुत मिलान विवरण और समर्थित दस्तावेजों के अनुसार, यह पाया गया है कि करदाता ने वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 84,36,281/- (आई.जी.एस.टी. - ₹ 55,62,234, सी.जी.एस.टी. - ₹ 6,32,485, एस.जी.एस.टी. - ₹ 6,32,485 और उपकर - ₹ 16,09,077) की कर राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 में किया है। इसे जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 10 और 14 में विधिवत रिपोर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, करदाता ने कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 8,65,835/- (आई.जी.एस.टी. - ₹ 5,66,197, सी.जी.एस.टी. - ₹ 68,812, एस.जी.एस.टी. - ₹ 68,812 और उपकर - ₹ 1,62,014) का ब्याज 30 अप्रैल 2024 को ए.आर.एन.: AD060424013969V के माध्यम से डी.आर.सी.-03 द्वारा जमा कर दिया है।			
48	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	9,81,176
49	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	6,27,072
	क्र.सं. 48 एवं 49 कोई उत्तर नहीं			
50	06AxxxxxxxxF1ZU	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	83,09,272
	उपर्युक्त लेखापरीक्षा जांच में उल्लेखित लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि: वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संवीक्षा कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें क्रमशः ₹ 3,02,85,124/- और ₹ 26,68,760/- की मांग डी.आर.सी.-07 के माध्यम से सृजित की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया है, जिसमें उक्त सभी मापदंडों की जांच की गई थी। जांच के पश्चात आपत्ति को हटा दिया गया है। तालिका 8(बी) के आंकड़े 6(बी) और 6(एच) के योग से प्राप्त किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, हमने जी.एस.टी.आर.-3बी में ₹ 1,09,25,890/- (सी.जी.एस.टी. ₹ 24,20,265, एस.जी.एस.टी. ₹ 24,20,265 और आई.जी.एस.टी. ₹ 60,85,360) के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया और उसे रिवर्स कर दिया था, जिसे उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि हमने ₹ 1,09,25,890/- के इनपुट टैक्स क्रेडिट का न तो लाभ लिया और न ही उपयोग किया है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, हमने ₹ 29,35,778/- (सी.जी.एस.टी. ₹ 11,50,337, एस.जी.एस.टी. ₹ 11,50,337 और आई.जी.एस.टी. ₹ 6,35,104) के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जो कि वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित था।			
51	06AxxxxxxxxN1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	91,65,74,080
52	06AxxxxxxxxM1Z5	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	70,29,55,499
53	06AxxxxxxxxG1ZN	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	16,320
54	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	40,40,689
55	06AxxxxxxxxH1ZS	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	2,670
56	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	6,38,83,050
57	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	5,17,77,171
58	06AxxxxxxxxJ1ZQ	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	5,24,97,602
59	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2018-19	85,49,899
60	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	1,00,72,644
61	06AxxxxxxxxJ1ZK	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	63,60,474

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>जी.एस.टी.आई.एन.</th><th>कार्यालय का नाम</th><th>अवधि</th><th>अनिष्पादित देयता - आर1 अथवा आर9 (जो भी अधिक हो) - आर3बी</th></tr>
<tr><td>62</td><td>06AxxxxxxxxK1ZL</td><td>गुरुग्राम (पूर्व)</td><td>2020-21</td><td>4,80,986</td></tr>
<tr><td>63</td><td>06AxxxxxxxxE2ZY</td><td>गुरुग्राम (पूर्व)</td><td>2018-19</td><td>2,12,10,989</td></tr>
<tr><td>64</td><td>06AxxxxxxxxN1ZU</td><td>गुरुग्राम (पूर्व)</td><td>2019-20</td><td>3,65,711</td></tr>
<tr><td>65</td><td>06AxxxxxxxxN1ZU</td><td>गुरुग्राम (पूर्व)</td><td>2020-21</td><td>12,97,685</td></tr>
<tr><td>66</td><td>06AxxxxxxxxC1ZH</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2018-19</td><td>24,730</td></tr>
<tr><td>67</td><td>06AxxxxxxxxC1ZH</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2019-20</td><td>36,91,432</td></tr>
<tr><td>68</td><td>06AxxxxxxxxC1ZH</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2020-21</td><td>6,89,543</td></tr>
<tr><td>69</td><td>06AxxxxxxxxQ1ZE</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2018-19</td><td>64,27,183</td></tr>
<tr><td>70</td><td>06AxxxxxxxxQ1ZE</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2020-21</td><td>77,71,100</td></tr>
<tr><td>71</td><td>06AxxxxxxxxP1Z9</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2018-19</td><td>11,07,710</td></tr>
<tr><td>72</td><td>06AxxxxxxxxP1Z9</td><td>गुरुग्राम (दक्षिण)</td><td>2020-21</td><td>74,89,96,516</td></tr>
<tr><td>73</td><td>06AxxxxxxxxJ1Z8</td><td>फरीदाबाद (दक्षिण)</td><td>2018-19</td><td>1,22,660</td></tr>
<tr><td>74</td><td>06AxxxxxxxxJ1Z8</td><td>फरीदाबाद (दक्षिण)</td><td>2020-21</td><td>20,10,152</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">क्र.सं. 51 से 74 कोई उत्तर नहीं .</td></tr>
<tr><td>75</td><td>06AxxxxxxxxN3ZM</td><td>गुरुग्राम (पश्चिम)</td><td>2018-19</td><td>1,10,450</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में यह बताया गया है कि करदाता ने अपेक्षित मांग की राशि डी.आर.सी.-03 डेबिट प्रविष्टि संख्या DC0612200205270, दिनांक 28 दिसंबर 2020 के माध्यम से जमा कर दी है।</td></tr>
<tr><td>76</td><td>06AxxxxxxxxR1Z7</td><td>गुरुग्राम (पश्चिम)</td><td>2018-19</td><td>6,17,115</td></tr>
<tr><td>77</td><td>06AxxxxxxxxR1Z7</td><td>गुरुग्राम (पश्चिम)</td><td>2019-20</td><td>120</td></tr>
<tr><td>78</td><td>06AxxxxxxxxR1Z7</td><td>गुरुग्राम (पश्चिम)</td><td>2020-21</td><td>84,409</td></tr>
<tr><td>79</td><td>06AxxxxxxxxQ1ZU</td><td>करनाल</td><td>2018-19</td><td>6,23,360</td></tr>
<tr><td>80</td><td>06AxxxxxxxxG1ZT</td><td>पानीपत</td><td>2018-19</td><td>56,00,564</td></tr>
<tr><td>81</td><td>06AxxxxxxxxG1ZT</td><td>पानीपत</td><td>2019-20</td><td>10,45,588</td></tr>
<tr><td>82</td><td>06AxxxxxxxxG1ZT</td><td>पानीपत</td><td>2020-21</td><td>1,610</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">क्र.सं. 76 एवं 82 कोई उत्तर नहीं</td></tr>
<tr><td>83</td><td>06AxxxxxxxxG3ZR</td><td>पानीपत</td><td>2020-21</td><td>1,216</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">यह अवलोकन एक विशिष्ट अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-2ए में आई.टी.सी. के अंतर के संबंध में है। करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी में, और अंततः जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर. -9सी में घोषित आउटपुट टैक्स देयता के आंकड़े निम्नानुसार हैं:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>जी.एस.टी.आर.-1</th><th>जी.एस.टी.आर. -3बी</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>₹ 40,83,62,84,000</td><td>₹ 40,83,62,85,685</td><td>जी.एस.टी.आर.-3बी में जी.एस.टी.आर.-1 की तुलना में ₹ 1,685 आधिक्य भुगतान किया गया है, अतः भुगतान में कोई कमी नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>₹ 27,97,77,58,700</td><td>₹ 27,97,77,62,188</td><td>यहां पर भी जी.एस.टी.आर.-1 की तुलना में ₹ 3,485 आधिक्य भुगतान किया गया है, अतः भुगतान में कोई कमी नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>₹29,43,85,99,200</td><td>₹29,43,85,97,352</td><td></td></tr>
</table>
इस वर्ष के लिए फाइल की गई जी.एस.टी.आर.-9सी में, करदाता ने आर.सी.एम. को छोड़कर अपनी कुल आउटपुट टैक्स देयता ₹ 29,43,85,97,398/- घोषित की है, जो जी.एस.टी.आर.-3बी में दर्शाए गए आंकड़ों से कम है। अतः, कोई भी अनिष्पादित देयता शेष नहीं है। इन प्रश्नों को हटाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>84</td><td>06AxxxxxxxxG1Z1</td><td>रेवाड़ी</td><td>2019-20</td><td>33,54,860</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">कोई उत्तर नहीं</td></tr>
<tr><td>85</td><td>06AxxxxxxxxJ1ZQ</td><td>रेवाड़ी</td><td>2019-20</td><td>1,13,07,691</td></tr>
<tr><td>86</td><td>06AxxxxxxxxJ1ZQ</td><td>रेवाड़ी</td><td>2020-21</td><td>3,04,774</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">(क्र.सं. 85 और 86) करदाता द्वारा भुगतान किए जाने हेतु कोई भी अनिष्पादित कर देयता शेष नहीं है। पाए गए अंतर का कारण जी.एस.टी.आर.-9 के भाग V (तालिका 10 और 11), अर्थात् "अगले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में निर्दिष्ट अवधि तक घोषित पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन के विवरण" से संबंधित है।
अतः, करदाता द्वारा ऐसी किसी भी अल्प देयता का भुगतान नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल डेबिट/क्रेडिट नोट्स की देयता है जिसे अगले वित्तीय वर्ष में चुका दिया गया है। आपके अवलोकन/संदर्भ हेतु 'अनुलग्नक-सी' संलग्न है। अतः, इस पैरा को हटाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>87</td><td>06AxxxxxxxxH1ZW</td><td>रेवाड़ी</td><td>2019-20</td><td>2,528</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">पैरा को स्वीकार कर लिया गया है और करदाता से डी.आर.सी.-03 (संख्या AD060124009152S, दिनांक 23 जनवरी 2024) के माध्यम से राशि की वसूली कर ली गई है। अतः, इस पैरा को हटाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td></td><td>3,56,75,80,007</td></tr>
</table>

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi